रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21022022-233643
CG-DL-E-21022022-233643

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 54] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 21, 2022/फाल्गुन 2, 1943
No. 54] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 21, 2022/PHALGUNA 2, 1943

## वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

## (वाणिज्य विभाग)

## (व्यापार उपचार महानिदेशालय)

## अधिसूचना

## (अंतिम जांच परिणाम)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2022

**मामला सं. एडी-ओआई -46/2020**

**विषयः चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलियुरेथेन लैदर जिसमें एक ओर से या दोनों ओर से पोलियुरेथेन कॉटिड किसी भी तरह का टेक्सटाइल शामिल है " के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम।**

**क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>**

1. **फा. सं. 6/55/2021-डीजीटीआर.—**समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे यहां नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

2. मैसर्स टोपलाइन कोमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड (जिसे यहां आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" अथवा "घरेलू उद्योग" भी कहा गया है) ने चीन जन.गण. (जिसे यहां आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "पोलियुरेथेन लैदर जिसमें एक ओर से या दोनों ओर से पोलियुरेथेन कॉटिड किसी भी तरह का

टेक्सटाइल शामिल है" (जिसे यहां आगे "संबद्ध देश" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करने के लिए समय समय पर यथा संशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" भी कहा गया है) और उसकी समय समय पर यथा-संशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिन्हें आगे यहां नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे यहां "प्राधिकारी" भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन-पत्र (जिसे यहां आगे "आवेदन पत्र" अथवा "याचिका" भी कहा गया है, दायर किया है ।

**3.** प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्टया साक्ष्य के आधार पर संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगाई जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति समाप्त करने के लिए, पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. 6/55/2020-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

**ख. <u>प्रक्रिया</u>**

**4.** संबद्ध जांच के संबंध में नीचे निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है:

क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार, जांच शुरु करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन-पत्र की प्राप्ति के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 24 फरवरी, 2021 की सार्वजनिक नोटिस जारी किया ।

ग. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को, ज्ञात आयातकों को, प्रयोक्ता एसोसिएशनों और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 24 फरवरी, 2021 की जांच की शुरुआत की अधिसूचना सं. 6/55/2020-डीजीटीआर की प्रति दिनांक 9 मार्च, 2021 के ईमेल के माध्यम से भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को यह सलाह दी गई थी कि वे निर्धारित स्वरूप और तरीके में संगत सूचना उपलब्ध कराएं और निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात अनुरोध दें।

घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास को और ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति उपलब्ध कराई।

ङ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के उत्पादकों/निर्यातकों को यह सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दें। साथ ही, प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास को संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे थे। अलग से पत्र और प्रश्नावली की प्रति आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों के अनुसार उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी गई थी।

च. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध पर, प्राधिकारी ने उनके प्रश्नावली के उत्तर दायर करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को समय बढ़ाए जाने की स्वीकृति दी। दिनांक 20 अप्रैल, 2021 के पत्र द्वारा 30 अप्रैल, 2021 तक समय बढ़ाया गया था। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध पर प्रश्नावली के उत्तर दायर करने का समय 11 जून, 2021 तक बढ़ाया गया था।

छ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी।

i. अनहुई अनली टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ii. अनहुई डासेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

iii. अनहुई दीवांग कंपनी लिमिटेड

iv. चाइना बेस्ट एजेंट कंपनी लिमिटेड

v. गुआंगझोऊ वेक्सिन लैदर गुड्स कंपनी लिमिटेड

vi हांगझोऊ स्टारिटली सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड

vii. जियांगसु डोंगताई पोलिमेरिक मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

viii. जिनहुआ योंगशेंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

ix. जिनजियांग हेंगडेली शूज मैटरिरियल

x. लिंकलैंड इंटरप्राइज (शंघाई) कंपनी लिमिटेड

xi. लिशुई हाइहे इंटरनेशनल इंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड

xii. निशात ट्रेड लिमिटेड

xiii. क्विंगजियांग इंटरनेशनल लिमिटेड

xiv. शंघाई हांगबो इंटरनेशनल

xv. शंघाई होंगबो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

xvi. शाओजिंग डोंगताई पोलिमेरिक मैटिरियल्स कंपनी लिमिटेड

xvii. शाओजिंग ई-चि लैदर कंपनी लिमिटेड

xviii. शाओजिंग गोल्डन इम्प्रैस लैदर ऐंड प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड

xix. वेंगझोऊ एटलांटिक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड

xx. वेंगझोऊ बोझान इंटरनेशनल

xxi. वेंगझोऊ ब्रॉड इंटरनेशनल ट्रेड

xxii. वेंगझोऊ डावन इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड

xxiii. वेंगझोऊ फॉरन ट्रेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड

xxiv. वेंगझोऊ फॉरन ट्रेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंपनी लिमिटेड

xxv. वेंगझोऊ हेली सिंथेटिक लैदर कंपनी

xxvi. वेंगझोऊ हुआशंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

xxvii. वेंगझोऊ इमिटेशन लैदर कंपनी लिमिटेड

xxviii. वेंगझोऊ इंटरनेशनल इको ऐंड टेक को-आपरेशन कंपनी लिमिटेड

xxix. वेंगझोऊ जियाजु ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

xxx. वेंगझोऊ लोंगवान फॉरन ट्रेड कंपनी लिमिटेड

xxxi. वेंगझोऊ पेलरट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

xxxii. वेंगझोऊ सिंग-रुई इंटरनेशनलट्रेड कंपनी लिमिटेड

xxxiii. वेंगझोऊ वेगा इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी

xxxiv. वेंगझोऊ वोल्कानो फॉरन ट्रेडिंग

xxxv. वेंगझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

xxxvi. वेंगझोऊ झेनजिन इंटरनेशनल ट्रेड लिमिटेड

xxxvii. झेजियांग सिनो रिच इंटरनेशनल इंटरप्राइज कंपनी लिमिटेड

ज. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों और उनके संबद्ध निर्यातकों/व्यापारियों ने उत्तर दिए और निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर तथा/अथवा कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए/दायर किए:

i. अनहुई अनली मेटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ii. फुजियान डिमा सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड

iii. वेनझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

झ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को प्रश्नावलियां भेजी:

i. ए.डी इम्पैक्स

ii. ए.के.फैशन्स

iii. ए.आर. एक्जिम

iv. ए.वी. इंटरप्राइजेज

v. आदित्य इंटरप्राइजेज

vi आरती इंटरनेशनल

vii. एसीई ओवरसीज

viii. आदित्य इम्पैक्स

ix. अंजनी इंटरप्राइजेज

x. आनंद डायरीज प्राइवेट लिमिटेड

xi. एशिया ट्रेडर्स

xii. एशियन लैदर प्राइवेट लिमिटेड

xiii. बी.आर. लैदर इम्पैक्स

xiv. बजाज ट्रेडर्स

xv. कैपिटल लैदर

xvi. डी पी लैदर स्टोर

xvii. डिम्पल रेक्जिन स्टोन

xviii. ईडन इंटरप्राइजेज

xix. फ्लिक्सर इम्पैक्स

xx. एफ.सी. इंटरनेशनल

xxi. फैज इंटरप्राइजेज

xxii. फाइबर ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड

xxiii. फार्चून इंटरनेशनल

xxiv. गालेंट ओवरसीज

xxv. गोरडिया प्रिंटर्स

xxvi. एच.एस. इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

xxvii. हांसीग्लोबल इंडिया

xxviii. एचएमक्यू लैदर एक्सपोर्ट

xxix. इंटरनेशनल फुटस्टेप्सस

xxx. इस्कॉन सेल्स कारपोरेशन

xxxi. जे.एच. इम्पैक्स

xxxii. के एच एक्सपोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

xxxiii. के. रमेश चंद ऐंड कंपनी

xxxiv. के.वी.एस. ट्रेडर्स

xxxv. केसीएम ट्रेडर्स

xxxvi. कुमार इम्पैक्स

xxxvii. महादेव इंटरप्राइज

xxxviii. महालक्ष्मी ओवरसीज

xxxix. मैक्सकिंग (इंडिया) फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड

xl. मिक्त इंटनरेशनल

xli. मोनेक्स ग्लोबल

xlii. मोनेक्स इंटरनेशनल

xliii. एन.सी. इंटरप्राइजेज

xliv. न्यू इंडिया रेक्सिन हाउस

xlv. निधि इंटरप्राइजेज

xlvi. नार्दर्न कन्सुमेबल प्राइवेट लिमिटेड

xlvii. पी ए फुटवियर प्राइवेट लिमिटेड

xlviii.पंकज इम्पैक्स

xlix. परफेक्ट लैदर्स

l. रेंस एक्सिम

li. रालीस ओवरसीज

lii. रमन लैदर्स

liii. रिलायंस तारपौलाइन्स

liv. रॉयल इम्पैक्स

lv. एस.एम. इंटरप्राइजेज

lvi. एस.वी. सिंथेटिक्स

lvii. साम इंटरप्राइजेज

lviii. शिवा सेल्स कारपोरेशन

lix. श्राफ इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

lx. स्टार इम्पैक्स

lxi. सन्नी सेल्स

lxii. सनशाइन इम्पैक्स

lxiii. टीम एशिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

lxiv. ठाकुर इम्पैक्स

lxv. टापसिया इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड

lxvi. जाफ ओवरसीज एलएलपी

ञ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, हितबद्ध पक्षकारों के रूप में निम्नलिखित आयातकों अथवा प्रयोक्ताओं ने उत्तर दिए और आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर/कानूनी अनुरोध प्रस्तुत किए और/अथवा पंजीकृत किए:

i. एल्पाइन अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड

ii. नावकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. फाइबर ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड

ट. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं की निम्नलिखित ज्ञात एसोसिएशनों को दिनांक 24 फरवरी, 2021 की जांच की अधिसूचना की प्रति भेजी:

i. दि इंडियन लैदर प्राडक्ट्स एसोसिएशन

ii. जवाजा लैदर एसोसिएशन

iii. ऑल इंडिया स्किन ऐंड हाइड टनर्स ऐंड मर्चेन्ट्स एसोसिएशन

iv. इंडियन लैदर टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन

v. डॉल्फिन लैदर्स

vi अंबर ग्लो लैदर गुड्स एसोसिएशन

ठ. उपर्युक्त अधिसूचना के उत्तर में, संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं की निम्नलिखित एसोसिएशनों ने जांच की अधिसूचना का उत्तर दिया है और कानूनी अनुरोध दायर किए हैं तथा/अथवा हितबद्ध पक्षकारों के रूप में पंजीकृत किया है:

i. ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

ii. चाइन चैंबर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स

iii. काउंसिल फार लैदर एक्सपोर्ट्स (सीएलई)

iv. लैदर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन

ड. इसके अलावा, निम्नलिखित घरेलू उत्पादकों और संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ताओं/आयातकों के संघों ने प्राधिकरण द्वारा प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद पहली बार अनुरोध दायर किया है:

i. मादीपुर चप्पल उद्योग संघ

ii. बापा नगर हस्तनिर्मित फुटवियर एसोसिएशन

iii. आगरा फुटवियर निर्माताओं की बिरादरी

iv. विजेता निप्पॉन लेदरेट प्रा। लिमिटेड

ढ. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 30 सितंबर, 2020 (18 महीने) है। क्षति जांच की अवधि में 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019, और जांच की अवधि शामिल है क्योंकि घरेलू उद्योग ने जून, 2017 में विचाराधीन उत्पाद

का वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया। प्राधिकारी ने जांच की लंबी अवधि को ध्यान में रखा क्योंकि 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित हुआ था। तथाकथित पाटित आयातों के कारण हुई घरेलू उद्योग को क्षति का मूल्यांकन करने के लिए लंबी अवधि अधिक उपयुक्त होगी।

ण. वाणिज्यिक सूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईऐंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे क्षति की अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के ब्यौरे दें, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा और मूल्य तथा मूल्य का परिकलन करने और क्षति विश्लेषण के लिए डीजीसीआईऐंडएस के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है।

त. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 29 जुलाई, 2021 को ऑनलाइन हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर उपलब्ध कराया। जिन पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत किए, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें और उसके बाद प्रत्युत्तर अनुरोध, यदि कोई हों, दायर करें। पक्षकारों ने अपने अगोपनीय लिखित अनुरोध अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किए और उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने खंडन पेश करें।

थ. सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची दिनांक 24.6.2021 के पत्र द्वारा डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, जिसमें उन सबसे यह अनुरोध किया गया था कि वे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर ईमेल करें क्योंकि सार्वजनिक फाइल चल रही कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण भौतिक रूप से पहुंच में नहीं थी।

द. अन्य सूचना आवश्यक समझी गई सीमा तक आवेदक से मांगी गई थी। घरेलू उद्योग और निर्यातकों द्वारा दिए गए आंकड़ों का सत्यापन वर्तमान जांच के लिए आवश्यक समझी गई सीमा तक किया गया था। इसके अतिरिक्त, फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. (उत्पादक), वेनझोऊ वोलकानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लि. (निर्यातक) से अतिरिक्त दस्तावेज/स्पष्टीकरण मांग गए थे।

ध. क्षति रहित कीमत (जिसे इसे बाद "एनआईपी" का गया है) का निर्धारण सामान्य रूप से स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और इस नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और उपयुक्त लाभ के आधार पर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क क्या घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए उपयुक्त होगा।

न. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने, जहां कहीं आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और वह सूचना गोपनीय मानी गई है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां कहीं संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर देने का निर्देश दिया गया था।

ऩ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध, उठाए गए तर्कों और जांच प्रक्रिया के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना जहां तक वे साक्ष्य के साथ समर्थित है और वर्तमान जांच के लिए संगत मानी गई हैं।

प. प्राधिकारी ने जांच प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना तक यथासंभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया, जो इस जांच का आधार बनती है। और संगत मानी गई तथा संभव सीमा तक घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/दस्तावेजों का सत्यापन किया।

फ. जहां कही किसी हितबद्ध पक्षकार ने जांच प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्यथा सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उन हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसे रिकॉर्ड किया है।

ब. निर्दिष्ट प्राधिकारी के विचाराधीन, अनिवार्य तथ्यों से युक्त एक प्रकटन विवरण 28 जनवरी, 2022 को जारी किया गया था। संगत गोपनीय आंकड़ों सहित प्रकटन विवरण का अगोपनीय रूपांतर प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां, यदि कोई हैं, देने के लिए उपयुक्त समय देते हुए ईमेल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त प्रकटन पश्चात टिप्पणियां,संगत मानी गई सीमा तक वर्तमान जांच परिणाम में हल कर दी गई हैं।

भ. इस अंतिम जांच परिणाम में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना दर्शाते हैं।

म. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यूएसडॉल्र =73.09 रु. है।

## ग. <u>विचाराधीन उत्पाद ('पीयूसी') और समान वस्तु</u>

**5.** जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

*" विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पालियुरेथेन लैदर है जिसमें पोलियुरेथेन के साथ एक तरफ से अथवा दोनों तरफ से टेक्सटाइल कॉटन शामिल है" विचाराधीन उत्पाद रोल्ड रूप में अथवा शीट रूप में अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद वाणिज्यिक रूप से पीयू लैदर के रूप में जाना जाता है, पीयू लैदर कृत्रिम पीयू लैदर, पीयू कोटेड फैब्रिक (प्लेन/प्रिंटेड/इम्बोस्ड)/, लाइनिंग मैटिरियल, सिंथेटिक लैदर क्लॉथ, पीयू सिंथेटिक लैदर, सिंथेटिक लैदर लाइनिंग, डिपिंग पीयू लाइनिंग आदि जैसे विभिन्न नामों से भी बाजार में बेचा जाता है। ये सभी उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद फर्निशिंग ऑटोमोटिव, फुटवियर, क्लोदिंग, बैग्स और वालेट जैसे कई अन्य प्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है।*

*विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण उस उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है जिसमें (i) जमाव अथवा आर्द्र प्रक्रिया और (ii) अंतरण कोटिंग अथवा शुष्क प्रक्रिया शामिल होती है। जमाव प्रक्रिया प्रमुख प्रक्रिया है जिसके बाद विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में अंतरण कोटिंग नामक परिष्करण प्रक्रिया होती है। अत:, जो भी कंपनी एक साथ इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं करती है बल्कि केवल अंतरण कोटिंग प्रक्रिया करती है वह विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता नहीं कही जा सकती।*

*पीयू लैदर प्रमुखत: प्रशुल्क मद 5603.94.00 और 5903.20.90 के तहत सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के क्रमश: अध्याय 56 और अध्याय 59 के तहत आयात किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के आयात कई अन्य सीमा प्रशुल्क शीर्षों के तहत भी माने जाते हैं यथा 3921.13.90, 5903.10.10, 5903.10.90, 5903.20.10, 5903.90.10, 5903.90.20, 5903.90.90, 5603.11.00, 5603.12.00, 5603.13.00, 5603.14.00, 5603.91.00, 5603.92.00, 5603.93.00,* आदि*."*

## ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

**6.** विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे।:

क. घरेलू उद्योग वास्ड पीयू, इम्बोस्ड पीयू, स्यूड पीयू जैसे कुछ प्रकार के पीयू का विनिर्माण करने में असमर्थ है।

ख. घरेलू उद्योग गुणवत्ता और डिजाइन के संदर्भ में ग्राहक की आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ है।

ग. याचिकाकर्ता का यह कथन कि विनिर्माण प्रक्रिया चीन में विनिर्माण प्रक्रिया के समान है, गलत है क्योंकि घरेलू उद्योग केवल शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से पीयू कोटेड लैदर का उत्पादन नहीं कर सकता और इसीलिए उसे अनिवार्य रूप से जमाव अथवा आर्द्र प्रक्रिया पहले करनी होती है।

घ. घरेलू उद्योग केवल शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से पीयू कोटेड लैदर का उत्पादन नहीं कर सकता और यह पीयू लैदर आर्द्र प्रक्रिया और शुष्क प्रक्रिया के जमाव के माध्यम से विनिर्मित सामान से अधिक कीमत

वाला भी है और इसीलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की प्रतिस्पर्धा में नहीं है और इसे विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किया जाना चाहिए।

ड. याचिकाकर्ता कम गुणवत्ताओं के पीयू लैदर की आपूर्ति नहीं करता और प्रयोक्ता उद्योगों को आपूर्ति प्राप्त करने के लिए काफी बड़ी मात्रा लगानी होती है। इसके विपरीत, चीन से आयात प्रयोक्ता उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार कम और किफायती मात्राओं में किए जा सकते हैं।

च. विचाराधीन उत्पाद के लिए नॉन-ओवन फैब्रिक एक कच्ची सामग्री है और एचएस कोड 56031400 के तहत आयात की जाती है। नॉन-ओवन फैब्रिक पर पोलीयुरिथेन की एक अतिरिक्त परत उसे पोलीयुरिथेन लैदर में बदलने के लिए जोड़ी जाती है। अत: कोटिंग के आधार पर दोनों उत्पादों में अंतर किया जा सकता है। यदि उत्पाद पोलीयुरिथेन लैदर है तो उसे अनिवार्य रूप से कम से कम एक और कोटेड किया जाना होता है और कोई भी अनकोटेड प्रोडक्ट अथवा पोलीयुरिथेन को छोड़कर किसी पदार्थ से कोटेड उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर का उत्पाद माना जाना चाहिए। जिस उत्पाद के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है वह वास्तव में कच्ची सामग्री है।

छ. माइक्रोफाइबर फैब्रिक एक सिंथेटिक फैब्रिक है जिसका प्रयोग जूते, बैग, वालेट बनाने के लिए लाइनिंग सामग्री के रूप में और निट, और अपैरल अपहोल्सेटरी, औद्योगिक फिल्टर्स के लिए वीव्स तथा क्लीनिंग उत्पाद बनाने के लिए प्रयुक्त प्रत्यक्ष सामग्री के रूप में किया जाता है। यह उत्पाद एचएस कोड 59032090 के तहत आयात किया जाता है। यह उत्पाद विचाराधीन उत्पाद से बहुत बारीकी से मेल खाता है। माइक्रोफाइबर फैब्रिक पीयू और नाइलोन फाइबर तथा कभी कभी पोलिस्टर फाइबर के साथ मिश्रित अथवा संसेचन अथवा डिपिंग से बनाया गया नॉन ओवन फैब्रिक है, यह एक डिप्ड फैब्रिक है न कि कोटेड फैब्रिक। संयोगवश माइक्रोफाइबर फैब्रिक सिंथेटिक लैदर की विनिर्माण प्रौद्योगिकी वर्तमान में भारत में मौजूद नहीं है। इसके अतिरिक्त, माइक्रोफाइबर फैब्रिक की कीमतें पीयू लैदर की कीमतों की तुलना में काफी अधिक हैं।

### ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

**7.** विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए अनुरोध निम्नलिखित है:

क. अनुप्रयोग में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "पोलियुरेथेन लैदर है जिसमें पोलियुरेथेन के साथ एक तरफ से अथवा दोनों तरफ से टेक्सटाइल कॉटन शामिल है" विचाराधीन उत्पाद रोल्ड रूप में अथवा शीट रूप में अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद वाणिज्यिक रूप से पीयू लैदर के रूप में जाना जाता है, पीयू लैदर कृत्रिम पीयू लैदर, पीयू कोटेड फैब्रिक (प्लेन/प्रिंटेड/इम्बोस्ड)/, लाइनिंग मैटिरियल, सिंथेटिक लैदर क्लॉथ, पीयू सिंथेटिक लैदर, सिंथेटिक लैदर लाइनिंग, डिपिंग पीयू लाइनिंग आदि जैसे विभिन्न नामों से भी बाजार में बेचा जाता है। ये सभी उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद फर्निशिंग ऑटोमोटिव, फुटवियर, क्लोदिंग, बैग्स और वालेट जैसे कई अन्य प्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद समान विनिर्माण प्रक्रिया, प्रकार्य और प्रयोग, गुणवत्ता एवं तकनीकी एवं वाणिज्यिक विशेषताओं सभी के संबंध में संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है।

ग. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण उस उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है जिसमें (i) जमाव अथवा आर्द्र प्रक्रिया और (ii) अंतरण कोटिंग अथवा शुष्क प्रक्रिया शामिल होती है। जमाव प्रक्रिया प्रमुख प्रक्रिया है जिसके बाद विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में अंतरण कोटिंग नामक परिष्करण प्रक्रिया होती है। अत:, जो भी कंपनी एक साथ इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं करती है बल्कि केवल अंतरण कोटिंग प्रक्रिया करती है वह विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता नहीं कही जा सकती।

घ. हितबद्ध पक्षकारों ने प्रयोग की जा रही दूसरी उत्पादन प्रक्रिया का असिद्ध दावा किया है और तद्नुसार, उन उत्पादों को बाहर रखने की मांग की है जिनका विनिर्माण नई प्रक्रिया का प्रयोग करके किया जाता है। यह अनुरोध है कि हितबद्ध पक्षकारों ने विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए ऐसी नई

प्रौद्योगिकी की मौजूदगी की मात्रा खोखले विवरण दिए हैं। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे जांच की इस देरी के स्तर पर नई सूचना अथवा साक्ष्य का कोई भी अनुरोध स्वीकार न करें।

ड. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने झूठा और आधारहीन आरोप लगाया है कि वे विचाराधीन उत्पाद की छोटी मात्राओं की आपूर्ति नहीं करते। घरेलू उद्योग की न्यूनतम मात्रा के ऑर्डर की कोई ऐसी नीति नहीं है इसे सिद्ध करने के लिए घरेलू उद्योग ने पहले ही वाणिज्यिक बीजक रिकॉर्ड में रखे हैं जिनमें उन्होंने *** से *** मीटर तक की अलग-अलग मात्राओं में बिक्री की है।

च. घरेलू उद्योग के पास केवल क्षमता ही नहीं है बल्कि उन्होंने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद के विभिन्न डिजाइनों की बिक्री भी की है। घरेलू उद्योग के पास विनिर्माण करने और इम्बोस्ड पीयू, सीयूड पीयू, वास्ड पीयू, आदि सहित व्यापक किस्म की डिजाइन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने जांच की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राहक के डिजाइनों की विगत में आपूर्ति की है और आज तक भी कर रहा है। घरेलू उद्योग ने नॉन ओवन फैब्रिक का उपयोग करके विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद भी बेचा है और उसे सिद्ध करने वाले कुछ नमूना बीजक प्राधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड में रखे गए हैं। साथ ही जैसा कि विभिन्न जांचों में माना गया है डिजाइन की अपेक्षाएं किसी भी तरह विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को नहीं बदलते क्योंकि आधारभूत उत्पाद वही है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद ग्राहकों द्वारा कीमतों की अपेक्षा गुणवत्ता को मान देते हुए विभिन्न अनुप्रयोगों तथा क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है। तद्नुसार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद उच्च स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जारा, एमएंडएस, बाटा, रीबोक, एडिडास और फिला, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित ब्रांडों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। घरेलू उद्योग ने उनके द्वारा आपूर्ति किए गए विचाराधीन उत्पाद के समर्थन में और गुणवत्ता को स्वीकार करते हुए सराहना पत्र तथा बीजक भी साझा किए हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी की स्थापित परिपाटी और अपील प्राधिकारी द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार किसी भी दशा में गुणवत्ता में अंतर पाटनरोधी शुल्क जांच में "समानता" सुनिश्चित करने के लिए संगत मानदंड नहीं हैं।

ज. इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षकारों ने यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि तथाकथित गुणवत्ता अंतर वाले ये उत्पाद एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और आयातित विचाराधीन उत्पाद के बीच गुणवत्ता के अंतर के सार में कोई तर्क नहीं बनता है और प्राधिकारी से यह अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित संबद्ध सामानों को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु के रूप में मानें। घरेलू उद्योग ने आयातित उत्पादों की समान वस्तु का उत्पादन किया है।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों ने वर्तमान मामले में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के संबंध में कई मुद्दे उठाए हैं। हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से इस आधार पर बाहर रखने की मांग की है कि घरेलू उद्योग इस उत्पाद किस्म का उत्पादन करने अथवा आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा आपूर्ति किए गए उत्पाद की वांछित मात्रा अथवा गुणवत्ता में उत्पाद संतोषजनक नहीं है। हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों का विश्लेषण पक्षकारों से संगत सूचना मंगाने और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान उसकी जांच करने के बाद और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकॉर्ड में प्रस्तुत साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विश्लेषण किया गया है।

9. प्राधिकारी ने सत्यापन किया कि घरेलू उद्योग सभी प्रकार के विचाराधीन उत्पादों का विनिर्माण कर रहा है, चाहे वह इम्बोस्ड पीयू हो, सीयूडे पीयू हो, अर्थात मोका हो, वास्ड पीयू हो, दोनों ओर से कोटेडे हो, माइक्रो-फाइबर-आधारित पीयू हो, आदि, जिसके लिए उन्होंने ऑर्डर प्राप्त किए हैं, विभिन्न वांछित ऑर्डर के आकार के लिए भारत में प्रयोक्ताओं को उनकी आपूर्ति की है। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को इसके बीजकों की प्रतियां भी दी हैं। जहां तक गुणवत्ता के संबंध में चिंता का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता में अंतर किसी पाटनरोधी जांच में किसी वस्तु को बाहर रखने के लिए संगत मानदंड नहीं है।

**10.** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि "समान वस्तु" के क्षेत्र से किसी उत्पाद को बाहर रखने के लिए एक कारक न होने के नाते गुणवत्ता का पहलू डीएसएम इदेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टेट द्वारा लिया गया है जिसमें यह माना गया था कि "*अपीलकर्ताओं के कानूनी सलाहकार की दलील युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उन्होंने यह दर्शाने के लिए विनिर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में कोई साक्ष्य/तकनीकी साहित्य नहीं दिया कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित उत्पाद भारत को निर्यातित सामानों से भिन्न है। वे यह सिद्ध करने में विफल रहे कि वे समान नहीं हैं, समान और परस्पर परिवर्तनीय नहीं हैं सिवाय यह उल्लेख करते हुए कि वे भिन्न ग्रेडों के हैं। गुणवत्ता में अंतर किसी वस्तु को भिन्न नहीं बनाएगा और निर्दिष्ट प्राधिकारी यह मानने में सही थे 'इस तथ्य कि गुणवत्ताएं भिन्न हो सकती हैं, का यह अर्थ नहीं है कि आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं'। इस मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दिए गए जांच परिणाम में व्यवधान डालने का हम कोई वैध कारण नहीं पाते।*"

**11.** हितबद्ध पक्षकारों (प्रयोक्ताओं) ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग शुष्क प्रक्रिया के माध्यम से ही पीयू कोटेड लैदर का उत्पादन नहीं कर सकता और इस पीयू लैदर की कीमत भी आर्द्र प्रक्रिया और शुष्क प्रक्रिया के संयोजन के माध्यम से विनिर्मित पीयू लैदर की कीमत से अधिक है और इसीलिए यह घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है और इसीलिए इस पीयू लैदर को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से अलग किया जाना चाहिए। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. के प्रतिभागी निर्यातकों/उत्पादकों ने नई प्रौद्योगिकी अर्थात् शुष्क तकनीक संबंधी इस चिंता को नहीं दर्शाया है अथवा इसका उल्लेख नहीं किया है। साथ ही, हितबद्ध पक्षकारों ने न तो यह दर्शाया है कि नई तकनीक से विनिर्मित उत्पाद का अंतिम प्रयोग, ग्राहक की प्राथमिकता, भौतिक विशेषताओं, प्रशुल्क वर्गीकरण, आदि के संदर्भ में भारत में घरेलू तौर पर विनिर्मित उत्पाद से भिन्न कैसे है और न ही नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद चीन जन.गण. से भारत में आने वाले विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा दर्शाई है। इस प्रकार, प्राधिकारी इसे हटाए जाने के अनुरोधों में कोई औचित्य नहीं पाते।

**12.** कुछ प्रयोक्ताओं ने माइक्रोफाइबर अथवा पीयू कोटिंग के बिना नॉन-ओवर फैब्रिक को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र से बाहर किए जाने के लिए स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद 'पोलियुरेथेन लैदर के रूप में परिभाषित है जिसमें एक ओर से अथवा दोनों ओर से पालियुरेथेन के साथ कोटेड किसी भी प्रकार के टेक्सटाइल शामिल हैं'। इस प्रकार, विचाराधीन उत्पाद की इस परिभाषा में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कच्चा माइक्रो फाइबर अथवा पीयू कोटिंग के बिना नॉन-ओवन फैब्रिक स्पष्ट रूप से शामिल नहीं है। तद्नुसार, इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं माना जाता है।

**13.** प्राधिकारी यह पाते हैं कि जांचाधीन उत्पाद के क्षेत्र से किसी को बाहर किए जाने की स्वीकृति देने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई मामला नहीं रखा गया है। तद्नुसार प्राधिकारी जांच की शुरुआत की अधिसूचना में परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र की पुष्टि करते हैं जो पुन: नीचे दिया गया है:

> *" विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "*पोलियुरेथेन *लैदर है जिसमें* पोलियुरेथेन *के साथ एक तरफ से अथवा दोनों तरफ से टेक्सटाइल कॉटन शामिल है" विचाराधीन उत्पाद रोल्ड रूप में अथवा शीट रूप में अथवा किसी अन्य रूप में हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद वाणिज्यिक रूप से पीयू लैदर के रूप में जाना जाता है, पीयू लैदर कृत्रिम पीयू लैदर, पीयू कोटेड फैब्रिक (प्लेन/प्रिंटेड/इम्बोस्ड)/, लाइनिंग मैटिरियल, सिंथेटिक लैदर क्लॉथ, पीयू सिंथेटिक लैदर, सिंथेटिक लैदर लाइनिंग, डिपिंग पीयू लाइनिंग आदि जैसे विभिन्न नामों से भी बाजार में बेचा जाता है। ये सभी उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के अंतर्गत भी शामिल हैं। विचाराधीन उत्पाद फर्निशिंग ऑटोमोटिव, फुटवियर, क्लोदिंग, बैग्स और वालेट जैसे कई अन्य प्रयोगों और क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है।*

**14.** प्राधिकारी रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन और सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयातित सामानों से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने इन दोनों का प्रयोग परस्पर परिवर्तनीय रूप से किया है और कर रहे हैं। अत:, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

**घ. <u>घरेलू उद्योग का क्षेत्र और आधार</u>**

**घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

**15.** घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आवेदक ने भारत में विचाराधीन का ने तो कुल उत्पादन दिया है और न ही प्रतिशतता के रूप में कुल उत्पादन में उसका हिस्सा बताया है। यद्यपि उत्पादन आंकड़े व्यक्तिगत कंपनी के लिए गोपनीय हो सकते हैं तथापि चूंकि याचिका का दो अन्य उत्पादकों ने समर्थन किया है, अत: कुल उत्पादन सकल रूप में दिया जाना चाहिए था। वर्ष 2018 की व्यापार सूचना 10 के अनुसार कुल उत्पादन का योग दिया जाना होता है, यदि दो से अधिक घरेलू उत्पादक हों। चूंकि मै. जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड इस याचिका के समर्थक हैं अत: आवेदक को तीन कंपनियों का कुल घरेलू उत्पादन देना चाहिए था जो तथाकथित रूप से भारत में संबद्ध सामानों के पूरे घरेलू उद्योग हैं।

ख. इसके अलावा, आवेदक ने संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में अपने हिस्से के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अकेला आवेदक होने के बावजूद वह एक रेंज के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। प्राधिकारी से अनुरोध कि वे आवेदक को कुल घरेलू उत्पादन में उसका हिस्सा उपलब्ध कराने का निर्देश दें ताकि हितबद्ध पक्षकार उसके तथाकथित आधार के संबंध में टिप्पणी कर सकें।

ग. 2018 की व्यापार सूचना सं. 13 में यह अपेक्षा है कि उस स्थिति में घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थक की प्रश्नावली दायर की जाए, जब वे समर्थक हैं परंतु पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 5 के तहत दायर जांच की शुरुआत के लिए आवेदन-पत्र के सह-आवेदक नहीं हैं। तथापि, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि समर्थकों द्वारा कोई प्रश्नावली का उत्तर दायर किया गया है और यदि दायर किया गया है तो उसे साझा नहीं किया गया है। अत:, याचिका में उनका समर्थन रद्द किया जाना चाहिए।

घ. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विनिर्माण में जाने से पूर्व याचिकाकर्ता का समूह भारी मात्रा में पीयू लैदर के आयातों में लगा हुआ था, यह समझा जाता है कि वे अपने संबंधित समूह के माध्यम से विचाराधीन उत्पाद का आयात करना जारी रख सकते हैं, जहां सामान्य शेयरधारिता और प्रबंधन है। प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे इस पहलू के संबंध में पूछताछ करें ताकि घरेलू उद्योग में अनुपालन के परिणामस्वरूप आधार की अपेक्षाओं की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

**घ.1 <u>घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध</u>**

**16.** घरेलू उद्योग के क्षेत्र और उसके आधार के संबंध में घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माण उस उत्पादन प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है जिसमें (i) जमाव अथवा आर्द्र प्रक्रिया और (ii) अंतरण कोटिंग अथवा शुष्क प्रक्रिया शामिल होती है। जमाव प्रक्रिया प्रमुख प्रक्रिया है जिसके बाद विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में अंतरण कोटिंग नामक परिष्करण प्रक्रिया होती है। अत:, जो भी कंपनी एक साथ इन दोनों प्रक्रियाओं को नहीं करती है बल्कि केवल अंतरण कोटिंग प्रक्रिया करती है वह विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता नहीं कही जा सकती।

ख. तद्नुसार याचिकाकर्ता के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में पीयू लैदर के तीन उत्पादक अर्थात: (i) टॉपलाइन कोमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, (ii) जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और (iii) मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड हैं। इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता के पास सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के अनुसार विनर निप्पन लैदरेट प्राइवेट लिमिटेड ('डब्ल्यूएनएलपीएल') भारत में पीयू लैदर का दूसरा उत्पादक है। तथापि, याचिकाकर्ता डब्ल्यूएनएलपीएल की उत्पादन सुविधाओं के वर्तमान स्तर के संबंध में सूचना एकत्रित नहीं कर पाया। इस प्रकार, डब्ल्यूएनएलपीएल के लिए उत्पादन, बिक्री आंकड़े याचिकाकर्ता के पास उपलब्ध नहीं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी डब्ल्यूएनएलपीएल द्वारा विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के वर्तमान स्तर का अलग से सत्यापन कर सकते हैं।

ग. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए याचिका टॉपलाइन कोमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर की गई है, जिसका अकेले जांच की अवधि में कुल भारतीय उत्पादन में 66 प्रतिशत हिस्सा है। इस याचिका का समर्थन दो अन्य घरेलू उत्पादकों ने किया है। उत्पादकों अर्थात (i) जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और (ii) मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड ने किया है।

घ. याचिकाकर्ता का नियम 2(ख) की अपेक्षा के अनुसार भारत ने विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन में प्रमुख अनुपात है। इसके अतिरिक्त, नियम 5(3) की अपेक्षा भी पूरी की गई है क्योंकि भारत में विचाराधीन उत्पाद के अन्य सभी भारतीय उत्पादक इस याचिका का समर्थन कर रहे हैं अत: याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के लिए आधार की अपेक्षा को पूरा करता है और भारतीय पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के साथ पठित नियम 2(ख) के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के लिए भारत में 'घरेलू उद्योग' है।

ड. न तो याचिकाकर्ता ने और न याचिकाकर्ता की संबद्ध समूह कंपनियों ने याचिकाकर्ता द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन शुरु करने की अवधि अर्थात जून, 2017 से किसी आयात के लिए ऑर्डर नहीं दिए हैं। याचिकाकर्ता और समूह कंपनियों से इस संबंध में संगत घोषणाएं प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई हैं।

च. हितबद्ध पक्षकारों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन और प्रतिशतता के रूप में कुल घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग के हिस्से को प्रकट न किए जाने के संबंध में गलत दावे किए हैं। घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान उल्लेख किया है कि कुल घरेलू उत्पादन में घरेलू उद्योग का 66 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 10/2018 की अपेक्षा का अनुपालन किया है और याचिका तथा जांच की शुरुआत के बाद के अनुरोध में इस संबंध में गोपनीयता के दावों के रूप में एक तालिका दी है। इसके अतिरिक्त, यह भी अनुरोध है कि चूंकि समर्थकों ने विचाराधीन उत्पाद का सीमित मात्रा में विनिर्माण किया है (कि जैसा कि मयूर ने विचाराधीन उत्पाद का अपना उत्पादन मार्च, 2020 में शुरु किया और जैश एक बहु-उत्पाद कंपनी है) और विचाराधीन उत्पाद का बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया है। अत: यह सूचना प्रदान करने से घरेलू उद्योग की संवेदनशील व्यापार सूचना, यथा उत्पादन और क्षमता प्रकट हो जाएगी। अत:, अत्यधिक गोपनीयता का मुद्दा नहीं उठता, जैसाकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है।

छ. हितबद्ध पक्षकारों ने दावा किया है कि अन्य घरेलू उत्पादकों ने समर्थक की प्रश्नावली दायर नहीं की है और इस प्रकार उनका समर्थन रद्द किया जाना चाहिए। इस संबंध में यह अनुरोध है कि चूंकि घरेलू उद्योग का कुल घरेलू उत्पादन में अकेले 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, अत: सीमित हिस्से वाले समर्थकों के लिए समर्थक की प्रश्नावली दायर करने की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है। तथापि, समर्थकों ने अपने समर्थन पत्र दायर किए ही थे।

ज. इसके अतिरिक्त, समर्थक की प्रश्नावली दायर करने की अपेक्षा को चीन जन.गण. और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा में जारी किए गए हाल के अंतिम जांच परिणामों में अनिवार्य नहीं मानी गई थी (फा.सं. 7/1/2020-डीजीटीआर), जहां चार कंपनियों ने आवेदकों के रूप में जांच में भाग लिया था और शेष 16 कंपनियों ने आवेदन-पत्र का समर्थन किया था। इस मामले में, आवेदक उत्पादकों का कुल घरेलू उत्पादन में केवल 44.6 प्रतिशत हिस्सा था और प्राधिकारी ने माना कि अकेले घरेलू उद्योग की सूचना क्षति के निर्धारण के लिए अपेक्षित है। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश करते समय निम्नलिखित टिप्पणी की:

*"68. समर्थकों के संबंध में सूचना के अभाव के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 11(2) के अनुसार, प्राधिकारी के लिए यह अपेक्षित है कि वे "घरेलू उद्योग को क्षति, घरेलू उद्योग को क्षति का खतरा, घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक मंदी निर्धारित करें"। अत:, क्षति का मूल्यांकन परिभाषित घरेलू उद्योग तक प्रतिबंधित होने की आवश्यकता है और अन्य उत्पादकों का निष्पादन असंगत है। चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति के निर्धारण के लिए अनिवार्य सभी सूचनाएं प्रतिभागी उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं अत: समर्थक उत्पादकों के निष्पादन से संबंधित सूचना इस विश्लेषण के लिए असंगत है। "*

*"124 समर्थकों के आंकड़े दायर न किए जाने के मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि उन्होंने यथा-लागू प्रपत्रों और उपयुक्त साक्ष्यों के साथ अपने दावे दायर करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को आमंत्रित किया था। समर्थकों ने घरेलू उद्योग के सदस्यों को सीमित समर्थन देने का विकल्प चुना है। तद्नुसार, प्राधिकारी ने रिकॉर्ड में दायर सूचना के आधार पर अपना निर्धारण किया है।"*

झ. उपर्युक्त के मद्देनजर यह अनुरोध है कि याचिका में समर्थन को रद्दे किए जाने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क को अविच्छिन्न नहीं किया जा सकता।

**घ.2 प्राधिकारी द्वारा जांच**

**17.** पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

> "(ख) *''घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

**18.** यह आवेदन-पत्र मैसर्स टोपलाइन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और मै. जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मै. मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड ने इसका समर्थन किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान कुल भारतीय उत्पादन में आवेदक का 66 प्रतिशत हिस्सा है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि समर्थकों के हिस्से सहित याचिकाकर्ताओं के उत्पादन का कुल भारतीय उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

**19.** जहां तक डब्ल्यूएनएलपीएल द्वारा उत्पादन के संबंध में विचार किया जाए डब्ल्यूएनएलपीएल ने प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग की याचिका का समर्थन किया है। इस प्रकार, प्राधिकरण ने डब्ल्यूएनएलपीएल के समर्थन के बिना भी नियम 5(3)(ए) के साथ पठित नियम 2 (बी) के अनुरूप घरेलू उद्योग की स्थिति का आकलन करने के लिए रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी पर विचार किया है।

**20.** याचिकाकर्ता और उसकी संबद्ध कंपनियों द्वारा आयातों के संबंध में प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से सत्यापन किया है कि न तो याचिकाकर्ता और न ही उसकी संबद्ध कंपनियों ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है।

**21.** प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि समर्थकों ने संगत सूचना से युक्त समर्थन-पत्र दायर किए हैं और वे घरेलू उद्योग द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को परिचालित किए गए थे।

**22.** रिकॉर्ड में उपलबध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है।

**23.** अत:, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग है और यह मानते हैं कि आवेदन-पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

**ङ. <u>गोपनीयता</u>**

**ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

**24.** गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. घरेलू उद्योग की याचिका के अगोपनीय रूपांतर में सीमा प्रशुल्क पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का उल्लंघन है और अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया गया है जिससे व्यापार सूचना सं. 1/2013 और 10/2018 का उल्लंघन होता है।

ख. याचिकाकर्ता ने इस तथ्य के मद्देनजर अपने आधार के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है कि आवेदक ने न तो भारत में विचाराधीन उत्पाद का कुल उत्पादन उपलब्ध कराया है और न ही प्रतिशतता के रूप में कुल उत्पादन में उसका हिस्सा। यह याचिका व्यापार सूचना सं. 10/2018 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करती और कई आंकड़े वास्तविक की बजाए प्रवृत्ति के रूप में दिए गए हैं।

ग. लागत, प्रयुक्त कच्ची सामग्री और विनिर्माण प्रक्रिया के संबंध में कोई सूचना याचिका के अगोपनीय रूपांतर में नहीं दी गई है और इतनी महत्वपूर्ण सूचना गोपनीय रखी गई है।

घ. आवेदक ने संबद्ध सामानों के कुल उत्पादन में अपने हिस्से के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अकेला आवेदक होने के बावजूद यह सूचना रेंज के रूप में दर्शाई जानी चाहिए थी।

ड. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि "बाजार स्रोतों के अनुसार घरेलू उद्योग, चीन जन.गण. में विचाराधीन उत्पाद के संबंध में भारी उपयोग न की गई क्षमताएं हैं उसे और आगे बढ़ा रहा है, जो भारत को भेजी जाएंगी"। याचिकाकर्ता द्वारा विश्वास किए गए इन तथाकथित बाजार स्रोतों को प्रकट नहीं किया गया है और वस्तुत: पूरी जांच प्रक्रिया में उसके अनुरोधों के गोपनीय रूपांतरों में भी साक्ष्य के रूप में दिया गया प्रतीत नहीं होता है। अत:, पूरा आरोप अनुमानों और अवधारणा के घेरे में है।

च. अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड ने अपने प्रश्नावली के अगोपनीय रूपांतर के उत्तर में पहले ही अपना उत्तर प्रस्तुत कर दिया है कि उन्होंने उत्पाद सूची और ब्रोसर का सैट क्यों नहीं दिया है। इन कंपनियों के पास सूची और ब्रोसर नहीं है।

छ. अनहुई फुजियन डिमा ने 9 दिसंबर, 2013 की व्यापार सूचना सं. 01/2013 और 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 में निर्धारित गोपनीयता के संबंध में सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया है।

### ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

**25.** गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए:

क. याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन-पत्र के अगोपनीय रूपांतर और अन्य सभी दस्तावेज प्राधिकारी को उपलब्ध कराए गए थे और हितबद्ध पक्षकार डीजीटीआर द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल से किसी भी समय उसे देख सकते थे। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को जांच प्रक्रिया के दौरान उसके द्वारा दायर दस्तावेज़ों के अगोपनीय रूपांतर परिचालित भी किए हैं।

ख. इस प्रकार, घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका और अन्य सभी अनुरोधों में भारतीय पाटनरोधी नियमावली और व्यापार सूचना सं. 10/2018 का पूरी तरह से और कठोरता से अनुपालन किया गया है। घरेलू उद्योग ने जहां भी आवश्यक समझा गया है, गोपनीयता के दावे करने के लिए कारण भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त, चूंकि समर्थकों ने विचाराधीन उत्पाद का सीमित मात्रा में विनिर्माण किया है (जैसा कि मयूर ने मार्च, 2020 में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन शुरु किया और जैश ने एक बहु-उत्पाद कंपनी होने के नाते विचाराधीन उत्पाद का बहुत कम मात्रा में उत्पादन किया) अत: इस प्रकार की सूचना देने से घरेलू उद्योग की उत्पादन और क्षमता जैसी व्यापार संवेदी सूचना प्रकट हो जाएगी। अत:, अत्यधिक गोपनीयता का मुद्दा नहीं उठता, जैसा कि कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने तर्क दिया है।

ग. घरेलू उत्पादकों ने क्षति मानदंडों की प्रवृत्ति दर्शाने वाले मानदंडों के सूचीबद्ध आंकड़े दिए हैं।

घ. निर्यातकों सहित हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर पूरी तरह कमीपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने व्यापार सूचना संख्या 10/2018 का उल्लंघन करते समय अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है और अविश्वसनीय अथवा गलत सूचना दी है जिससे याचिकाकर्ता अपनी टिप्पणियां देने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया है।

ड. निर्यातकों ने विनिर्माण प्रक्रिया, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में प्रयुक्त प्रमुख कच्ची सामग्री का नाम संबद्ध सामानों के निर्यात/आयात की मात्रा और मूल्य के ब्यौरे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन/बिक्री/खरीद में शामिल संबद्ध पक्षकारों से संबंधित सूचना, आदि जैसी सूचना का दावा किया है। प्रश्नावली के उत्तर का अगोपनीय रूपांतर पूरी तरह से अपर्याप्त है। हितबद्ध पक्षकारों ने वह पूरी सूचना प्रकट नहीं की है, जिसे प्रकट करना उनका दायित्व है।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

**26.** सूचना की गोपनीयता के संबंध में नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

*"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर*

*निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"*

**27.** प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावों की जांच की और संतुष्ट होने पर गोपनीयता संबंधी दावों को स्वीकार किया। प्राधिकारी मानते हैं कि कोई भी सूचना जो गोपनीय प्रकृति की है (उदाहरण के लिए, क्योंकि उसको प्रकट करने से प्रतिस्पर्धी को काफी प्रतिस्पर्धी लाभ होगा अथवा क्योंकि उसको प्रकट करने से सूचना देने वाले व्यक्ति पर अथवा उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति से सूचना प्राप्त की गई है, काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), अथवा जो किसी जांच में पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई है, अच्छा कारण दिए जाने पर, प्राधिकारी द्वारा उस प्रकार मानी जानी चाहिए। यह सूचना उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशेष अनुमति के बिना प्रकट नहीं की जा सकती।

**28.** प्राधिकारी ने निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर अनुरोध किए जाने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए।

## च. <u>विविध अनुरोध</u>

### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध:

**29.** अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

क. पाटनरोधी शुल्क लगना याचिकाकर्ताओं का एकाधिकार स्थापित करेगा और जनहित में नहीं होगा। इसका अंतिम प्रयोक्ता और एमएसएमई उद्योगों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

ख. घरेलू उद्योग ने बेचे जाने वाला लगभग 80 प्रतिशत फुवियर गैर-लैदर फुटवियर है। प्रौद्योगिकी और फैशन में परिवर्तन के कारण पीयू अब गैर लैदर फुटवियर के विनिर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री बन गया है। फुटवियर उद्योग भारत में पीयू लैदर का प्रमुख उपभोक्ता है। अत:, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से फुटवियर उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है जिससे यूनिटे बंद होंगी और रोजगार समाप्त होगा।

ग. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कीमत में कोई वृद्धि छोटे मार्जिन समाप्त कर सकती है जिस पर उद्योग वर्तमान में प्रचालन कर रहा है और क्रेताओं की कीमतों और डिजाइन अपेक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

घ. वर्तमान आवेदन पत्र में आवेदक दिनांक 12 मई, 2004 की व्यापार सूचना संख्या 02/2004 की अपेक्षाओं का पालन करने में विफल है। व्यापार सूचना के अनुसार आवेदक को जांच की अवधि और पिछले तीन वर्षों के लिए सूचना उपलब्ध करानी थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी व्यापार सूचना की अनदेखी नहीं कर सकते।

ड. 15 माह से अधिक की अवधि को मानने के लिए आवेदक द्वारा दिया गया औचित्य और प्राधिकारी द्वारा माना गया औचित्य कानून की नजर में पर्याप्त नहीं है।

च. घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका और जांच की शुरुआत से पूर्व, प्राधिकारी द्वारा लागू की गई समीक्षा का मानक कानून के तहत निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता और इस प्रकार, जांच की शुरुआत कानूनन बुरी है।

छ. याचिकाकर्ता ने शुल्क प्रति किलोग्राम के अनुसार पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है। इस संबंध में यह अनुरोध है कि विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न फैब्रिक्स में विभिन्न मिश्रण होते हैं, जो फैब्रिक का मूल्य निर्धारित करते हैं जबकि पीयू कोटिंग की लागत और उसका अनुप्रयोग फैब्रिक की सभी किस्मों पर समान है। ऊपर उल्लिखित फैब्रिक्स अध्याय 50 से अध्याय 60 के बीच विभिन्न विवरणों के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार, कोटेड फैब्रिक नॉन-ओवन, निटेड और ओवन फैब्रिक का हो सकता है। विचाराधीन उत्पाद की प्रमुख लागत दो कच्ची सामग्रियों यथा फैब्रिक और पीयू रेसिन से निकाली जाती है। अत:, एक तरफ से या दोनों ओर से कोटिंग वाले पीयू कोटेड फैब्रिक की आयात औसत कीमत का परिकलन गलत होगा और इसकी अपेक्षा इसका निर्धारण लगाए गए फैब्रिक के आधार पर किया जाना चाहिए जो प्रत्येक सीमा प्रशुल्क शीर्ष के तहत आयातित पीयू लैदर के संदर्भ में आंकड़े अलग अलग करके किया जा सकता है।

ज. यदि कोई गलत घोषणा का मामला है, तो यह सीमा शुल्क प्राधिकारियों पर है कि वे उसे ठीक करें और उसे हटाने के बाद आयात आंकड़ों में सूचित आयात मात्रा को समायोजित करें। पाटनरोधी कार्यवाहियों में यह खुद में कोई प्रतिकूल प्रभाव लेने का आधार नहीं बन सकता।

झ. आवेदक द्वारा आयात आंकड़ों की छटनी करना भी गलत है।

ञ. "फुजियान डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी, लिमिटेड" और "वेनझोऊ वाल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड" दो भिन्न कंपनियां हैं। टाइपिंग की गलती के कारण इसे "फुजियान डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी, लिमिटेड" के प्रश्नावली के उत्तर के व्याख्यात्मक रूपांतर में वह गलत रूप से उल्लिखित की गई थी क्योंकि कंपनी का अंग्रेजी नाम वेनझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है। दोनों कंपनियों के व्यापारिक लाइसेंस भिन्न हैं और दोनों पृथक कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं।

ट. 50 से कम रु. प्रति मीटर मूल्य अथवा 1000 से अधिक वाले विचाराधीन उत्पाद को आयात विश्लेषण से अलग किया जाना चाहिए।

ठ. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि ऐसे महत्वपूर्ण लेन-देन हैं जिनमें कीमतें 20 रु. से कम अथवा 1000 रु. से अधिक हैं और उन्हें असामान्य लेन-देन माना गया है। आयात आंकड़ों के अवलोकन से यह बात सामने आई कि उत्पाद गुण-धर्मों के कारण इस कीमत से अधिक पर आयात लेन-देन हैं न कि असामान्यता के कारण। वस्तुत: यह पूरी तरह से संभव है कि उत्पाद की खरीद 1000 रु. से अधिक कीमत पर की गई है। उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे घरेलू उद्योग को उसके दावे का औचित्य सिद्ध करने के निर्देश दें।

### च.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध

**30.** घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए है:

क. भारत में विचाराधीन उत्पाद के आयातक गलत घोषणाओं की कुपरिपाटी में लिप्त हैं जिसमें सीमा शुल्क से बचने के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएसएन अथवा विवरण अथवा मात्रा की गलत घोषणा शामिल है। परिणामस्वरूप, डीजीसीआईऐंडएस के आंकड़ों से ली गई आयात मात्रा और कीमतें सही नहीं हैं और वास्तविक क्षति और पाटन बहुत अधिक है।

ख. इस कुपरिपाटी की मौजूदगी विशेष सीमा शुल्क की विशेष जांच और आसूचना शाखा द्वारा दिनांक 16 अक्टूर, 2019 के प्रपत्र संख्या 02/2019 द्वारा भी पुष्टि की गई है।

ग. घरेलू उद्योग ने गौण स्रोत के आयात आकड़ों से उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जो यह सिद्ध करता है कि फाइबर ट्रेड, वेनझोऊ वोल्कानों और एनली अनहुई ने अत्यधिक कम कीमतों पर, यहां तक कि उन लागतों पर जिन पर विचाराधीन उत्पाद के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री खरीदी जा सकती है, भारत में विचाराधीन उत्पाद के काफी निर्यात किए हैं।

घ. कई चीनी निर्यातक चीन में सीमा शुल्क प्राधिकारी के समक्ष लदान के लिए सही मात्रा और मूल्य घोषित करते हैं जो भारतीय पत्तनों पर उनके द्वारा की गई घोषणा के असमान हैं। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि प्राधिकारी वास्तविक तथ्यों का सत्यापन करने के लिए भारतीय पत्तन पर सृजित निर्यात बिक्री दस्तावेजों की तुलना में निर्यात लाभ का दावा करने के लिए चीन के सीमा शुल्क विभाग में दायर तदनुरूपी दस्तावेज प्रस्तुत करने का वेनझोऊ वोल्कानो को अनुदेश देने पर विचार करें। यह अनुरोध है कि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'मेलामाइन' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा समान मुद्दे को लिया गया था जिसमें प्राधिकारी ने पाटन और उसके कीमत प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए आयातों के वास्तविक मूल्य के संबंध में डीआरआई से सूचना का अनुरोध किया था।

ङ. घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे प्रतिभागी निर्यातकों द्वारा चीन के सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत कीमतों के रिकॉर्ड प्राप्त करें और असहयोग के गंभीर प्रयास तथा वास्तविक सूचना को छिपाए जाने के रूप में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा ऐसे महतवपूर्ण आकड़े न दिए जाने पर विचार करें। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार संगत सूचना साझा करने से इंकार करता है तो उस स्थिति में घरेलू उद्योग प्राधिकारी से विनम्र अनुरोध करता है कि वे ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी मानें। साथ ही, प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे भारत में विद्यमान बाजार स्थिति का अनुकूल विश्लेषण करने के लिए चीन के सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा डीआरआई के पास उपलब्ध आंकड़े प्राप्त करें।

च. फुजियन डिमा और वेनझोऊ वाल्कानो, दोनों द्वारा दायर मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोध में यह उल्लेख किया गया है कि फुजियन डिमा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है, जिसका वितरण एकमात्र वितरक वेनझोऊ वालकोनो द्वारा भारतीय बाजार में किया जाता है। तथापि, फुजियन डिमा द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में यह दावा किया गया है कि वेनझोऊ वालकानो उसका अंग्रेजी नाम है, जो भ्रम उत्पन्न होता है, वह यह है कि यदि वेनझोऊ वालकानो, फुजियन डिमा का अंग्रेजी नाम है तो फुजियन डिमा को पृथक प्रश्नावली उत्तर दायर करने की क्या आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त, उसके पृथक प्रश्नावली उत्तर के अगोपनीय रूपांतर में उसने फुजियन डिमा के साथ अपनी संबद्धता/जुड़े होने का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार, दोनों कंपनियों की वैधता और उनकी संबद्धता, उनके द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर की पूर्णता की जांच करने और चीनी उत्पादकों द्वारा दायर उत्तरों को कमीपूर्ण, भ्रामक और अविश्वसनीय मानने और तद्नुसार इन हितबद्ध पक्षकारों को असहयोगी मानने की आवश्यकता है।

छ. आयातक कम सीमा शुल्क के घेरे में आने के लिए विचाराधीन उत्पाद की मात्रा (मीटर में) खुलकर गलत घोषित कर रहे हैं। कई मामलों में मीटरों में मात्रा आयात आंकड़ों में नहीं पकडी जाती है, जिससे व्यक्तिनिष्टता के लिए गुंजाइश रह जाती है। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क का परिकलन करने के लिए सीमा शुल्क पत्तन पर पहुंचने वाले लदान की प्रत्येक यूनिट की मीटरों में मात्रा का सत्यापन करना कठिन है और वह शुल्क प्राय: आयातकों द्वारा की गई घोषणा के आधार पर परिकलित किया जाता है जिससे शुल्क से बचने के मामले बार-बार पाए जाते हैं। घरेलू उद्योग ने पहले ही ऐसी गलत घोषणा की मौजूदगी स्वीकार करने वाले डीआरआई परिपत्र को पहले ही रिकॉर्ड में रखा है जहां विचाराधीन उत्पाद को किसी अन्य उत्पाद के रूप में गलत घोषित किया गया है अथवा मीटर में आयातों की कम मात्रा शुल्क से बचने के लिए घोषित की गई है।

ज. वैश्विक रूप से चीन सहित कई देश मीटर की बजाय किलोग्राम के आधार पर पीयू लैदर पर आधारभूत सीमा शुल्क लगाते हैं। साथ ही, टर्की ने चीन से संसेचित, कोटेड, कवर्ड अथवा पोलीयुरेथेन/लैदर प्रतिस्थापनों से लेमिनेटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स के आयात से संबंधित एक पाटनरोधी जांच में अमरीकी डॉलर/किलोग्राम में 2005 से पाटनरोधी शुल्क लगाए थे।

झ. अमरीकी डॉलर प्रति किलोग्राम में शुल्क लगाने से ऐसी किसी परिपाटी की गुंजाइश कम करने में मदद मिलेगी। इस तथ्य को मानते हुए काफी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक लदान के लिए भार का मापन सीमा शुल्क पत्तन पर किया जाता है।

ञ. घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी द्वारा जारी लागू प्रपत्रों और व्यापार सूचनाओं के अनुसार संगत अनुबंधों के साथ याचिका दायर की है।

ट. पीयू का आयात करने वाले फुटवियर उद्योग की चिंता के संबंध में पाटनरोधी शुल्क के बिना मांग की आवश्यकताओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता के संबंध में यह अनुरोध है कि भारतीय कानून के तहत मांग और आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को आवश्यक संरक्षण प्रदान न किए जाने का आधार नहीं हो सकती। पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन संबद्ध देशों द्वारा पाटन की अनुचित परिपाटियों के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त करना और घरेलू उद्योग को एक उचित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से आयात प्रतिबंधित नहीं होते और इससे प्रयोक्ता उद्योग को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होती।

ठ. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयात प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान अत्यधिक स्तर पर थे, जैसा कि प्राधिकारी और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से सिद्ध है। ये आयात कोविड प्रतिबंधों और विद्यमान कुप्रथाओं के बावजूद घरेलू बाजार में असामान्य रूप से भारी बाजार हिस्सा लेते रहे।

ड. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि 20 से कम और 1000 से अधिक के रु. प्रति मीटर मूल्य वाला विचाराधीन उत्पाद असामान्य लेन-देन हैं और उन्हें आयात विश्लेषण से बाहर किया गया है।

ढ. जहां तक जनहित के मुद्दे और प्रयोक्ता उद्योग के लिए कच्ची सामग्री की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव का संबंध है, घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. किसी पाटनरोधी जांच में "जनहित" की कोई कानूनी अपेक्षा नहीं है।

ii. यह नोट किया जाना चाहिए कि पाटनरोधी उपाय लगाए जाने का प्रयोजन घरेलू उद्योग के लिए घरेलू बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा करने हेतु एक उचित व्यापारिक क्षेत्र सृजित करना ही है।

iii. माननीय प्राधिकारी ने निरंतर माना है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि इन्हें लगाए जाने पर आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे।

iv. जहां तक प्रयोक्ताओं के इस दावे का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और कच्ची सामग्री के रूप में पीयू लैदर का प्रयोग करने वाले एमएसएमई उद्योगों के परिष्कृत सामानों के आयातों में कमी आएगी, यह नोट किया जाना चाहिए कि कच्ची सामग्री की खरीद पाटनरोधी शुल्कों सहित सीमा शुल्कों का भुगतान किए बिना अग्रिम प्राधिकार योजना के तहत की जा सकती है। इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पीयू लैदर का प्रयोग करने वाले सामानों के विनिर्माताओं अथवा निर्यातकों का निर्यात निष्पादन प्रभावित नहीं होता।

v. जहां तक पीयू लैदर के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के प्रभाव पर विचार किया जाए तो प्रयोक्ता उद्योग उनके द्वारा विनिर्मित विभिन्न उत्पादों की अंतिम उत्पादन लागत में शुल्क लगाए जाने का प्रभाव निर्धारित करने में विफल रहा है। हमारी सर्वोत्तम समझ के अनुसार, यदि फुटवियर के ऊपरी भाग के लिए एक साइड के पीयू लैदर की आवश्यकता होती है तो फिर एक मीटर पीयू लैदर से 18 जोड़ी जूतों का विनिर्माण किया जा सकता है और यदि फुटवियर के ऊपरी भाग के लिए दोनों ओर पीयू लैदर की आवश्यकता होती है तो एक मीटर पीयू लैदर से 6 जोड़ी जूते विनिर्मित किए जा सकते हैं। अत:, यह मानते हुए कि पाटनरोधी शुल्क 50 रु. प्रति मीटर है तो एक ओर के ऊपरी भाग के लिए प्रति जोड़ा 50/18= 2.77 रु. का प्रभाव होगा और दोनों ओर ऊपर के भाग के लिए उत्पाद की कुल विनिर्माण लागत में से 50/6= 8.33 रु. प्रति जोड़ा प्रभाव होगा। इस प्रकार, प्रभाव नगण्य है। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कच्चे माल के रूप में पीयू लेदर वाले जूतों की कीमत कच्चे माल के रूप में पीवीसी लेदर वाले जूतों की तुलना में बहुत अधिक है।

vi चूंकि प्रयोक्ता उद्योग उनके अंतिम उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव निर्धारित करने में विफल रहा है, अत: प्रयोक्ता उद्योग के दावे बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के मात्र अवधारणा पर आधारित हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने उपर्युक्त पैरा में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रभाव निर्धारित करने का प्रयास किया है, जो प्रयोक्ता उद्योग पर नगण्य प्रभाव दर्शाता है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इन अनुरोधों और प्रयोक्ता द्वारा उसके अभाव को देखते हुए, प्रयोक्ता उद्योग की चिंताएं आधारहीन हैं और औचित्य से परे हैं।

**च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच**

**31.** प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के सभी तर्कों और प्रतितर्कों को नोट किया है कि और वर्तमान जांच परिणाम में अनुरोधों के सभी पहलुओं, जिसे उपयुक्त माना गया, की जांच की है।

**32.** जहां तक व्यापार सूचना सं. 02/2004 के अनुपालन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि दिनांक 01.02.2018 की व्यापार सूचना सं. 02/2018, व्यापार सूचना सं. 02/2004 का अधिक्रमण करता है। घरेलू उद्योग ने व्यापार सूचना सं. 02/2018 के अनुरूप घरेलू उद्योग की याचिका के प्रपत्र के संबंध में पाटनरोधी जांच प्रक्रिया का विधिवत अनुपालन किया है।

**33.** जहां तक जांच की अवधि के रूप में 15 महीने से अधिक की अवधि पर विचार किए जाने का संबंध है, अपेक्षाकृत लंबी जांच अवधि वर्तमान जांच में उपयुक्त है क्योंकि 2020-21 पहली और दूसरी तिमाही में व्यापार कोविड-19 से प्रभावित हुआ था। कथित पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए अपेक्षाकृत लंबी अवधि अधिक उपयुक्त होगी। वह नियम 2(घक) और नियम 5(3) के संबंध में स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी के अधिकार के भीतर है। इस कारण से प्राधिकारी यह मानते हैं कि जांच की अवधि उपयुक्त है।

**34.** घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि 20 से कम और 1000 से अधिक रु. प्रति मीटर वाले विचाराधीन उत्पाद के आयात के लेन-देन को असामान्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईऐंडएस आंकड़ों के अनुसार, ये लेन-देन विचाराधीन उत्पाद के हैं। हालांकि, घरेलू उद्योग ने इस बारे में कोई कारण नहीं दिया है कि क्यों ये लेन-देन जिसमें विचाराधीन उत्पाद का लेन-देन है, असामान्य के रूप में माना जाना चाहिए। जांच की प्रक्रिया के दौरान, किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू उद्योग द्वारा अपनाई गई पद्धति के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं दी। तद्नुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 10 दिसंबर, 2021 के ईमेल के माध्यम से घरेलू उद्योग के प्रस्तावित पद्धति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां मांगी। उसके उत्तर में, चीन जन.गण. के भाग लेने वाले निर्यातकों ने यह अनुरोध किया कि 50 से कम और 1000 से अधिक रुपए प्रति मीटर मूल्य के विचाराधीन उत्पाद को आयात के विश्लेषण से बाहर किया जाना चाहिए। हालांकि, इन पक्षकारों ने ऐसे लेन-देन जो आयात विश्लेषण से विचाराधीन उत्पाद के हैं, को बाहर रखने के लिए कोई कारण नहीं दिया है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने गौण स्रोतों से आंकड़े उपलबध कराए हैं और यह तर्क दिया है कि विचाराधीन उत्पाद का आयात भी चीन जन.गण. से लगभग 40 सेंट पर हो रहा है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि चीन जन.गण. के भाग लेने वाले निर्यातकों का उत्तर विश्लेषण से सभी सस्ते आयात के लेन-देन को बाहर रखने का है। उपर्युक्त को देखते हुए, न तो घरेलू उद्योग ने और न ही किसी हितबद्ध पक्षकार ने आयात के विश्लेषण से 50 अथवा 20 से कम और 1000 से अधिक रुपए प्रति मीटर मूल्य के विचाराधीन उत्पाद के आयात लेन-देन को बाहर रखने के लिए कोई कारण नहीं दिया है, प्राधिकारी ने इसके विश्लेषण के क्षेत्र में ऐसे सभी आयात लेन-देन को शामिल करने का निर्णय लिया है।

**छ. <u>बाजार अर्थव्यवस्था निरुपण, सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>**

**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

**35.** अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन के दावे में गंभीर कमी का साक्ष्य है क्योंकि सीएनवी धारा 9क(1)(ग) के अंतर्गत मान्य नहीं है, और निर्यात कीमत का समायोजन असामान्य रूप से अधिक है और उसकी पुष्टि नहीं की गई है।

ख. याचिकाकर्ता ने निर्यात कीमत में 13 प्रतिशत की सीमा तक कटौती करने का प्रस्ताव किया था जो वापस न किए जाने योग्य मूल्यवर्धित कर है। राज्य कर प्रशासन की वेबसाइट सहित सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कानूनी अद्यतन जानकारी, विचाराधीन उत्पाद के निर्यात पर लगाए गए मूल्यवर्धित कर का समग्र 13 प्रतिशत वापस किए जाने योग्य है।

ग. चीन के अनेक निर्यातक निर्माता हैं और इस प्रकार, कमीशन/व्यापारी के लाभ के लिए समायोजन सही नहीं है और उसकी अनुमति निर्माता-निर्यातकों के लिए नहीं दी जानी चाहिए।

घ. आवेदक के उत्पादन की लागत पर सामान्य मूल्य तय करने के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रमुख कच्चा माल अर्थात पीयू रेसिन की लागत अधिक है क्योंकि उसके स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं की कमी के कारण इसका पूर्ण रूप से आयात किया जाता है।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है क्योंकि आवेदक विभिन्न प्रकार के डिजाइनों, जिसका उत्पादन आदेशों, जिन्हें कुछ डिजाइनों के लिए कम मात्राओं में दिया जाता है, के कारण अपेक्षाकृत कम समय अवधि में पर्याप्त मात्राओं में नहीं किया जा सकता है, की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, यदि इस प्रकार की विशिष्ट प्रकारों का उत्पादन पर्याप्त मात्राओं में नहीं किया जाता है तब घरेलू उद्योग लाभप्रद नहीं हो सकता है क्योंकि रिलीज पेपर्स और रोल्स जो उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं और इन खास प्रकारों के लिए विशिष्ट हैं, की लागत के प्रभाव को कम नहीं किया जा सकता है।

च. इसके अलावा, आवेदक ने अपनी याचिका में यह उल्लेख किया था कि 'अन्य निर्माण लागतों पर विचार घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर किया गया है"। हालांकि, आवेदन की परिवर्तन लागत को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि यह डिमेथिलफोर्माइड (''डीएमएफ'') की पूरी वाणिज्यक मूल्य जिसे उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान वसूली जाता है, को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। चूंकि घरेलू उद्योग को अपना पीयू रेसिन का आयात उसके घरेलू उत्पादकों के नहीं रहने के कारण करना होता है, यह डीएमएफ, जिसकी वसूली पीयू रेसिन के ऐसे घरेलू उत्पादकों के न होने की स्थिति में उत्पादन प्रक्रिया के दौरान की जाती है, की फिर से बिक्री करने में सक्षम नहीं है। यह घरेलू उद्योग की उत्पादन की लागत में बहुत अधिक हद तक वृद्धि करता है और वैश्विक स्तर पर ईयू रेसिन के उत्पादन की मानक लागत की सटीक तस्वीर पेश नहीं करता है।

छ. आवेदक की परिवर्तन लागत भी विश्वसनीय नहीं है क्योंकि आवेदक ने स्वीकार्य तौर पर जून, 2017 में ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया है। इस कारण से, यह प्राकृतिक सेक्विटुर के रूप में अनुसरण करता है जो इसमें अपने प्रचालनों में पूरी क्षमता और स्थिरता प्राप्त नहीं की होती और इस कारण से उत्पादन की लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। अत: यह अनुरोध किया जाता है कि यदि आवेदक की परिवर्तन लागत को लिया जाता है तब प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे स्टार्ट-अप लागत समायोजन का कारण बताएं और तद्नुसार परिवर्तन लागत को कम करें।

ज. वर्तमान मामले में, स्पष्ट रूप से आवेदक द्वारा उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए भुगतान योग्य कीमत का निर्धारण करने के वास्ते कोई प्रयास नहीं किया गया था, जिसके न होने पर ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों अथवा ऐसे तीसरे देश में संरचित कीमत का निर्धारण किया जा सके। अत:, आवेदक द्वारा दायर की गई याचिका अपूर्ण थी और इसे आरंभ में ही अस्वीकार किया जाना चाहिए था।

झ. विश्व व्यापार संगठन में चीन जन.गण. को शामिल किए जाने संबंधी नवाचार की धारा 15(क) (ii) 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। उस तिथि के बाद भारत के पास अब गैर-बाजार अर्थव्यवस्था पद्धति का उपयोग करते हुए चीन के उत्पादों का पाटनरोधी जांच में सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के व्यापार करार के अंतर्गत कानूनी आधार नहीं है। भारत द्वारा इस प्रकार की कोई कार्रवाई पाटनरोधी करार और अन्य शामिल किए गए करार की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होगी।

ञ. इस प्रकार से, प्राधिकारी चीन जन.गण. को "बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा" देंगे, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार किसी सामान्य मूल्य की गणना करेंगे: और कम से कम सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए चीन के निर्यातकों द्वारा उनके उत्तर में दी गई लागतों और कीमतों के संबंध में आंकड़े लागू करेंगे।

**छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

**36.** घरेलू उद्योग द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं।

क. यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, आरोहण नवाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़े के माध्यम से भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। चीन जन.गण. को मान लिया गया है और उसे पूरे विश्व में विभिन्न प्राधिकारों द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत कार्य करता हुआ माना गया है। इसके अलावा, हाल तक, डीजीटीआर ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए आयातों के संबंध प्रत्येक पाटनरोधी जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में चीन जन.गण. को माना है। इसके अलावा, भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I का पैरा 1 से 6 चीन जन.गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए लागू नहीं होता है यदि उत्पादक/निर्यातक पर्याप्त साक्ष्य के साथ यह नहीं दर्शाता है कि यह बाजार अर्थव्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इस कारण से, चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है।

ख. याचिकाकर्ता ने चीन जन.गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना है और चूंकि यह संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमत के संबंध में कोई सूचना संग्रह नहीं कर सका, अत: घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित तरीके से "*उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई/भुगतान की जाने वाली कीमत, यदि आवश्यक हो*" के आधार पर सामान्य मूल्य संरचित किया है: (1) कच्चे माल की खपत और कीमतों को घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर विचार किया गया है। विचाराधीन उत्पाद अर्थात पीयू रेसिन के निर्माण के लिए अपेक्षित प्रमुख कच्चे माल का आयात घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है। इस कारण से, घरेलू उद्योग के कच्चे माल की कीमतें प्रमुख कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को दर्शाता है और उन्हीं कीमतों पर विचार सामान्य मूल्य को तय करने के लिए किया गया है। (2) परिवर्तन लागत, एसजीए लागत और वित्त लागतों पर विचार घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर किया गया है, (3) 5 प्रतिशत के लाभ मार्जिन पर सामान्य मूल्य तय करने के लिए विचार किया गया है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर की गई यह याचिका जांच के आरंभ के बाद का अनुरोध स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि सामान्य मूल्य की गणना उक्त तरीके से की गई थी।

ग. याचिकाकर्ता ने डीजीसीआईऐंडएस से लिए गए आंकड़ों के अनुसार जांच की अवधि के लिए विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मात्रा और मूल्य पर विचार करते हुए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। कारखानागत संरचित सामान्य मूल्य से उचित तुलना करने के लिए चीन जन.गण. से कारखानागत निर्यात कीमत तय करने के लिए, समायोजन (1) समुद्री भाड़े (2) अंतरदेशीय भाड़े (3) समुद्री बीमा (4) कमीशन/व्यापारी का लाभ (5) बैंक शुल्क (6) पोर्ट हैंडलिंग खर्च (7) वापस न किए जाने वाले मूल्यवर्धित कर (चीन जन.गण. के मामले में) के लिए किया गया है। विश्व व्यापार संगठन में चीन के आरोहण नवाचार के संबंध में, प्राधिकारी ने निरंतर रूप से यह माना है कि जबकि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, आरोहण नवाचार के 15(क)(i) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़े के माध्यम से भारतीय पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड को पूरा किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में, यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि चीन

जन.गण. के किसी भी उत्पादक अथवा निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था निरुपण ('एमईटी') का दावा नहीं किया है और न ही उन्होंने सामान्य मूल्य के संबंध सूचना प्रस्तुत की है।

घ. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन की गणना कानून में निर्धारित पद्धति के अनुसार और प्राधिकारी की निरंतर कार्य-पद्धति को ध्यान में रखते हुए की है। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि संगत सूचना के साथ समग्र कार्य-पद्धति प्राधिकारी को ऐसी गणना के लिए उपलब्ध कराया गया।

ड. चीन जन.गण. से पाटन मार्जिन बहुत अधिक है। वैश्विक स्तर पर अन्य देशों ने भी चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटन का मुकाबला करने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, तुर्की ने 2005 से चीन जन.गण. से आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया था जिसे 2016 में आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। इस कारण से, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए चीन के उत्पादकों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में संबद्ध वस्तुओं का पाटन करने की प्रवृत्ति है।

च. याचिकाकर्ता ने 1.4 रु./मीटर की औसत समुद्री भाड़े पर विचार किया है। इस भाड़े को तय करने के समर्थन में दस्तावेज प्राधिकारी को गोपनीय रूपांतर में प्रस्तुत किया गया है और वे लदान करने वाली एजेंसियों से प्राप्त किए गए वास्तविक शुल्क दरों पर आधारित हैं।

छ. कमीशन/व्यापारी का लाभ, व्यापारियों द्वारा अर्जित किए गए लाभ अथवा निर्माताओं द्वारा भुगतान की गई बिक्री कमीशन को दर्शाता है। याचिकाकर्ता की समझ के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद को सीधे निर्माताओं द्वारा तथा भारत में व्यापारियों के माध्यम से बेचा जाता है। इसके अलावा, ये सामान्य समायोजन हैं जिनकी अनुमति प्राधिकारी द्वारा विभिन्न अन्य जांचों जेसे अलु-जिंक पाटनरोधी जांच, डीपीपी रेड पाटनरोधी जांच में दी गई है। याचिकाकर्ता प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे भाग लेने वाले निर्यातकों से इन समायेाजनों के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध करें। इसके अलावा, किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने इन समायोजनों के विरुद्ध तर्क नहीं दिया है।

ज. फुजियन डिमा और वेनझोऊ वालकनो द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोधों में, यह कहा गया है कि फुजियन डिमा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादक है जिसने आगे भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का वितरण एकमात्र वितरक, वेनझोऊ वालकनो द्वारा किया जाता है। हालांकि, फुजियन डिमा द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में, यह दावा किया गया है कि वेनझाऊ वालकनो इसका अंग्रेजी नाम है। इस भ्रांति के कारण वेनझोऊ वालकनो का संपूर्ण कानूनी आधार पर प्रश्न खड़ा हो गया। प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे दो कंपनियों और उनके संग की औचित्यता की जांच करें और तद्नुसार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर की पूर्णता पर उनके सहयोग अथवा उसमें कमी पर विचार किरें।

झ. चीन के अनेक निर्यातक भारतीय पोर्ट में उनके द्वारा की घोषणा के विपरीत चीन में सीमा शुल्क प्राधिकार के समक्ष लगान के लिए सही मात्रा और मूल्य की घोषणा करते हैं। घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह अनुरोध करते हैं कि वे भाग लेने वाले निर्यातकों द्वारा चीन के सीमा शुल्क प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किए गए कीमत रिकॉर्ड को प्राप्त करें और असहयोग तथा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने के गंभीर प्रयास के रूप में उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का प्रावधान नहीं करने पर विचार करें। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार संगत सूचना देने से इंकार करता है तब उस स्थिति में, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से यह अनुरोध करता है कि वे ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी के रूप में मानें। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे पाटन और इसके कीमत प्रभाव का आकलन करने के लिए आयातों की वास्तविक मूल्य के संबंध में डीआरआई से सूचना प्राप्त करें, जैसाकि चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए 'मेलामाइन' के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा में भी किया गया था।

ञ. डीएमएफ के आसवन की प्रक्रिया से निकाला जाता है और उसके अधिकांश भाग की खपत कैप्टिव रूप से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है और यदि बहुत कम मात्रा में यह बच जाता है तब इसकी बिक्री वाणिज्यिक मूल्य पर की जाती है। जहां तक रोलर्स और रिलीज पेपर्स की खपत का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि रोलर्स 15-25 वर्षों के जीवन-काल वाली एक परिसंपत्ति है और रिलीज पेपर की खपत घरेलू उद्योग द्वारा सर्वश्रेष्ठ उद्योग कार्य-पद्धति के अनुसार बार-बार किया जाता है। इसके अलावा, रोलर्स और रिलीज पेपर्स का उत्पादन घरेलू स्तर पर किया जाता है तथा उसका आयात विभिन्न देशों से आवश्यकता के आधार पर किया जाता है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

**37.** धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य यह है:

*(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा*

*ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-*

*(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;*

*(ख) बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।*

**38.** जांच की शुरुआत के समय, प्राधिकारी ने उन तथ्यों, जिन्हें जांच को शुरु करने के लिए प्रथमदृष्टया पर्याप्त माना गया था, पर विचार करते हुए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया। हालांकि जांच की शुरुआत के बाद सामान्य मूल्य का निर्धारण हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त उत्तरों पर विचार करने के बाद किया गया है। प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराओं में पाटन के संबंध में घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों पर चर्चा की है।

**39.** प्राधिकारी ने संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को उन्हें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना उपलब्ध कराने के लिए सलाह देते हुए प्रश्नावलियां भेजी थी। निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के निर्धारित उत्तरों को प्रस्तुत कर इस जांच में सहयोग किया है:

i. अनहुई अनली मेटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड

ii. फुजियान डिमा सिंथेटिक कंपनी लिमिटेड

iii. वेनझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड

**40.** हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

**छ.4 चीन जन.गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण**

**<u>चीन के उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था के दावे</u>**

**41.** डब्ल्यूटीओ में चाइनीज एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

"जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार एक डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों की संलिप्तता की कार्यवाहियों में लागू होंगे जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

*(क) जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:*

*(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।*

*(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।*

*(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।*

*(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।*

*(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"*

**42.** यह नोट किया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (क) (II) में निहित प्रावधान 11-12-2016 को समाप्त हो गया है, प्रवेश नवाचार के 15 (क) (I) के अंतर्गत दायित्व के साथ पठित विश्व व्यापार संगठन के के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जा का दावा करने के लिए पूरक प्रश्नावली में दिए जाने हेतु सूचना/आंकड़ों के माध्यम से संतुष्ट किए जाने के लिए भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड अपेक्षित हैं। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक/निर्यातक ने एमईटी/पूरक प्रश्नावली का उत्तर निर्धारित रूप में और तरीके से प्रस्तुत नहीं किया है, सामान्य मूल्य की गणना इस नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

**चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**

**43.** इस नियमावली के अनुबंध-I का पैरा 7 निम्नलिखित रुप में पठित है:

*"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"*

**44.** चूंकि चीन जन.गण. के किसी भी उत्पादक ने अपने आंकड़े/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण का दावा नहीं किया है, अत: सामान्य मूल्य का निर्धारण इस नियमावली के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

**45.** यह नोट किया जाता है कि एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में इस उत्पाद की कीमतों अथवा संरचित मूल्य या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतों को आवेदक अथवा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास यह उपलब्ध है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य का निर्धारण लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित भारत में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत, जिसका निर्धारण बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन की इष्टम लागत पर विचार करते हुए किया गया है, के आधार पर किया गया है।

**46.** तद्नुसार, संबद्ध देश से सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है:

**छ.5 चीन जन.गण. के लिए के निर्यात कीमत का निर्धारण**

**क) अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण.(उत्पादक) के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण**

**47.** जांच की अवधि के दौरान, अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने ***यूएसडॉलर बीजक मूल्य के लिए भारत को ***मीटर विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है जिसमें से बीजक मूल्य ***यूएसडॉलर के लिए ***मीटर विचाराधीन उत्पाद भारत को एक अन्य असंबंधित व्यापारी नामत: डेसिप्रो प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से निर्यात किया गया है। यह अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत को किए गए कुल निर्यात का केवल *** प्रतिशत है। चूंकि मात्रा बहुत कम है अत: प्राधिकारी ने डेसिप्रो प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर के माध्यम से अनहुई द्वारा किए गए निर्यातों पर विचार नहीं किया।

**48.** अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतरदेशीय ढुलाई, पोर्ट और अन्य संबंधित खर्च, बैंक शुल्क और कमीशन के कारण समायोजन का दावा किया है, जिनकी अनुमति दी गई है। तद्नुसार, यथा निर्धारित कारखानागत निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

**फुजियान डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण (उत्पादक),वेनझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (निर्यातक) के लिए निर्यात कीमत**

**49.** जांच की अवधि के दौरान, फुजियान डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड (फुजियान डिमा) ने असंबंधित व्यापारी नामत: वेनझोऊ वोल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, (वेनझोऊ वोल्कानो) चीन जन.गण. के माध्यम से *** यूसडॉलर बीजक मूल्य के ***मीटर विचाराधीन उत्पाद भारत को निर्यात किया है। फुजियान डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड ने एक्स-वर्क आधार पर वेनझोऊ वोल्कानाके इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. को संबद्ध वस्तुओं की बिक्री की है।

**50.** घरेलू उद्योग ने डीएस को टिप्पणियों में फ्यूजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड और वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के उत्तरों में अनेक विसंगतियों को दोहराया है और संबंधित प्रविष्टि बिल और भुगतान का प्रमाण, जिसे इसके द्वारा दिनांक 7 जनवरी, 2022 के पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, के साथ जांच की अवधि के दौरान वेनझोऊ वोलकेनो से दो नमूने बीजक फिर से प्रस्तुत किए। घरेलू उद्योग ने अन्य विसंगतियों, जिसे विशेष रूप से दर्शाया गया था, के साथ इनके उत्पादक/निर्यातक द्वारा गलत घोषणा के इसके दावे जारी रखते हुए वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर को देखते हुए इन दस्तावेजों की क्रॉस जांच के लिए अनुरोध किया था। प्राधिकारी ने फुजियन डिमा और वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों की फिर से जांच की है और इन उत्तरों में निम्नलिखित मुद्दे पाए हैं:

क. वेनझोऊ वोलकेनो से आयातों के लिए घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए दोनों बीजक जांच की अवधि के दौरान वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा फुजियन डिमा से लिए गए और वेनझोऊ वोलकेनो के प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद के लिए थे। जबकि, बीजक मूल्य प्रविष्टि के बिल, उसी अवधि में भुगतान का प्रमाण तथा डीजी पद्धति आंकड़े से मेल खाता था, मूल्य वेनझोऊ वोलकेनो के प्रश्नावली के उत्तर में दी गई सूचना से मेल नहीं खाता था। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि वेनझोऊ वोलकेनो ने प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए त्रुटि-पत्र के उत्तर के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए एक ऐसे बीजक के लिए उसी अवधि में चीन के सीमा शुल्क दस्तावेज उपलब्ध कराए थे। इस प्रकार, चीन के सीमा शुल्क में सूचित किए गए आंकड़ों और डीजी पद्धति आंकड़ों में अंतर है। इस कारण से प्राधिकारी नोट करते हैं कि वेनझोऊ वालकेनो के उत्तर में सूचित किए गए और चीन के सीमा शुल्क आंकड़ों में लिए गए बीजक मूल्य उस मूल्य से अपेक्षाकृत अधिक हैं, जिसे डीजी पद्धति आंकड़ों में रिकॉर्ड किया गया है।

ख. इसके अलावा, प्राधिकारी ने यह भी नोट किया कि प्रश्नावली के उत्तरों के अनुसार, फुजियन डिमा ने पहली बार जून, 2019 में वेनझोऊ वोलकेनो को विचाराधीन उत्पाद की आपूर्ति की थी। हालांकि, वेनझोऊ वोलकेनो ने उपलब्ध नहीं के रूप में मालसूची के साथ अप्रैल, 2019 में फुजियन डिमा से लिए गए भारत को विचाराधीन उत्पाद की पहली आपूर्ति की सूचना दी है। इस प्रकार, फुजियन डिमा और वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली का उत्तर यह दर्शाता है कि वेनझोऊ वोलकेनो फुजियन डिमा से इसकी खरीद करने के पूर्व भी फुजियन डीमा द्वारा निर्मित उत्पाद का निर्यात कर रहा है।

ग. फुजियन डिमा ने जांच के बाद की अवधि के दौरान वेनझोऊ वालकेनो को अनेक बिक्री की सूचना दी है, जिसके फलस्वरूप अगर उसे बाहर रखा गया तो जांच की अवधि के दौरान फुजियन डिमा से वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा खरीदी गई मात्रा और आगे इसे भारत को किए गए निर्यात की मात्रा के बीच असमानता हो जाएगी।

घ. फुजियन डिमा ने प्रश्नावली के उत्तर और अपने बाद के स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया था कि वेनझोऊ हुआशंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का नाम बदलकर अगस्त, 2020 में वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड कर दिया गया था। हालांकि, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया बीजक, जो नवंबर, 2019 का है "वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड" नाम से जारी किया गया है, जिसे प्रविष्टि के बीच और भुगतान के प्रमाण में भी पाया गया है। निर्यातों के लिए अनेक लेन-देन के रूप में डीजी पद्धति आंकड़े भी अगस्त, 2020 के पहले "वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड" नाम से किया गया। यह अगस्त, 2020 में नाम बदले जाने के पहले भी "वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड" के अस्तित्व में होने को संसूचित करता है, जैसाकि भाग लेने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

ड. प्राधिकारी ने फुजियन डिमा और वेनझोऊ वोलकेनो को स्पष्टीकरण की मांग करते हुए दिनांक 23 दिसंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को त्रुटिपत्र जारी किया था और इसके साथ ही इन मुद्दों पर 16 फरवरी, 2022 और 17 फरवरी, 2022 को उत्पादक/निर्यातक के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। प्राधिकरण ने उपरोक्त कमियों के संबंध में निर्माता/निर्यातक को 18 फरवरी 2022 को एक ईमेल भी भेजा।

च. उत्पादक/निर्यातक ने निर्धारित समय-सीमा के बाद 18 फरवरी, 2022 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने इसके उत्तरों पर विचार किया है और वह निम्नानुसार नोट करते हैं:

i. उत्पादक/निर्यातक ने अपने अनुबंधों में जांच की अवधि के बाद की अवधि के आंकड़ों को शामिल किए जाने के संबंध में अनुरोध किया है कि वेनझोऊ वोलकेनो भारत को संबद्ध वस्तुओं के वास्तविक लदान के महीने में वाणिज्यिक बीजक जारी करता है, जबकि फुजियन बीमा उसके बाद के महीनों में वेनझोऊ वोलकेनो को मूल्यवर्धित कर-बीजक जारी करता है। हालांकि, प्राधिकारी इस स्पष्टीकरण को इस तथ्य को देखते हुए पर्याप्त नहीं पाते हैं कि वस्तु मूल्यवर्धित कर-बीजक के जारी किए जाने के बिना उत्पादक के वेयरहाउस को नहीं छोड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप भारत को लदान नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उत्पादक/निर्यातक ने अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ii. प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि डीजी पद्धति आंकड़ों की तुलना में प्रश्नावली के उत्तर में सूचित किए गए बीजक मूल्य के बीच अंतर के संबंधित मुद्दे के संबंध में उत्पादक/निर्यातक ने केवल बीजक, पैकिंग सूची, शिपिंग बिल और असमानता के संबंध में बिना किसी स्पष्टीकरण के उच्चतर बीजक मूल्य की सूचना देते हुए चीन के सीमा शुल्क के साथ घोषणा के संबंध में दस्तावेज फिर से प्रस्तुत किए हैं। इस प्रकार, उत्पादक/निर्यातक ने उपर्युक्त मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। उल्लेखनीय रूप से, उत्पादक/निर्यातक कोई भी दस्तावेज जो उत्पादक/निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक के विरुद्ध बैंक द्वारा धन का प्रेषण दर्शाते हुए प्रस्तुत करने में असफल रहा है। यह विशेष रूप से संगत है क्योंकि घरेलू उद्योग ने कमतर बीजक मूल्य वाले उत्पादक/निर्यातक के बीजकों के विरुद्ध बैंक द्वारा धन का प्रेषण दर्शाते हुए दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जो डीजी पद्धति आंकड़ों में भी दर्शाया जा रहा है।

iii. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उत्पादक/निर्यातक ने अगस्त, 2020 में नाम में परिवर्तन किए जाने के पूर्व भी वेनझोऊ वोलकेनो द्वारा निर्यात के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

**51.** प्राधिकारी के उपर्युक्त जांच और पर्याप्त स्पष्टीकरण, वेनझोऊ वोलकेनो और फुजियन डिमा द्वारा सहयोग की कमी को देखते हुए, प्राधिकारी ने फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड और वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के उत्तरों को अस्वीकार करने और उन्हें असहयोगी के रूप में मानने का निर्णय लिया है। तद्नुसार, फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड और वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड के लिए निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित की गई हैं और वह वही है, जैसाकि सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित निर्यात कीमत है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है.

**ख) <u>चीन जन.गण. के असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए</u>**

**52.** प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(8) के संबंध में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार चीन जन.गण. के सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया है। इस उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईऐंडएस आंकड़ों में सूचित किए गए अनुसार और उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की प्रश्नावली का उत्तर में दिए गए आयातों पर विचार किया है। सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए इस प्रकार से निर्धारित निर्यात कीमत का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

**छ.6 <u>पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>**

**53.** यह नोट किया किया जाता है कि संबद्ध जांच में, अनेक सहयोगी उत्पादक और निर्यातक एक दूसरे से संबंधित हैं और संबंधित कंपनियों का एक समूह बनाते हैं। प्राधिकारी की यह निरंतर कार्य-पद्धति रही है कि वे पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए एक प्रतिष्ठान के रूप में संबंधित निर्यात करने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को माने और इस प्रकार से उनके लिए एकमात्र पाटन मार्जिन स्थापित करें। यह इसलिए है क्योंकि अलग-अलग पाटन मार्जिन की गणना पाटनरोधी शुल्कों की प्रवंचना को प्रोत्साहित कर सकता है और इस प्रकार वे अप्रभावी हो जाएंगे और इसके साथ ही न्यूनतम अलग-अलग पाटन मार्जिन के साथ कंपनी के माध्यम से भारत को अपने निर्यात करने के लिए संबंधित निर्यात करने वाले उत्पादक समर्थ हो पाएंगे।

**54.** उपर्युक्त के अनुसार, चीन जन.गण. के संबंधित उत्पादकों/निर्यातकों को एकमात्र कंपनी के रूप में माना गया है और एकमात्र पाटन मार्जिन को जिम्मेदार ठहराया गया है जिसकी गणना सहयोगी संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के पाटन मार्जिन के भारित औसत के आधार पर की गई थी।

**55.** सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत, जिसका निर्धारण ऊपर में किया गया है, पर विचार करते हुए संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया गया है और उसका उल्लेख नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

| देश | उत्पादक/निर्यातक | सामान्य मूल्य (अमरीकी डॉलर/मीटर | एनईपी (अमरीकी डॉलर/मीटर | पाटन मार्जिन (अमरीकी डॉलर/मीटर | पाटन मार्जिन % | रेंज % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चीन जन.गण. | अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी कंपनी, लिमिटेड | *** | *** | (***) | (***) | (50)-(40) |
| चीन जन.गण. | अन्य उत्पादक और निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 60-70 |

**ज. <u>क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन</u>**

**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

**56.** अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, क्षति का खतरा और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. घरेलू उद्योग को मात्रा में कोई क्षति नहीं हुई है क्योंकि पाटनरोधी करार के अंतर्गत अपेक्षा या तो पूर्ण रूप में अथवा उत्पादन और खपत की तुलना में आयातों में वृद्धि हुई है, जिसे पूरा नहीं किया गया है।

ii. याचिकाकर्ता द्वारा क्षति से संबंधित शिकायत खुद के कारण हुई है क्योंकि इसमें जानबूझकर अपनी कीमतों को चीन से आयातों की कीमत की तुलना में बहुत कम अर्थात 20 से 30 प्रतिशत तक रखा है। कटौती के मार्जिन में कमी का भारत में उत्पादकों और निर्यातकों के कीमत संबंधी व्यवहार से कोई संबंध नहीं है और बल्कि यह याचिकाकर्ता की त्रुटिपूर्ण कीमत निर्धारण नीति के कारण हुई है।

iii. घरेलू उद्योग स्पष्ट तौर पर बिक्री की लागत में वृद्धि की दर के अधिक अलावा अपनी कीमतों को बढ़ाने में सक्षम हुआ है।

iv. कीमत में कटौती की तुलना भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए मूल्यांकन और न कि बीजक मूल्य पर मूल सीमा शुल्क की गणना करने के बाद किया जाना चाहिए।

v. आवेदक के उत्पादन की बढ़ी हुई लागत और इसकी उच्चतर क्षतिरहित कीमत एक उत्पाद के रूप में उत्पादन किए गए डीएमएफ लागत की वसूली करने के लिए अपनी असमर्थता, रोलर्स और रिलीज पेपर्स जैसे उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की उच्च खपत, जिसका उपयोग ऑर्डर की मात्रा पर ध्यान दिए बिना विभिन्न प्रकार के डिजाइनों की आपूर्ति करने के लिए घरेलू उद्योग के आग्रह के कारण पूरी सीमा तक नहीं किया जा सकता है, उपर्युक्त उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा इसकी की मुख्य इनपुट अर्थात पीयू रेसिन के आयात पर निर्भरता, मशीनरी की खरीद की असाधारण लागत जो बाजार मानदंड से बहुत अधिक था और न कि चीन से आयातों की कीमतें जो निरंतर रूप से वृद्धि दर्शाते हैं, के कारण हुई है।

vi याचिकाकर्ता की कम क्षमता उपयोग कोविड-19 लॉकडाउन के कारण हुई थी, जो आगे कोविड-19 के कारण भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग में स्वीकार किए गए स्लम द्वारा कई गुना हो गया था।

vii. यह स्वाभाविक ही है कि घरेलू उद्योग स्टार्ट-अप समस्याओं का सामना करेगा और उसे अपने प्रचालन को स्थिर रखने और लागत कार्य क्षमता को प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगेगा क्योंकि इसने हाल ही में ही प्रचालन शुरु किया है।

viii. चीन से आयात मांग-आपूर्ति में अंतर के कारण बहुत अधिक रहा है।

ix. घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया साक्ष्य अथवा कथन केवल यह सिद्ध करता है कि चीन विचाराधीन उत्पाद का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है जो उस अतिरिक्त क्षमता को नहीं दर्शाता है, जिसकी बिक्री भारत में की जाएगी।

x. याचिकाकर्ता ने यह नहीं दर्शाया है कि विचाराधीन उत्पाद पर टर्की द्वारा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने के बाद, टर्की में बाजार और अधिक संकुचित हो गया। याचिकाकर्ता का आधारहीन कथन और दावे पर वास्तविक क्षति के खतरे का मत बनाने के लिए विश्वास नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वह न तो तथ्य पर आधारित है अथवा कानून पर नहीं।

xi. घरेलू उद्योग को अपने निर्यात कार्य-निष्पादन के कारण वास्तविक क्षति हुई है क्योंकि उसमें कमी आई है।

xii. समर्थन करने वाले उत्पाद घरलू उद्योग की तुलना में बेहतर कार्य-निष्पादन कर रहे हैं।

xiii. कहीं भी घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति अथवा उसके खतरे का आकलन करने के लिए एक बेंच-मार्क के रूप में परियोजना रिपोर्ट में कोई अनुमान नहीं है।

xiv. कोई अलग दिशानिर्देश कोविड-19 लॉकडाउन से निपटने के लिए प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित नहीं है और वह पद्धति जिसे लॉकडाउन के दौरान उपयोग न की गई क्षमता को बाहर रखने के लिए अपनाया जाना चाहिए।

xv. याचिकाकर्ता ने यह शिकायत की है कि यह जिस किसी भी मात्रा में उत्पादन किया गया है, की बिक्री करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता का इसकी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मालसूची कुछ ही दिनों तक रखा गया है।

xvi. याचिकाकर्ता की हानि में बहुत हद तक कमी आई है।

xvii. चीन से आयातों में कमी इस बात की पुष्टि करता है कि चीन में कोई स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमताएं नहीं है।

xviii. याचिकाकर्ता की पूंजी संरचना बहुत अधिक त्रुटिपूर्ण है। इस कारण से, इसकी उच्च वित्तपोषण लागत है जिसने उसके द्वारा इसकी लाभद्रत्ता पर प्रभाव डाला है।

xix. घरेलू उद्योग की वास्तविक खपत बहुत अधिक है जो अकार्य-क्षमता को दर्शाता है जबकि जैश और मयूर की वास्तविक खपत बेहतर है।

xx. घरेलू उद्योग के आर्थिक कार्य-निष्पादन में बढ़े हुए बाजार हिस्से, बढ़ा हुआ बिक्री कीमत, कम हुई हानि, कम नकद हानि, सुधारा हुआ आरओसीई और कम मालसूची के मामले में सुधार हुआ है।

xxi. अनुबंध-II के अंतर्गत निर्धारित आवश्कताओं में से कोई भी आवश्यकता वर्तमान मामले में पूरा नहीं की गई है।

xxii. कीमत में कोई कटौती अथवा कीमत ह्रास/न्यूनीकरण नहीं हुआ है।

xxiii. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति अथवा वास्तविक क्षति का खतरा नहीं है।

xxiv. घरेलू उद्योग का चीन जन.गण. से उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमता के संबंध में दावा प्रमाणित नहीं किया गया है।

xxv. अनहुई 100 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और इसके पास कोई अतिरिक्त अथवा अधिक क्षमता नहीं है। चीन जन.गण. से उत्पादकों की अतिरिक्त क्षमता के संबंध में घरेलू उद्योग का दावा त्रुटिपूर्ण और भ्रामक है।

xxvi. घरेलू उद्योग वास्तविक क्षति और उसके खतरे, दोनों का दावा नहीं कर सकता है। यह इस तथ्य को देखते हुए है कि क्षति के सभी तीन रूपों अथवा वर्तमान मामले में दो रूप उसी घरेलू उद्योग के संबंध में उसी समय मौजूद नहीं हो सकते हैं क्योंकि वे आपस में अनन्य हैं।

xxvii. चूंकि घरेलू उद्योग को विशेष फैब्रिक तथा रिलीज पेपर (कोटिंग ट्रांसफर पेपर) और इम्बास रोलर का आयात उस विशिष्ट प्रकारों, जो उपभोक्ता द्वारा अपेक्षित हो, का निर्माण करने के लिए करना है, नमूना बनाने में विलंब के फलस्वरूप ऑर्डर की हानि होती है क्योंकि घरेलू उद्योग ऐसे आयातों पर निर्भर है, जिसकी खरीद करने में समय लगता है।

xxviii. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता भी विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने के लिए लगाई गई उसी मशीनरी के साथ पीवीसी कोटेड फैब्रिक की बिक्री करने के परिणामस्वरूप लाभ और बिक्री से आय को शामिल करने के बाद जांच की जानी अपेक्षित है।

**ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

**57.** क्षति घरेलू उद्योग द्वारा क्षति, क्षति का खतरा और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चीन जन.गण. के निर्यातक भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन कर रहे हैं जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति का खतरा भी है।

ii. विचाराधीन उत्पाद का भारतीय उत्पादक भारत में विचाराधीन उत्पाद की मौजूदा मांग को पूरा करने के लिए चीन जन.गण. से पाटित आयातों के मौजूद रहने की स्थिति को देखते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं है उसके बावजूद, घरेलू उद्योग भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर क्षमता विस्तार में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं।

iii. विभिन्न गलत प्रथाओं के कारण चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की वास्तविक मात्रा बहुत अधिक है जिसे आयात आंकड़ों में दर्शाया नहीं गया है। फिर भी, चीन जन.गण. से सापेक्ष और पूर्ण रूप में विचाराधीन उत्पाद के आयात क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक रही है।

iv. भारत में विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मांग होने के बावजूद, जबकि क्षति की अवधि के दौरान चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों का बाजार हिस्सा *** प्रतिशत से *** प्रतिशत के बीच रहा है, याचिकाकर्ता और समर्थक दोनों को मिलाकर बाजार हिस्सा जांच की अवधि तथा क्षति की पूरी अवधि के दौरान एक अंक में रही है।

v. घटते हुए आयातों के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के बारे में यह अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों में चीन जन.गण. से आयातों का हिस्सा 2017-18 में 94 प्रतिशत, 2018-19 में 91 प्रतिशत और जांच की अवधि के दौरान 87 प्रतिशत था, जो स्पष्ट रूप से क्षति की पूरी अवधि के दौरान किसी विशेष समय में भारत में विचाराधीन उत्पाद के घरेलू बाजार में चीन के आयातों का बहुत अधिक उपस्थिति और आक्रामक प्रभुत्व को दर्शाता है। इसके अलावा, आयात की मात्रा में मामूली गिरावट कोविड-19 के कारण लगाए गए प्रतिबंधों, व्यापक रूप से गलत घोषणा और आयातों की वास्तविक मात्रा और मूल्य को कम दर्शाने तथा घरेलू बाजार में मयूर के आ जाने के कारण हुई थी।

vi इसके बावजूद, प्राधिकारी ने विभिन्न अन्य पाटनरोधी जांचों में बहुत अधिक बाजार हिस्से वाले संबद्ध देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है जब ऐसे संबद्ध देशों से आयात में जांच की अवधि के दौरान स्वतंत्र और सापेक्ष रूप में गिरावट आई।

vii. घरेलू उद्योग ने 2017 में प्रचालन शुरु किया लेकिन घरेलू बाजार में पाटित आयातों के मौजूद रहने के कारण घरेलू उद्योग के पास अपनी बिक्री कीमत को चीन के निर्यातकों द्वारा पाटन की अनुचित कार्य-पद्धति के कारण भारत बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उसमें बने रहने के लिए, कम रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। यह प्रवृत्ति 2017-18 और 2018-19, दोनों में मौजूद थी। इसके अलावा, प्राधिकारी का ध्यान यूरापीय यूनियन, इंडोनेशिया गणतंत्र, कोरिया गणतंत्र, मलेशिया, सऊदी अरब का साम्राज्य, चीन का ताइपेई और संयुक्त राज्य अमेरिका से 2-इथाइल हेक्सानोल (2-ईएच) के आयात को शामिल करते हुए पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों की ओर आकर्षित किया जाता है (फा.स. 14/24/2014-डीजीएडी) जिसमें प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की और निम्नलिखित टिप्पणियां की:

*"152. उपर्युक्त आंकड़ा दर्शाता है कि संबद्ध देशों से आयातों के पहुंच मूल्य में जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती नहीं की। हालांकि, यदि घरेलू कीमतों को पहले ही बहुत अधिक हद तक कम रखा गया होता अथवा उस पर दबाव पड़ा होता, तब कीमत में कटौती संगत नहीं हो सकती है।*

*इस कारण से, कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण, यदि कोई हो, की मात्रा और सीमा की भी जांच कीमत में कटौती की जांच, जिसे ऊपर में उल्लेख किया गया है, के अलावा की गई है। घरेलू उद्योग ने अपने अनुरोधों में यह तर्क दिया है कि कीमत में कटौती मौटे तौर पर निर्यातकों द्वारा दी जा रही बहुत अधिक क्रेडिट के कारण नकारात्मक है। "*

viii. चीन जन.गण. से पाटित आयातों का घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर दबाव पड़ रहा है और वे कम हो रहे है। कम कीमत पर आयातों का प्रभाव ऐसा था कि निर्माण करने और बिक्री करने की लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग निर्माण करने और बिक्री करने की लागत वसूलने के लिए और इस पर उचित प्रतिफल अर्जित करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की बिक्री कीमत में अपेक्षित वृद्धि नहीं कर सके। जांच की अवधि में, याचिकाकर्ता अपनी बिक्री कीमत में थोड़ा भी वृद्धि करने में सक्षम नहीं था क्योंकि भारत सरकार ने 2018 में मूल सीमा शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया था जिसके फलस्वरूप पहुंच कीमत अधिक हो गई। हालांकि, यह भी नोट किया जाना है कि उच्चतर बीसीडी के लाभ को संतुलित करने के लिए, चीन के निर्यातकों ने जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को कम किया। इसके फलस्वरूप, कीमत ह्रास की स्थिति उत्पन्न हुई क्योंकि याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत में वृद्धि के अनुसार अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था। यह भी नोट किया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत में बढ़ते हुए कच्चे माल की लागत और भाड़ा लागत के रूप में जांच की अवधि की बाद की अवधि में 25-35 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो अन्य देशों से बढ़ी हुई कीमतों में दर्शाया जा रहा है। आयातकों ने इस प्रकार के बढ़ी हुई लागतों को भी खपा लिया है।

ix. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन सकारात्मक और बहुत अधिक है।

x. भारत में विचाराधीन उत्पाद की बहुत अधिक मांग के बावजूद, घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक कम रही है। घरेलू उद्योग की क्षमता का 75 प्रतिशत से अधिक का उपयोग नहीं किया गया है।

xi. विचाराधीन उत्पाद का उपयोग तेज फैशन के उद्योग में इन उत्पादों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जहां व्यापार बदलते हुए ग्राहक की मांग के अनुसार तेजी से बदलता है। नई डिजाइन प्रवृत्ति के आने के साथ, उपभोक्ता की पसंद भी बदलती रहती है। यह दर्शाता है कि बहुत अधिक मालसूची जो बाजार में बहुत जल्दी पुरानी हो जाने की संभावना है, को बनाए रखना इस व्यापार में विवेकपूर्ण नहीं है। फिर भी, यह नोट करने लायक है कि घरेलू उद्योग की मालसूची चीन जन.गण. से पाटित आयातों के द्वारा बाजार हिस्से को अपने पास में करने के कारण क्षति की पूरी अवधि के दौरान उच्च-स्तर पर रहा है।

xii. वाणिज्यिक उत्पाद के आरंभ के समय से, घरेलू उद्योग को हानि होती रही है और वह पर्याप्त लाभ अर्जित करने में सक्षम नहीं रहा है।

xiii. पीबीआईटी और आरओसीई क्षति पूरी अवधि के दौरान न8कारात्मक थी। नकद लाभ क्षति की पूरी अवधि के दौरान या तो नकारात्मक थी अथवा कम रही है।

xiv. घरेलू उद्योग को वर्तमान में हो रही वास्तविक क्षति के अलावा आगे और अधिक वास्तविक क्षति होने का खतरा है। क्षति के खतरे के निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारकों की चर्चा नीचे की गई है।

- भारत में पाटित आयातों की बहुत अधिक मौजूदगी।
- चीन जन.गण. से आयातकों की पर्याप्त स्वतंत्र रूप से बिक्री योग्य क्षमता है। चीन जन.गण. के पास विचाराधीन उत्पाद के संबंध में बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताएं हैं और आगे उसका विस्तार हो रहा है, जिसे हितबद्ध पक्षकारों द्वारा मान भी लिया गया है। ग्लोबल मार्किट इन-साइट की नवीनतम रिपोर्ट में भी इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि चीन विश्व का सबसे बड़ा पीयू उत्पादक हो गया है और वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर इसने अनुमान लगाया है कि केवल चीन का कुल वैश्विक उत्पादन का 45 प्रतिशत होगा। बाजार अध्ययन यह दर्शाता है कि चीन की क्षमता में कुल वैश्विक क्षमता का एक तिहाई से अधिक हो गया है। इसके साथ ही, केवल मैसर्स अनहुई अनली मैटिरियल टेक्नोलॉजी

कंपनी लिमिटेड का पीयू लैदर का 88.5 मिलियन मीटर की वार्षिक उत्पादन क्षमता है जो कुल भारतीय मांग के अलावा है। प्रयोक्ता उद्योग ने भी स्वीकार किया है कि चीन के पास अधिक क्षमता है। इस संदर्भ में, मै. अल्पाइन अपैरल द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर के पृष्ठ 9 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जहां इसने माना है कि "पीयू निर्माण की क्षमता भारत में बहुत अधिक प्रतिबंधित है और चीन को छोड़कर शेष विश्व में भी यह प्रतिबंधित है तथा प्रश्नावली के उत्तर के खंड घ की पृष्ठ संख्या 9 के उत्तर में, फाइबर बाँड उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि संबद्ध देश के उत्पादक/निर्यातक भारी मात्रा में संबद्ध वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और विश्व में प्राय: प्रत्येक प्रमुख देश के लिए एक निर्यातक के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा, लगातार पाटनरोधी शुल्क के कारण चीन से पाटित उत्पादों के लिए तुर्की में सीमित बाजार पहुंच के साथ, चीन द्वारा किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता की स्पष्ट कमी है।

- वास्तविक क्षति के खतरे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारकों में से एक कारक घरेलू कीमतों पर पाटित आयातों का न्यूनकारी अथवा ह्रासकारी प्रभाव है। इस संबंध में, यह पहले ही अनुरोध किया गया है कि आयात उन कीमतों पर हो रहे हैं जिनका जांच की अवधि के दौरान घरेलू कीमतों पर बहुत अधिक ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, यह भी नोट किया जा सकता है कि पाटित आयातों के ऐसे ह्रासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव में जांच की अवधि की बाद की अवधि (अक्तूबर, 2020 से दिसंबर, 2020) के दौरान वृद्धि हुई है। जबकि उत्पादन की लागत में कच्चे माल की लागत में वृद्धि और वैश्विक स्तर पर अन्य कारकों के कारण हो रही है, चीन से विचाराधीन उत्पाद के लिए सीआईएफ कीमतों का गिरना जारी है। हालांकि, गैर-संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद की आयात कीमतें सटीक रूप से लागतों में ऐसे वृद्धि को दर्शाता है। इस कारण से, आगे वास्तविक क्षति के बहुत अधिक खतरे के होने का औचित्य बताया गया है।
- चीन जन.गण. के निर्यातकों के पास उनके पास संचित विचाराधीन उत्पाद की मालसूची की बहुत बड़ी मात्रा है।

xv. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य घरेलू उत्पादकों के कार्य-निष्पादन के संबंध में दिए गए तर्कों के बारे में, यह अनुरोध किया जाता है कि समर्थक, जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड ने अपने समर्थन पत्रों में यह कहा है कि किस प्रकार से उन्होंने चीन जन.गण. से पाटित आयातों के कारण क्षति उठाई है। इसके अलावा, इसके समर्थकों के साथ घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन की तुलना सही नहीं है क्योंकि मयूर ने बिल्कुल हाल में अर्थात मार्च, 2020 में विचाराधीन उत्पाद का निर्माण शुरु किया है जबकि जैश एक बहु-उत्पाद कंपनी है जिसकी वार्षिक रिपोर्ट इसके द्वारा उत्पादन किए गए सभी उत्पादों का समेकित आंकड़ा दर्शाता है।

xvi. सामान्य व्यापार प्रचालनों को प्रभावित करने वाले कोविड-19 प्रतिबंधों के मुद्दे के संबंध में, घरेलू उद्योग प्राधिकारी से अनुरोध करता है कि वे कोविड-19 महामारी के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन की अवधि से संबंधित आंकड़ों के निरुपण संबंधी दिशा-निर्देश जारी करें। यह अनुरोध किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा अनुरोध की गई सूचना पहले ही उपलब्ध करा दी है और वह जो भी सूचना इस संबंध में प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसरण में अपेक्षित है, को देने के लिए संकल्पित हैं।

xvii. हितबद्ध पक्षकारों ने सुझाव दिया है कि वास्तविक क्षति का कोई खतरा नहीं है। इस संबंध में घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि क्षति के खतरे के निर्धारण में विचार किए जाने वाले कारक इस नियमावली के अनुबंध II के अनुच्छेद (vii) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए गए हैं और इनका विस्तारपूर्वक विवरण घरेलू उद्योग के अनुरोधों में किया गया है जो क्षति के स्पष्ट खतरे को दर्शाते हैं।

xviii. वास्तविक क्षति और क्षति के खतरे, दोनों से हानि के घरेलू उद्योग के दावे के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है जो घरेलू उद्योग को वैसा करने से रोकता हो।

xix. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने परियोजना रिपोर्ट पर विश्वास किया है, यह अनुरोध किया जाता है कि वह पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि परियोजना रिपोर्ट घरेलू उद्योग द्वारा अन्य कंपनियों से आगे बढ़ने की संभावना को दर्शाने के लिए दिया गया है, यदि समान अवसर उपलब्ध कराया जाता है और न कि क्षति के आकलन के उद्देश्य से दिया गया था। परियोजना रिपोर्ट सांख्यिकी रूप से आकलन किया और कार्य-निष्पादन अनुमानों के लिए आने वाले वर्षों में "जहां यह हो सकता है" दर्शाया। हालांकि घरेलू उद्योग ने कभी भी वास्तविक क्षति और/अथवा वास्तविक क्षति के खतरे के अपने दावे के लिए इस पर विश्वास नहीं किया।

xx. घरेलू उद्योग की परिवर्तन लागतों की अविश्वसनीयता और स्टार्ट-अप लागत समायोजनों की आवश्यकता के संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि उसे प्राधिकारी को आवश्यकता पड़ने पर ध्यानपूर्वक जांच और समायोजन के लिए प्रस्तुत किया गया है। घरेलू उद्योग ने पीयू लैदर के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करने में भारी निवेश किया है। ऐसे निवेश के लिए वास्तव में ऋण लेने की आवश्यकता होती है। वास्तव में प्रत्येक पूंजी गहन उद्योग के पास आरंभ में इस प्रकार की पूंजी संरचना होती है। हालांकि, यह किसी भी प्रकार से घरेलू उद्योग की अक्षमताओं को नहीं दर्शाता है। दूसरी ओर यह दर्शाता है कि ऋणदाताओं ने घरेलू उद्योग द्वारा स्थापित किए जा रहे व्यापार में विश्वास दर्शाया है।

xxi. निर्यात बिक्री क्षति की पूरी अवधि और जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कुल बिक्री का लगभग *** प्रतिशत रहा है। प्राधिकारी को दी गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू प्रचालनों के लिए है। इस कारण से, निर्यातकारी निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति नहीं पहुंचा सकता था।

xxii. घरेलू उद्योग कच्चे माल के आयातों पर अपनी निर्भरता के कारण आदेश को नहीं खोता है। अनेक कच्चे माल घरेलू स्तर पर उपलब्ध हैं और कच्चे माल के आयातों में किसी भी तरीके से कोई कठिनाई नहीं है।

## ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

**58.** अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।

**59.** घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति, वास्तविक क्षति के खतरे और कारणात्मक संबंध से संबंधित मुद्दों के बारे में किए गए अनुरोधों की जांच निम्नलिखित अनुच्छेदों में की गई है।

### ज.3.1 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

#### क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन

**60.** प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के उद्देश्य से भारत में इस उत्पाद की स्पष्ट खपत अथवा मांग पर सभी स्रोतों से आयातों और भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री के योग के रूप में विचार किया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है न तो घरेलू उद्योग और न ही किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आयात विश्लेषण से 50 अथवा 20 के कम या 1000 से अधिक रुपए प्रति मीटर मूल्य का डीजीसीआई ऐंड एस आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद से आयात संबंधी लेन-देन को बाहर रखने के लिए कोई कारण नहीं बताया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने इस प्रकार के सभी आयात लेन-देन को मांग/स्पष्ट खपत का इसके आकलन के क्षेत्र में शामिल किया है, जो नीचे दिया गया है।

| विवरण | मूल्य | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि (19 अप्रैल से 20 सितंबर तक) | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| संबद्ध देश से आयात | मीटर | 9,05,79,952 | 7,03,64,502 | 9,53,96,345 | 6,35,97,563 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 105 | 70 |
| अन्य देशों से आयात | मीटर | 93,78,506 | 1,04,86,314 | 1,86,63,562 | 1,24,42,375 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 112 | 199 | 133 |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्रियां | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 165 | 143 | 95 |
| अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 116 | 143 | 96 |
| **मांग** | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 83 | 115 | 77 |
| **कुल घरेलू उत्पादन** | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 145 | 141 | 94 |
| खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 92 | 92 |
| कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 54 | 75 | 75 |

61. यह नोट किया जाता है कि वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान और आगे जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान मांग में गिरावट आई।

**ख. संबद्ध देश से आयात की मात्रा**

62. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे इस पर विचार करें कि क्या या तो पूर्ण रूप में अथवा भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पाटित आयातों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकारी ने डीजीसीआईऐंडएए से लिए गए लेन-देनवार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है, इसके अलावा जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईऐंडएस आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद की सभी आयात संबंधी लेन-देन, जिसमें 50 अथवा 20 से कम और 1000 से अधिक रुपए प्रति मीटर मूल्य के लेन-देन शामिल हैं, आयात मात्राओं की इसके आकलन के क्षेत्र में शामिल किया है। परिणामी वास्तविक स्थिति नीचे दी गई है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| संबद्ध देश | मीटर | 9,05,79,952 | 7,03,64,502 | 9,53,96,345 | 6,35,97,563 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 78 | 105 | 70 |
| अन्य देश | मीटर | 93,78,506 | 1,04,86,314 | 1,86,63,562 | 1,24,42,375 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 112 | 199 | 133 |
| कुल आयात | मीटर | 9,99,58,458 | 8,08,50,816 | 11,40,59,907 | 7,60,39,938 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 81 | 114 | 76 |
| कुल घरेलू उत्पादन | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 145 | 141 | 94 |
| कुल आयात के संबंध में संबद्ध देश से आयात | % | 91 | 87 | 84 | 84 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 96 | 92 | 92 |
| कुल आयात के संबंध में अन्य देशों से आयात | % | 9 | 13 | 16 | 16 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 138 | 174 | 174 |
| कुल घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 54 | 75 | 75 |
| खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 92 | 92 |

63. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात का क्षति की समग्र अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात में बहुत बड़ा हिस्सा है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात में पूर्व वर्ष की तुलना में, जांच की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

### ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

64. पाटित आयातों का कीमतों के प्रभाव के संबंध में, इस तथ्य का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों के कारण कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमत पर दबाव पड़ने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो सामान्य प्रक्रिया में अन्य प्रकार से हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत में कटौती, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण, यदि कोई हो, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत, क्षति रहित कीमत (एनआईपी) और निवल बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

#### क. कीमत में कटौती

65. कीमत में कटौती के विश्लेषण के उद्देश्य से, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश की कीमत से की गई है। इसके अलावा जैसा कि ऊपर में उल्लेख किया गया है, प्राधिकारी ने डीजीसीआईऐंडएस आंकड़ों से विचाराधीन उत्पाद की सभी आयात संबंधी लेन-देन, जिसमें 50 अथवा 20 से कम और 1000 से अधिक रुपए प्रति मीटर मूल्य के लेन-देन शामिल हैं, आयात मात्राओं की इसके आकलन के क्षेत्र में शामिल किया है। तद्नुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों की कटौती संबंधी प्रभाव नीचे दिए गए अनुसार होता है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि (19 अप्रैल से 20 सितंबर) | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| पहुंच मूल्य | भारतीय रुपया/ मीटर | 111 | 125 | 111 | 111 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 113 | 100 | 100 |
| घरेलू बिक्री कीमत | भारतीय रुपया/ मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 115 | 136 | 136 |
| कीमत में कटौती | भारतीय रुपया/ मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | % | *** | *** | *** | *** |
| | % रेंज | (30-20) | (30-20) | 0-10 | 0-10 |

**66.** उपर्युक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के कारण जांच की अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। इसके अलावा, पहुंच मूल्य में 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

**ख. कीमत कीमत ह्रास और न्यूनीकरण**

**67.** इस तथ्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या पाटित आयातों के कारण घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ रहा है अथवा उसका ह्रास हो रहा है और क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों का बहुत हद तक ह्रास होने वाला है अथवा कीमत में वृद्धि रुक जाने वाली है जो अन्य प्रकार से सामान्य प्रक्रिया में पूरी होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तन की जांच की गई है। नीचे दी गई तालिका वास्तविक स्थिति को दर्शाती है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| बिक्री कीमत | भारतीय रुपया/मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 115 | 136 | 136 |
| बिक्री की लागत | भारतीय रुपया/मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 104 | 121 | 121 |
| पहुंच मूल्य | भारतीय रुपया/मीटर | 111 | 125 | 111 | 111 |
| | सूचीबद्ध | 100 | 113 | 100 | 100 |

**68.** उपर्युक्त तालिका से ये देखा जाता है कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत क्षति की पूरी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत से बहुत कम रही है; संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम रही है और क्षति की अवधि के दौरान यदि कीमत में वृद्धि भी हुई है तब घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुपात में इसकी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं हुआ है। इस प्रकार, यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के कारण बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास हो रहा है।

### ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

**69.** पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है।

**70.** प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके अनुरोधों में दिए गए तर्कों और विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुए वस्तुनिष्ठ तरीके से क्षति मानदंडों की जांच की है।

#### i. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

**71.** पूरी क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग नीचे तालिका में दी गई है।

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| संस्थापित क्षमता | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 100 | 150 | 100 |
| उत्पादन | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 159 | 139 | 93 |
| क्षमता उपयोग | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 159 | 93 | 93 |
| घरेलू बिक्री | मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 165 | 143 | 95 |

**72.** प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि –

i. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता स्थिर रही है।

ii. घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में 2018-19 के दौरान वृद्धि हुई और फिर जांच की अवधि में उसमें बहुत अधिक हद तक गिरावट आई।

iii. जांच की अवधि में (वार्षिकीकृत) उत्पादन और क्षमता उपयोग आधार वर्ष के कम स्तर पर थी।

iv. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में वही प्रवृत्ति दर्शाई है, जो उत्पादन की प्रवृत्ति थी। घरेलू बिक्री में 2018-19 में वृद्धि हुई और उसके बाद जांच की अवधि में उसमें बहुत हद तक गिरावट आई। जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में बिक्री आधार वर्ष से कम स्तर पर थी।

v. कुल मिलाकर, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान गिरावट आई।

#### ii. मांग में बाजार हिस्सा

**73.** घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| विवरण | | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 91 | 91 |
| अन्य देशों से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 134 | 173 | 173 |
| घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 198 | 124 | 124 |
| अन्य घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्रियां | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 139 | 125 | 125 |

**74.** उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि:

i. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा क्षति की समग्र अवधि तथा जांच की अवधि के दौरान एक अंक में रही।

ii. पाटित आयातों के बाजार हिस्से में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में कमी आई है। हालांकि, संबद्ध देश से पाटित आयात घरेलू बाजार में बहुत अधिक मात्राओं में हो रही है।

**iii. मालसूची**

**75.** क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास मालसूची की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|
| मालसूची | एमटी | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 41 | 60 |
| उत्पादन के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची | संख्या | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 26 | 64 |
| बिक्री के दिनों की संख्या के रूप में मालसूची | संख्या | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 25 | 62 |

**76.** यह नोट किया जाता है कि मालसूची में आधार वर्ष से 2018-19 में गिरावट आई और फिर जांच की अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि विचाराधीन तेजी से बदलता हुआ फैशन उद्योग से संबंधित है और मालसूची के स्तर ग्राहक के आदेश पर आधारित हैं।

**iv. लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल**

**77.** इस अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिफल नीचे दिया गया है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| पीबीआईटी-घरेलू बिक्रियां | भारतीय रुपया/मीटर | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (50) | (24) | (24) |
| पीबीआईटी-घरेलू बिक्रियां | भारतीय रुपया | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (83) | (35) | (23) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| नकद लाभ | भारतीय रुपया | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (59) | 38 | 25 |
| लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | (100) | (45) | (20) | (20) |

**78.** यह देखा गया है कि पूरी क्षति अवधि के दौरान पीबीआईटी, नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ नकारात्मक रहा है और जांच की अवधि के दौरान नकद लाभ में सुधार हालांकि कम रहा है।

### v. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

**79.** क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता नीचे तालिका में दिया गया है:

| विवरण | इकाई | 2017-18 | 2018-19 | जांच की अवधि | जांच की अवधि(वार्षिकीकृत) |
|---|---|---|---|---|---|
| कर्मचारियों की संख्या | संख्या | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 106 | 89 | 89 |
| मजदूरी | भारतीय रुपए | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 191 | 196 | 130 |
| प्रति दिन उत्पादकता | मीटर/दिन | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 159 | 93 | 93 |

**80.** यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से, उत्पादकता में समग्र सुधार हुआ लेकिन 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) में गिरावट आई। भुगतान की गई मजदूरी में 2018-19 की तुलना में जांच की अवधि (वार्षिकीकृत) के दौरान गिरावट आई है।

### Vi. वृद्धि

**81.** घरेलू उद्योग ने उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री की मात्रा और मालसूची के मामले में जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

| विवरण | इकाई | 2018-19 | जांच की अवधि (वार्षिकीकृत |
|---|---|---|---|
| उत्पादन | वर्ष/वर्ष-मीटर | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | 100 | (71) |
| क्षमता उपयोग | वर्ष/वर्ष -% | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | 100 | (107) |
| घरेलू बिक्रियां | वर्ष/वर्ष-मीटर | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - Indexed | 100 | (107) |
| प्रति इकाई पीबीआईटी-घरेलू बिक्रियां | वर्ष/वर्ष –भरतीय रुपए /मीटर | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | 100 | 50 |
| नकद लाभ | वर्ष/वर्ष –भरतीय रुपए | *** | *** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | 100 | 205 |
| लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल | वर्ष/वर्ष-% | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | 100 | 50 |
| मालसूचियां | वर्ष/वर्ष-मीटर | *** | *** |
| प्रवृत्ति | % - सूचीबद्ध | (100) | 31 |

**vii. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता**

**82.** बहुत अधिक निवेश हाल में विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता स्थापित करते हुए की गई थी। हालांकि, घरेलू उद्योग को क्षति की पूरी अवधि के दौरान बहुत अधिक हानि हुई है जिसमें आगे पूंजी निवेश जुटाने की इसकी क्षमता को कमजोर किया है।

**viii. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक**

**83.** मांग आपूर्ति में अंतर के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी यह मानते हैं कि संभावित मांग आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध निवारण की मांग करने से वंचित नहीं कर सकता है। यदि निर्यातक भारतीय बाजार में इस आवश्यकता को पूरा करना चाहते हैं तब उसे अपाटित कीमत पर आवश्यकताओं को पूरा कर, किया जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग का मुख्य ध्यान न्यूनतम आयात के साथ घरेलू उद्योग पर है। इसके साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन का विश्लेषण केवल इसके घरेलू प्रचालन के संबंध में किया गया है। इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग क्षति की समग्र अवधि में बहुत हद तक कम हुई है।

**84.** डीएमएफ और अन्य खपत मुद्दों में सुधार के बारे में तर्क के संबंध में, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अपनी खपत के लिए डीएमएफ प्राप्त करता है और कैप्टिव खपत के बाद बची हुई डीएमएफ की बिक्री उचित कीमत पर की जाती है। लागत और क्षति रहित कीमत गणना में डीएमएफ की ऐसी बिक्री के लिए उचित समायोजन किया गया है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रोलर्स और रिलीज पेपर्स जैसे उपभोग की जाने वाली वस्तुओं का घरेलू उद्योग द्वारा सर्वश्रेष्ठ कार्य-पद्धति के अनुसार फिर से उपयोग किया जा रहा है।

**85.** कच्चे माल के संबंध में घरेलू उद्योग की आयात पर निर्भरता का जहां तक संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन का उत्पाद नहीं किया है और इसके साथ ही कच्चे माल अथवा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के अभाव के कारण इसके ऑर्डर में कमी नहीं आई है।

**86.** क्षमता उपयोग पर कोविड-19 के प्रभाव तथा स्टार्ट-अप कारकों के कारण अपेक्षित समायोजन के संबंध में, उसका जांच की अवधि की प्रत्येक तिमाही और इसे दो वर्षों के दौरान सबसे अधिक क्षमता उपयोग पर विचार कर क्षतिरहित कीमत की गणना में ध्यान रखा गया है।

**87.** इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को हानि के कारण त्रुटिपूर्ण पूंजी संरचना और उच्च ब्याज और ह्रास लागत है, यह भी देखा जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में क्षति की समग्र अवधि के दौरान ब्याज पूर्व लाभ (आरओआई) और ह्रास पूर्व लाभ (नकद लाभ) के संबंध में बहुत अधिक नकारात्मक/कम रहा है।

**88.** जहां तक लाभ और पीवीसी कोटेड फैब्रिक की बिक्री के परिणामस्वरूप अर्जित बिक्री को शामिल करने के बाद घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता पर विचार करने का संबंध है, यह स्पष्ट किया जाता है कि घरेलू उद्योग अकेले विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में लगा हुआ है।

**89.** मांग में गिरावट का जहां तक संबंध है, यह देखा गया है कि जबकि इस उत्पाद की मांग में गिरावट आई, संबद्ध देश से आयात बहुत अधिक रहे हैं और घरेलू उद्योग का उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग क्षति की समग्र अवधि के दौरान बहुत कम रही है।

**90.** हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना प्रयोक्ताओं के हितों के लिए हानिकारक होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है।

### ix. कम कीमत पर बिक्री/क्षति मार्जिन का आकार

**91.** प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध III के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद के क्षति रहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़े तथा जांच की अवधि के लिए पेशेवर लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित सूचना/आंकड़ों को लेकर किया गया है। क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन की गणना करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत से की गई है।

**92.** सहयोगी निर्यातकों के लिए पहुंच कीमत का निर्धारण पाटन मार्जिन के निर्धारण के उद्देश्य से निर्धारित सीआईएफ कीमत से की गई है। लागू सीमा शुल्कों को आयातों की पहुंच कीमत का निर्धारण करने के लिए जोड़ा गया है। संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत का निर्धारण किया है।

**93.** पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत, जिसे ऊपर में निर्धारित किया गया हे, के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है और उसे नीचे तालिका में दिया गया है:

| देश | उत्पादक/ निर्यातक | क्षति रहित कीमत (यूएसडॉलर/ मीटर) | पहुंच कीमत (यूएसडॉलर/ मीटर) | आईएम (यूएसडॉलर/ मीटर) | आईएम % | रेंज % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चीन जन.गण | अनहुई अनली मैटिरियल टैक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड | *** | *** | (***) | (***) | (50)-(40) |
| चीन जन.गण | अन्य उत्पादक और निर्यातक | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

## झ. गैर-आरोपण विश्लेषण

**94.** प्राधिकारी ने पाटित आयातों के अलावा किसी अन्य ज्ञात कारकों की जांच की है, जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे होंगे, ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। वे कारक जो इस संबंध में संगत हैं, में अन्य बातों के साथ-साथ मात्रा और पाटित कीमतों पर न बेची गई आयातों की कीमत, मांग में संकुचन अथवा खपत के पैटर्न में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां और उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी का विकास और घरेलू उद्योग की उत्पादकता और निर्यात कार्य-निष्पादन शामिल है। प्राधिकारी ने इस तथ्य की जांच की कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने में योगदान हो सकता था।

### i. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

**95.** अन्य देशों से आयात या तो न्यूनतम स्तरों अथवा बहुत अधिक कीमतों पर हुए हैं।

### ii. मांग में संकुचन

**96.** यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में जांच की अवधि के दौरान कमी आई। हालांकि, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की पर्याप्त क्षमता का उपयोग किया गया है और इस प्रकार मांग में संकुचन इस तथ्य को देखते हुए संगत नहीं है कि बहुत अधिक मात्रा में मांग अभी भी घरेलू उद्योग द्वारा पूरा किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि मांग के संकुचन और कोविड-19 के बावजूद, आयातों का

बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान बहुत अधिक रहा है। इसके अलावा, प्राधिकारी संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के आयातों में गलत घोषणा किए जाने की व्यापक कार्य-पद्धति के लागू रहने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे को नोट करते हैं जिसके कारण संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के वास्तविक आयात बहुत अधिक होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। इस कारण से, मांग में संकुचन को घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने के लिए एक कारण के रूप में नहीं माना जा सकता है।

**iii. खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

**97.** किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद के खपत के पैटर्न में कोई वास्तविक परिवर्तन के बारे में कोई साक्ष्य नहीं लाया गया है।

**Iv. प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियां**

**98.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जांच ने यह नहीं दर्शाया है कि व्यापार प्रतिबंधात्मक कार्य-पद्धतियों अथवा प्रतिस्पर्धा की स्थितियां घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के लिए जिम्मेदार है।

**v. प्रौद्योगिकी का विकास**

**99.** किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रौद्योगिकी, जिसका उपयोग भारत में निर्यात किए जाने वाली संबद्ध वस्तुओं के निर्माण के लिए संबद्ध देश से उत्पादकों द्वारा किया जा रहा है, में बहुत अधिक परिवर्तन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी, के होने के बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**vi. घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य-निष्पादन**

**100.** घरेलू उद्योग द्वारा किया गया निर्यात इसके उत्पादन का बहुत छोटा हिस्सा है। प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है।

**vii. अन्य उत्पादों का कार्य निष्पादन**

**101.** घरेलू उद्योग केवल विचाराधीन उत्पाद के निर्माण में लगा हुआ है और इसने विचाराधीन उत्पाद के कार्य-निष्पादन का क्षति संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराया है और उसे प्राधिकारी द्वारा क्षति के विश्लेषण के उद्देश्य से लिया गया है। चूंकि घरेलू उद्योग किसी अन्य उत्पाद का उत्पादन नहीं करता है, अत: अन्य उत्पादों का कार्य-निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

**अ. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>**

**102.** प्राधिकारी ने इस मामले के आवश्यक तथ्यों को प्रकट करते हुए और सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक प्रकटन विवरण जारी किया। प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त हुए हैं। प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में उठाए गए अधिकांश मुद्दो को पूर्व में भी पहले ही उठाया जा चुका है और उनका उपयुक्त रूप से समाधान भी किया जा चुका है। अतिरिक्त अनुरोधों की जांच उस सीमा तक की गई है, जिस सीमा तक उसे संगत माना गया और वह निम्नानुसार है:

**अ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अनुरोध**

**103.** अपने पूर्व के अनुरोधों को दोहराने के अलावा, अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा संरचित सामान्य मूल्य और निर्धारित क्षति रहित कीमत बहुत अधिक है और यह घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण देगा।

ख. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा लगाई गई 22 प्रतिशत आरओसीई को अपनाना बहुत अधिक अतिरंजित है और उसे तर्कसंगत स्तर तक निर्धारित करना चाहिए। 22 प्रतिशत आरओसीई देना सही नहीं है क्योंकि:

i. लगाई गई पूंजी का ऋण भार जिस पर लगभग 10 से 12 प्रतिशत ब्याज दर लगता है, को 22 प्रतिशत दिया जाता है।

ii. इसके फलस्वरूप लगाई गई पूंजी के निवल पूंजी भाग पर 22 प्रतिशत से अधिक प्रतिफल उपलब्ध कराया जाता है।

iii. वैश्विक मंदी के काल के दौरान, घरेलू उद्योग को इस प्रकार के उच्च प्रतिफल की अनुमति देना किसी भी क्षेत्र में पहले कभी नहीं सुना गया है।

iv. 22 प्रतिशत आरओसीई घरेलू उद्योग को 41 प्रतिशत लाभ मार्जिन देगा जो अतर्कसंगत है।

ग. तर्कसंगत प्रतिफल के निर्धारण के संबंध में यूरोपीय फर्टीलाइजर्स मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन बनाम परिषद (1999) ईसीआर II-3291 में यूरोपीय कमीशन के निर्णय पर विश्वास किया गया है जो यह उल्लेख करता है कि उचित प्रतिफल तय करने के लिए लाभ मार्जिन पाटित आयातों के मौजूद नहीं रहने की स्थिति में सामान्य तर्कों के अधीन लाभ तक सीमित होना चाहिए।

घ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा (केवल आगरा में) क्योंकि लगभग 5 लाख लोग इस उद्योग पर प्रत्यक्ष रूप से/अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं।

ड. भारतीय विनिर्माता उस स्थिति में नहीं हैं कि वे उसी कीमत में चीन के समतुल्य माल की आपूर्ति कर सकें। फुटवियर में उपयोग किए जाने वाले पीयू अपर फुटवियर की कुल लागत का केवल 15 प्रतिशत है, यह उपयोग फुटवियर के संबद्ध उद्योगों को बिजनेस भी उत्पन्न करता है।

च. पाटनरोधी शुल्क लगाने से आयात पर प्रतिबंध लगेगा, जिसके फलस्वरूप एकाधिकार की स्थिति उत्पन्न होगी और एमएसएमई श्रेणी में श्रेणीबद्ध अंतिम प्रयोक्ता प्रभावित होंगे। यह कोविड-19 महामारी के बाद एमएसएमई पर सरकार की नीति के विपरीत है।

छ. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों को उनका आयात भी प्रभावित होगा क्योंकि भारतीय पीयू उद्योग गुणवत्ता अथवा कीमतों में चीन के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं।

ज. ड्राई प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किए गए पीयू लैदर वैट प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादन किए गए पीयू कोटेड लैदर की तुलना में लागत में अधिक है। पूर्व के मामले में कोआगुलेट आधार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है और पीयूसी को बैकिंग के तथ्य पर सीधे तौर पर कोट किया जाता है। ड्राई प्रक्रिया में रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ी हुई शक्ति और कार्य-निष्पादन उपलब्ध कराता है। रेसिन प्रणाली या तो दो संघटक प्रतिक्रियाशील पोलिइथेर –पोलिकार्बोनेट; अथवा उच्च ठोस पोलिकार्बोनेट हो सकता है। उच्च गुणवत्ता के रेसिन को अपेक्षाकृत अधिक साफ और अधिक पर्यावरणीय रूप से सही निर्माण वातावरण में प्रोसेस किया जाता है। 99 प्रतिशत से अधिक सोल्वेंट को पुन: प्राप्त किया जाता है और उनकी रिसाइकिलिंग की जाती है। ड्राई निर्माण प्रक्रिया वैट प्रक्रिया की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत कम बिजली की खपत करता है।

झ. याचिकाकर्ता का यह दावा कि कोआगुलेशन प्रक्रिया पीयू कोटेड फैब्रिक का निर्माण करने के लिए अनिवार्य है, गलत है।

ञ. प्राधिकारी को इस तथ्य का निर्धारण करना चाहिए कि घरेलू उद्योग ड्राई तकनीक का उपयोग करते हुए विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने में सक्षम था जबकि उसका उपयोग करते हुए चीन के उत्पादकों ने भाग नहीं लिया था।

ट. डीएसएम इडेमित्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, प्राधिकारी का विश्वास वर्तमान स्थिति में लागू नहीं है क्योंकि प्रतिवादी केवल ड्राई प्रक्रिया से पूयू लैदर का निर्माण करते हैं क्योंकि उक्त प्रक्रिया के फलस्वरूप एक ऐसी वस्तु तैयार होती है जो वैट और ड्राई प्रक्रिया के युग्म का उपयोग करते हुए निर्मित की गई वस्तु से वाणिज्यिक रूप से अलग है।

ठ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि कीमत में कटौती और कम कीमत पर बिक्री का आकलन भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए मूल्य पर और न कि बीजक मूल्य पर बीसीडी की गणना करने के बाद ही किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क मूल्यांकन के अंतर्गत बढ़ा हुआ सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयात की गई वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) आगे नियमावली, 2007 संबद्ध

वस्तुओं पर लागू किया जाता है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अवश्य विचार किया जाना चाहिए क्योंकि इसका बहुत अधिक कीमत प्रभाव होता है।

ड. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत भी अधिक है क्योंकि आवेदक अनेक प्रकार के डिजाइनों की आपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उत्पादन कुछ डिजाइनों के लिए कम मात्राओं में दिए गए आदेशों के कारण अपेक्षाकृत कम समय अवधि के दौरान समुचित मात्राओं में नहीं किया जा सकता है। इसको विशिष्ट फैब्रिक, रिलीज पेपर और इम्बास रोलर का आयात ऐसे ग्राहकों को आपूर्ति करने के लिए, करना पड़ता है और नमूना बनाने में विलंब के फलस्वरूप ऑर्डर की हानि होती है। इन आयातों की लागत को प्रतिसंतुलित नहीं किया जा सकता है।

ढ. आवेदक की परिवर्तन लागत विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसने जून, 2017 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरु किया और पूर्ण क्षमता और स्थायित्व प्राप्त नहीं किया। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे स्टार्ट-अप लागत समायोजन का उल्लेख करें और परिवर्तन लागतों में कमी लाएं।

ण. निर्यात कीमत का परिकलन करते समय, निर्दिष्ट प्राधिकारी को मूल्यवर्धित कर की कटौती नहीं ही करनी चाहिए क्योंकि 13 प्रतिशत मूल्यवर्धित कर को विचाराधीन उत्पाद सहित किसी वस्तु के निर्यात किए जाने पर चीन की सरकार द्वारा वापस किया जाता है। उनके कानून के अनुसार, इनपुट्स पर मूल्यवर्धित कर को वापस किया जाना होता है, जब अंतिम उत्पाद का निर्यात किया जाता है। चीन की प्रणाली के अंतर्गत, इनपुट्स पर मूल्यवर्धित कर 17 प्रतिशत है और तैयार सामानों के निर्यात पर मूल्यवर्धित कर की वापसी 13 प्रतिशत है। गणितीय तौर पर, यदि 32-33 प्रतिशत का मूल्यवर्धन हुआ हो, जिसे वापस किया गया हो तब वह इनपुटस पर भुगतान किए गए मूल्यवर्धित कर के बिल्कुल बराबर होगा। यह प्रणाली सरल, पारदर्शी और कार्यक्षम है। जब तक यह साबित नहीं किया जाता है कि मूल्यवर्धन 32 प्रतिशत से कम है, कटौती के रूप में वापस की जाने वाली राशि की कटौती करने का कोई कारण नहीं है। उपर्युक्त को देखते हुए, मूल्यवर्धित कर की 4 प्रतिशत कटौती करने का कोई कारण नहीं है जो इनपुट्स पर मूल्यवर्धित कर की दर और निर्यात किए गए तैयार वस्तुओं के एफओबी मूल्य पर मूल्यवर्धित कर के बीच अंतर है।

त. याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए कीमत में कटौती और कीमत ह्रास स्वयं के कारण हुई है क्योंकि इसने जानबूझकर अपनी कीमतों को बहुत कम अर्थात चीन से आयातों की कीमत की तुलना में 20 से 30 प्रतिशत तक कम रखा।

थ. जबकि बिक्री की लागत में केवल 21 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 36 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो यह दर्शाता है कि यह बिक्री की लागत में वृद्धि करने की दर के अलावा अपनी कीमतों को वृद्धि करने में सक्षम हुआ है।

द. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत ने आयातों का पहुंच मूल्य के रूप में उसी ट्रेजेक्टरी का अनुसरण नहीं किया है। इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी जिसे 2004 (170) ई.एल.टी.144 (ट्राई – दिल्ली) में सूचित किया गया, में यह निर्धारण किया गया था कि जिसमें यह देखा गया था कि यदि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत स्वतंत्र रूप से आयातों के पहुंच मूल्य के अनुसार बढ़ती है तब यह सिद्ध होगा कि कीमत ह्रास और न्यूनीकरण, यदि कोई हो, का कारण आयात नहीं हो सकता है।

ध. याचिकाकर्ता की कम हुई क्षमता उपयोग इस तथ्य के कारण हुई थी कि कोविड-19 लॉकडाऊन मार्च, 20121 से जून, 2021 तक लगाया गया था, जिसके दौरान घरेलू उद्योग अपने संयंत्र और मशीनरी को प्रचालित करने में सक्षम नहीं था।

न. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता के संबंध में आंकड़ों को पहली बार प्रकटन विवरण के दौरान प्रकट किया जा रहा है क्योंकि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका में उसके संबंध में पूर्ण गोपनीयता का दावा किया है। इस कारण से, क्षति के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहली बार इस चरण में उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए । किसी भी स्थिति में, रोजगार की हानि महामारी के कारण हुई थी।

प. प्राधिकारी ने यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग ने जांच की अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। यह घरेलू उद्योग द्वारा इसकी याचिका में दी गई सूचना के विपरीत है, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि जबकि कच्चे के माल के सामान्य मूल्य, कीमतों को संरचित करते समय घरेलू उद्योग के अनुभव के आधार पर विचार किया गया था जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को दर्शाता है क्योंकि पीयू रेसिन का घरेलू उद्योग द्वारा आयात किया जाता है। इससे यह सूचित होता है कि आवेदक ने या तो कच्चे माल के आयात के संबंध में सूचना को छिपाया है अथवा अपनी याचिका में गलत सूचना दी है।

फ. प्राधिकारी को इस अवधि की काल अवधि का निर्धारण करना चाहिए जिसके दौरान घरेलू उद्योग लॉकडाऊन के कारण चालू नहीं था और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन और क्षमता उपयोग की हानि समाप्त हो गई। उसके बाद ही इस तथ्य का उचित निर्धारण किया जा सकता है कि क्या घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण कोई हानि हुई है।

ब. यदि गलत घोषणा की कोई स्थिति हो तब यह सीमा शुल्क प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे इसमें सुधार करें और इसका पता लगाने के बाद, आयात के आंकड़ों में आयात की मात्रा के समायोजन की सूचना दे और यह पाटनोधी कार्यवाहियों में किसी प्रतिकूल अनुमान निकाले जाने का आधार नहीं हो सकता है।

भ. मै. जैश इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री और बाजार हिस्से में वृद्धि की है, जो यह दर्शाता है कि परस्पर प्रतिस्पर्धा जांच की अवधि में आवेदक की कमतर बिक्री और कम बाजार हिस्से के लिए जिम्मेदार है।

म. यदि 30-40 प्रतिशत तक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश आवेदक का बचाव करने के लिए किया जाता है जो भारत में संबद्ध वस्तुओं के बाजार हिस्से का 10 प्रतिशत से कम है, इसके फलस्वरूप प्रयोक्ताओं, जो एमएसएमई हैं, को वस्तुओं की लागत में बहुत अधिक वृद्धि होगी। इस प्रकार से बढ़ी हुई लागत को आगे डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ता/उपभोक्ता, तैयार उत्पादों के आयातों जैसे वालरेसिएट्स, बेल्ट, बैग्स, फर्नीचर, कार सीट कवर और विचाराधीन उत्पाद से बने किसी तैयार उत्पाद पर डाला जाता है जो आवश्यक रूप से इन एमएसएमई को गैर-अर्थक्षम बना देता है।

य. प्रयोक्ता उद्योग ने अपने आईक्यूआर में शुल्कों को लगाए जाने के प्रभाव की मात्रा का उल्लेख किया है। आईक्यूआर में आगे के डाउनस्ट्रीम उत्पाद अर्थात् बेल्ट्स (क्लोदिंग एक्सेसरीज) का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए कच्चे माल की कुल लागत प्राप्त की गई है। विचाराधीन उत्पाद का जांच की अवधि के दौरान प्रतिवादियों के लिए बिक्री की लागत का *** प्रतिशत था। यदि *** प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है तब प्रतिवादियों द्वारा उत्पादन की गई बेल्ट के लिए प्रति मीटर बिक्री की लागत *** रु. प्रति मीटर से बढ़कर *** रु. प्रति मीटर हो जाएगा। यह प्रतिवादियों द्वारा निर्मित बेल्ट का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की कुल लागत में कुल *** प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। चूंकि कच्चा माल बेल्ट की बिक्री की कुल लागत का लगभग *** प्रतिशत है और यदि कच्चे माल की लागत में आगे *** प्रतिशत तक वृद्धि होती है, तब प्रतिवादियों की बिक्री की कुल लागत *** रु. से बढ़र *** रु. हो जाएगी, जो *** प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। इस कारण से, प्राधिकारी द्वारा माना गया पाटनरोधी शुल्क का नगण्य प्रभाव सही नहीं है।

कक. प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग, जो न्यूनतम कोटिंग की प्रक्रिया करता है, का संरक्षण करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं हो सकता है।

खख. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी जांच के लिए आवेदन किया है क्योंकि भारत में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने की इसकी लागत अर्थक्षम नहीं है क्योंकि इसका कच्चा माल अर्थात् पीयू रेसिन भारत में नहीं बनाया जाता है और उसका आयात किया जाना होता है। इसक कारण से, याचिकाकर्ता की उच्च लागत के कारण, इसका प्रचालन गैर-अर्थक्षम है और इस कारण से इसने अपनी हानि को कम करने के लिए पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदन किया है।

गग. याचिकाकर्ता के उत्पादन की मुख्य लागत कच्चा माल होता है क्योंकि कोटिंग अर्थात् घरेलू उद्योग द्वारा की जाने वाली निर्माण प्रक्रिया के उद्देश्य से न्यूनतम मूल्यवर्धन अपेक्षित है। प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग जो न्यूनतम प्रक्रिया करता है, का संरक्षण करने और समग्र डाउनस्ट्रीम उद्योग, जिसका मूल्यवर्धन बहुत अधिक है और जो पूरे विविध उद्योगों में बहुत अधिक संख्या में लोगों को रोजगार देता है, जिसमे विचाराधीन उत्पाद का उपयोग किया जाता है और जिसमे मुख्य रूप से एमएसएमई है, को हानि पहुंचाने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं हो सकता है।

घघ. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे स्पष्ट करें कि वे किसी पीयू कोटिंग के आयात किए गए गैर बुने हुए फैब्रिक वर्तमान जांच के क्षेत्र में नहीं आता है।

ङ.ङ. प्राधिकारी ने अपरिष्कृत माइक्रोफाइबर के संबंध में टिप्पणी की है जबकि इस अपवर्जन, जिसका अनुरोध किया गया था, माइक्रोफाइबर सिंथेटिक लैदर अथवा माइक्रोफाइबर आधारित पीयू के लिए था। इसके साथ ही, इस अपवर्जन, जिसका अनुरोध किया गया था, गुणवत्ता के आधार पर नहीं था बल्कि इसका कारण से घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए विनिर्देश प्रयोक्ता उद्योग द्वारा मांगे गए विनिर्देश के समान नहीं है क्योंकि घरेलू उद्योग के पास माइक्रोफाइबर आधारित पीयू का उत्पादन करने की सुविधा नहीं है, जिसे घरेलू उद्योग के साथ किए गए विभिन्न ईमेल पत्राचारों से देखा जा सकता है जहां उन्होंने माइक्रोफाइबर आधार पर पीयू कोटिंग के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है। हालांकि, प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में यह नोट किया है कि टॉप-लाइन सभी प्रकार के उत्पाद, जिसमें माइक्रोफाइबर आधारित पीयू शामिल है, का निर्माण कर रहा है, उन्होंने सामग्री जिसे वे बाजार में बेचने में सक्षम नहीं हैं, का अनुरोध करते हुए अनेक ईमेल का उत्तर नहीं दिया है।

चच. मांग में इस गिरावट के पीछे और अलग-अलग आपूर्ति स्रोतों और घरेलू उद्योग पर मांग में गिरावट का प्रभाव के पीछे के तथ्य का विश्लेषण प्रकटन में नहीं किया गया है।

छछ. गैर-संबद्ध आयातों के प्रभाव की जांच नहीं की गई है और भारत में मांग और आयातों के संबंध में सापेक्ष वृद्धि/कमी के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

जज. संबद्ध देश से पूर्ण रूप में आयातों की वृद्धि/कमी तथा अन्य देशों से आयातों में वृद्धि की जांच नहीं की गई है क्योंकि संबद्ध देश से आयात में क्षति की अवधि के दौरान गिरावट आई है।

झझ. भारत में मांग और आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर है और संबद्ध देश अथवा तीसरे देशों से आयात हमेशा अधिक रहेंगे।

ञञ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में आधार वर्ष से वृद्धि हुई है और तीसरे देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि के कारण जांच की अवधि में गिरावट आई है।

टट. घरेलू उद्योग की लाभप्रदत्ता, मापदंड के विकास के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

ठठ. नकद हानि जांच की अवधि में नकद लाभ में परिवर्तित हो गई है। जांच की अवधि में नकद लाभ उच्च ह्रास लागत और घरेलू उद्योग द्वारा हानि करने के कारण को दर्शाता है।

डड. याचिकाकर्ता द्वारा फुटवियर उद्योग पर 8.33 रु. प्रति जूते के रूप में अनुमानित प्रभाव सही नहीं है। *** ग्राम पोलियुरेथेन https://www.linkedin.com/pulse/polyurethane-industry-india-market-analysis-footwear-mohammed-raseel/ पर उपलब्ध सूचना के आधार पर एक जोड़ी जूते बनाने के लिए अपेक्षित है। पाटनरोधी शुल्क के *** रु. प्रति मीटर और दो मीटर प्रति किलोग्राम पीयू लैदर का एक किलोग्राम की लगभग लंबाई पर विचार करते हुए, यह प्रभाव *** रु. प्रति जूता होना चाहिए (खपत प्रति जूता X *** मीटर) X*** X रु. *** प्रति मीटर।

ढढ. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि इसको जांच की अवधि में वित्तीय हानि हुई लेकिन इसने जांच की अवधि में नकद लाभ कमाया है। प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे इस तथ्य का कृपया निवारण करें कि किस प्रकार से अनुच्छेद 3.5 प्रतिशत की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

णण. घरेलू उद्योग व्यापार उपचार उपायों का दुरुपयोग करता है क्योंकि इसने अपने अनेक उत्पादों के लिए पाटनरोधी शुल्क/सीवीडी/रक्षोपाय जांच के लिए आवेदन किया है।

तत. किसी पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा क्योंकि उन मात्रा में से केवल 3-5 प्रतिशत का निर्माण मौजूदा उत्पादन क्षमता के अनुसार किया जा सकता है।

थथ. घरेलू उद्योग के औसत भंडार में निरंतर रूप से गिरावट आती रही है क्योंकि घरेलू उद्योग ने इसके द्वारा उत्पादन की गई मात्रा से अधिक की बिक्री करना जारी रखा।

दद. लाभप्रदत्ता में गिरावट असामान्य घटनाक्रमों और न कि चीन जन.गण. से आयातों के कारण हुई है। इसने घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन को प्रभावित किया।

धध. चमड़ा निर्यात परिषद (सीएलई) ने 08 फरवरी 2022 को प्रकटीकरण विवरण में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कीं जो टिप्पणियां प्रदान करने के लिए निर्धारित समयावधि से काफी अधिक है। अपने निवेदन में, सीएलई ने तर्क दिया है कि पीयूसी के लिए चीन पीआर के निर्यात मूल्य से वैट समायोजन नहीं किया जाना चाहिए।

### ञ.2. अन्य घरेलू उत्पादक द्वारा अनुरोध

**104.** विजेता निप्पॉन लेदरेट प्रा। लिमिटेड, अन्य घरेलू उत्पादक, जिन्होंने पहले जांच में भाग नहीं लिया था, ने निम्नलिखित प्रकटीकरण के बाद विवरण प्रस्तुत किया है:

क. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित पीयू लैदर सभी अर्थों में चीन जन.गण. से आयात किए गए पीयू लैदर के समान और सदृश्य है। उनके निर्माण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है।

ख. हितबद्ध पक्षकारों ने उत्पाद अपवर्जन के लिए आधारहीन दावे प्रस्तुत किए हैं, जब भारतीय निर्माताओं की निर्माण की प्रक्रिया चीन के निर्माण की प्रक्रिया जैसी ही है। नई प्रौद्योगिकी के साथ दावा किए गए निर्माण की प्रक्रिया के बारे में संगत प्रमाण कृपया हितबद्ध पक्षकारों से मांगा जाए।

ग. डब्ल्यूएनएलपीएल ग्राहकों की पसंद और मांग के अनुसार पीयूसी के अपेक्षाकृत अधिक मात्राओं तथा लघु मात्राओं की आपूर्ति करने में पूरी तरह से सक्षम है। कोई "न्यूनतम आदेश मात्रा" नीति का पालन नहीं किया जाता है।

घ. घरेलू उद्योग डिजाइन की विधि आवश्यकताओं को पूरा करने और उच्च कोटि के ब्रांडों की आपूर्ति करने में पूर्ण रूप से सक्षम है।

ड. विचाराधीन उत्पाद की कीमत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए बहुत तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धी है।

च. घरेलू उद्योग चीन के निर्यातकों जिसके पास बहुत बड़ा बाजार हिस्सा है ओर इस कारण से अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में सक्षम नहीं है, द्वारा पाटन की वजह से वास्तविक क्षति का सामना कर रहा है।

छ. चीन जन.गण. से कम कीमत पर पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग का ह्रास और न्यूनीकरण हो रहा है। उत्पादन और बिक्री लागत में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग उचित लाभ मार्जिन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है।

ज. चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क कृपया संबद्ध देशों के द्वारा पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति को समाप्त करने और पोलियुरेथेन लैदर/विचाराधीन उत्पाद के भारतीय निर्माताओं के लिए समान अवसर देने के लिए लगाया जा सकता है।

### ञ.3. घरेलू उद्योग का अनुरोध

**105.** घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध नीचे दिए गए हैं:

क. वेनझोऊ वाल्कानो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा अपने प्रश्नावली के उत्तर में साझा की गई सूचना की प्रामाणिकता और सटीकता संदिग्ध है और उसकी फिर से जांच की जानी चाहिए।

ख. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में चीन के निर्यातक गलत घोषणा में लिप्त हैं, जिनमें वे चीन में सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष लगान की सही मात्रा और मूल्य की घोषणा करते समय भारतीय सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष लगान के लिए गलत मात्रा और मूल्य की घोषणा करते हैं।

ग. प्राधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे समान लेन-देन के लिए अपने प्रश्नावली के उत्तर में निर्यातक द्वारा दिए गए मूल्य के साथ डीजीसीआईऐंडएस आंकड़ों में दिए गए मूल्य की तुलना करें। यदि बीजक मूल्य में बहुत अधिक अंतर हो तब वह स्वत: यह सिद्ध करेगा कि वेनझाऊ वोल्केनो द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर सही नहीं है जिसके फलस्वरूप वेनझाऊ वोल्केनो द्वारा दिए गए उत्तर को सीधे अस्वीकार करना चाहिए।

घ. वेनझाऊ वाल्केनो और फुजियन डिमा द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों में विसंगतियां रही हैं जिनमें स्पष्ट उत्तर दो हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उनके दर्जे के संबंध में भ्रम पैदा करने के लिए दिया गया है। उदाहरण के लिए, जबकि 2007 में स्थापित फुजियन डिमा यह दावा करता है कि वेनझाऊ वोल्कनो इसका अंग्रेजी नाम है, वेनझाऊ वोल्कनो द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तर के अनुसार 25 नवंबर, 2015 को यह स्थापित किया गया था। इसके अलावा, दोनों पक्षकारों ने अलग-अलग प्रश्नावली का उत्तर भी प्रस्तुत किया है।

ड. माननीय प्राधिकारी ने प्रकटन पश्चात चरण में भी संबंधित देशों से उत्पादकों/निर्यातकों के द्वारा प्रस्तुत किए गए उत्तरों को अस्वीकार किया है। आस्ट्रेलिया, यूरोपीय यूनियन और सिंगापुर के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए *"फलैक्सीबल स्लैबस्टॉक पालियोल"* के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच पर विश्वास किया गया है। इसके अलावा पीड़ित निर्यातकों ने माननीय सेस्टेट के समक्ष एक अपील दायर की जिसने माननीय प्राधिकारी के प्रकटन के टिप्पणियों को अंतिम जांच परिणाम के आधार में परिवर्तन करने के अधिकार की पुष्टि की और अपील को खारिज किया।

च. विचाराधीन उत्पाद पर शुल्क चाहे वह किलोग्राम आधार पर अर्थात मात्रा के संदर्भ में हो और न कि मीटर के आधार पर अर्थात लंबाई के संदर्भ में हो, शुल्क से बचने के लिए कम किया जा सकता है। वर्तमान मामले में गलत घोषणा की बिल्कुल गलत प्रथा को देखते हुए, प्रति किलोग्राम यूएस डॉलर पर पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे किसी कार्यपद्धतियों के क्षेत्र को कम करने में मदद मिलेगी। यह व्यापक रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक लदान के लिए वजन की माप कस्टम के पोर्ट में किया जाता है। इसके अलावा, चीन जन.गण. सहित विश्व स्तर पर अनेक देश भी मीटर के बजाय किलोग्राम आधार पर पीयू लैदर पर मूल सीमा शुल्क लगाते हैं। तुर्की ने चीन से पोलियुरेथेन/लैदर प्रतिस्थानापन्न के साथ इम्प्रेगनेटेड, कोटेड, कवर्ड अथवा लेमिनेटेड वस्त्र फैब्रिक्स के आयात पर 2005 से यूएस डॉलर/किलोग्राम में पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

छ. फजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड और चीन के अन्य उत्पादक और निर्यातक से पाटन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। चीन के इन उत्पादकों/निर्यातकों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के कारण विचाराधीन उत्पाद के भारतीय उत्पादकों को गंभीर क्षति हो रही है।

ज. प्राधिकारी से यह अनुरोध किया जाता है कि वे इसके निर्यातकों, वेनझाऊ वोल्कनो द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रश्नावली के उत्तर में विसंगतियों के मामले में फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड के पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का फिर से मूल्यांकन करें।

**ञ.4. प्राधिकारी द्वारा जांच**

**106.** यह देखा जाता है कि इस कथन के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके द्वारा पूर्व में किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है। प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के समय अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों की पहले ही जांच कर ली है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचार जो पहले किए गए अनुरोधों की पुनरावृत्ति मात्र है, को फिर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकटन विवरण के संबंध में

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जिनका पहले ही प्राधिकारी द्वारा जांच नहीं की गई है, का निवारण यहां नीचे किया गया है:

क. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनेक पक्षकारों ने प्रकटन विवरण जारी किए जाने के बाद पहली बार प्राधिकारी के समक्ष अनुरोध किए हैं। हालांकि उन तर्कों को भी रिकॉर्ड पर लिया गया है और जहां कही भी आवश्यक हुआ, रिकॉर्ड पर लिए गए आंकड़ों का यह सुनिश्चित करने के लिए पुन: सत्यापन किया गया है कि उठाई गई चिंताओं का विधिवत निवारण हो सके। हालांकि प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद नए मुद्दे उठाने, वह भी जांच के किसी पूर्व के चरण में बिना भाग लेते हुए, पक्षकारों की ओर से ऐसे दृष्टिकोण को बिल्कुल नहीं माना जाता है। इसके अलावा, सीएलई ने अपनी टिप्पणियों को समय सीमा से काफी आगे जमा कर दिया है, हालांकि, उस पर प्राधिकरण द्वारा अपने विश्लेषण में प्रासंगिक सीमा तक विचार किया गया है।

ख. नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि उनके द्वारा दावा किए गए अपवर्जन माइक्रोफाइबर आधार पीयू के लिए था जबकि प्राधिकारी ने अपरिष्कृत माइक्रोफाइबर पर टिप्पणी की है। प्राधिकारी नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत किए गए दिनांक 5 अगस्त, 2021 के प्रश्नावली के उत्तर तथा मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें उन्होंने निम्नानुसार अनुरोध किया है:

> *गैर-बुना कपड़ा विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चे माल में से एक है और इसे एचएस कोड 56031400 के तहत आयात किया जाता है। गैर-बुने हुए कपड़े पर, पॉलीयुरेथेन की एक अतिरिक्त परत को पॉलीयूरेथेन चमड़े में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। इसलिए, दो उत्पादों को कोटिंग के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। यदि उत्पाद पॉलीयुरेथेन चमड़ा है, तो इसे अनिवार्य रूप से कम से कम एक तरफ लेपित किया जाना चाहिए और किसी भी गैर-लेपित उत्पाद या पॉलीयूरेथेन के अलावा किसी अन्य पदार्थ के साथ लेपित उत्पाद के रूप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे उत्पाद माना जाना चाहिए। जिस उत्पाद के लिए स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है वह वास्तव में कच्चा माल है। इसके अलावा, प्रतिवादी सूचना के अनुसार, विचाराधीन उत्पाद के भारतीय निर्माता स्वयं गैर-बुने हुए कपड़े का आयात कर रहे हैं और उस पर पीयू या पीवीसी कोटिंग करके, वे पॉलीयूरेथेन चमड़े का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे द्वारा आयातित गैर-बुना कपड़ा गर्भवती कपड़े है और लेटेक्स, रसायन या पॉलीयूरेथेन के साथ डूबा हुआ है।*
>
> *माइक्रोफाइबर फैब्रिक पीयू और नाइलोन फाइबर और कभी कभी पोलिस्टर फाइबर से भी इम्प्रेगनेशनल अथवा डिपिंग अथवा मिलाकर बनाया गया गैरी-वोवन फैब्रिक है।* ***यह डिप किया हुआ है न कि कोटेड फैब्रिक।***

ग. इस कारण से, नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने नॉन-ओवर फैब्रिक और माइक्रोफाइबर फैब्रिक, दोनों उत्पादों, जो बिना पीयू कोटिंग के हो, को बाहर रखने की मांग की थी। हालांकि, हितबद्ध पक्षकार ने दिनांक 2 फरवरी, 2022 के ईमेल के माध्यम से पीयू कोटिंग अथवा माइक्रोफाइबर सिंथेटिक लैदर अथवा माइक्रोफाइबर फैब्रिक को बाहर रखने के लिए नए अनुरोध किए हैं और प्रकटन पश्चात चरण में प्रकटन विवरण के संबंध में टिप्पणियां दी हैं।

घ. चूंकि प्राधिकरण तर्कों की जांच नहीं कर सकता है और न ही अन्य इच्छुक पार्टियों को उस पर अपनी टिप्पणी करने का अवसर प्रदान कर सकता है, नवकार के नए अनुरोध पर विचार करना इक्विटी का हित नहीं होगा। किसी भी स्थिति में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त पैराग्राफ में नवकार यह भी स्वीकार करते हैं कि पीयूसी के भारतीय विनिर्माता स्वयं गैर-बुने हुए कपड़े का आयात कर रहे हैं और उस पर पीयू कोटिंग कर रहे हैं। यह भी नोट किया जाता है कि रिकार्ड में उपलब्ध आंकड़े यह स्थापित

करते हैं कि घरेलू उत्पादकों ने जांच की अवधि के दौरान माइक्रोफाइबर लेपित पु चमड़े की आपूर्ति की है । इसे देखते हुए, प्राधिकरण प्रकटीकरण के बाद के चरण में मांगे गए बहिष्करण के अनुरोध को अस्वीकार करता है।

ड. इसके अलावा, नवकार टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत ईमेल संचार के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईमेल के रूप में दिया गया साक्ष्य अपूर्ण और जांच की अवधि के क्षेत्र से बाहर है। इस संबंध में, यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा साझा किए गए ईमेल संचार में संपर्क विवरण के लिए अनुरोध किया था। हालांकि, कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकार द्वारा ईमेल चेन के अनुसार साझा नहीं की गई थी। प्राधिकारी आगे, यह स्पष्ट करते हैं कि सकल क्षति को दर्शाते हुए घरेलू उद्योग द्वारा दी गई जांच की अवधि के बाद के आंकड़े/सूचना की जांच वर्तमान पाटनरोधी जांच के मूल जांच होने के कारण, जांच नहीं की। इस कारण से, नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जांच की अवधि के बाद की अवधि में अनुरोध के अनुकूल होने पर भी विचार नहीं किया जा सकता है।

च. जहां तक ड्राई तकनीक का उपयोग करते हुए, निर्मित विचाराधीन उत्पाद को बाहर रखने के लिए किए गए अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी उत्पादक/निर्यातक अथवा इस जांच में भाग लेने वाले निर्यातकों के संध ने केवल ड्राई प्रक्रिया को शामिल करते हुए नई तकनीक के बारे में उल्लेख किया है, यह सूचित करता है कि निर्माण की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है और उत्पादन किया गया उत्पाद दो चरण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए निर्मित विचाराधीन उत्पाद के साथ वाणिज्यिक रूप से और उपयोगवार प्रतिस्थानापन्न के योग्य हैं। प्रयोक्ता उद्योग ने ड्राई प्रक्रिया का उपयोग करते हुए, निर्मित उत्पादों को बाहर रखने का अनुरोध करते हुए अपने प्रकटन पश्चात अनुरोधों में भी दो तकनीकों का उपयोग करते हुए, निर्माण किए गए उत्पादों में अंतर स्थापित करने के लिए कोई वास्तविक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। इस कारण से, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इन दोनों में से किसी भी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए निर्मित उत्पाद " समान वस्तु" हैं और इस प्रकार केवल ड्राई तकनीक का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पादों के अपवर्जन के लिए ऐसे आंकड़े में कोई दम नहीं पाते हैं।

छ. जहां तक उद्धृत गुणवत्ता के मुद्दों का संबंध है, प्राधिकरण ने अपने निरंतर अभ्यास के अनुसार यह पाया है कि गुणवत्ता के मुद्दे बहिष्करण के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। किसी भी स्थिति में, आयातक/उपयोगकर्ता उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं का आयात करने में सक्षम बने रहेंगे और इसलिए, ऐसे दावे उचित नहीं हैं।

ज. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पीयू रेसिन के लिए निर्भरता का आयात करने के कारण बहुत अधिक है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग आयात कर रहा है और घरेलू स्तर पर पीयू रेसिन की खरीद कर रहा है।

झ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर-वापसी योग्य वैट 4% है जैसा कि इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है न कि 13% जैसा कि डीआई द्वारा दावा किया गया है। इस तर्क के संबंध में कि निर्यात कीमत की गणना करते समय गैर-वापसी योग्य वैट घटक के लिए किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है, प्राधिकारी वैट पर डीआई और इच्छुक पार्टियों के प्रस्तुतिकरण को नोट करते हैं। चूंकि किसी भी निर्माता/निर्यातक ने गैर-वापसी योग्य वैट के इस समायोजन पर टिप्पणी नहीं की है और डीआई के स्पष्टीकरण और प्राधिकरण के निरंतर अभ्यास को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 4% के गैर-वापसी योग्य वैट के साथ कारखाना-पूर्व निर्यात मूल्य समायोजित किया है। तदनुसार, चीन जनवादी गणराज्य से निर्यात के लिए कारखाना बाह्य स्तर पर निवल निर्यात कीमत की गणना की गई है और इसे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

ञ. लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के रूप में 22 प्रतिशत को मानने के तर्क का जहां तक संबंध है, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III और प्राधिकारी की सतत् कार्य-पद्धति के अनुसार क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है।

ट. इस तर्क के संबंध में कि भारत में सीमा शुल्क प्राधिकरणों द्वारा लागू किए गए बढ़े हुए मूल्यांकन पर मूल सीमा शुल्क की गणना के बाद मूल्य कटौती और कम बिक्री का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्राधिकरण ने अपने निरंतर अभ्यास के अनुसार कीमत में कटौती और कम बिक्री का आकलन किया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रावधानों के अनुसार आयात का मूल्य, उक्त अधिनियम की धारा 3, 3ए, 8बी, 9 और 9ए के तहत शुल्क को छोड़कर सभी सीमा शुल्क सहित निर्धारणीय मूल्य के रूप में।

ड. प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव की जांच वर्तमान जांच परिणाम में "भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे" भाग अंतर्गत किया गया है।

ढ. प्राधिकारी एक अन्य उत्पादक विनर निप्पन लैदरेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा घरेलू उद्योग की याचिका के समर्थन को नोट करते हैं। डब्ल्यूएनएलपीएल द्वारा दिए गए तर्कों को पहले ही प्रकटन विवरण में विधिवत ले लिया गया है और प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम में घरेलू उद्योग के आधार के आकलन में इस समर्थन की जांच की है।

ण. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से एकाधिकार उत्पन्न होगा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में विचाराधीन उत्पाद के पहले से ही चार निर्माता हैं और भारतीय बाजार पर चीन के आयातों का दबदबा है। इस प्रकार, प्राधिकारी को इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता है।

त. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच परिणाम के पैरा 50 और 51 में उल्लिखित कारणों के आधार पर वेनझोऊ वोलकेनो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड और फुजियन डिमा सिंथेटिक लैदर कंपनी लिमिटेड के उत्तर को अस्वीकार किया है। इस संबंध में प्राधिकारी मैसर्स *शेल ईस्टर्न पैट्रोलियम लिमिटेड और अन्य बनाम संघ सरकार व अन्य* 2018(364) ईएलटी 423 (ट्राई-दिल्ली) में माननीय सेस्टेट के निर्णय को नोट करते हैं जिसमें यह माना गया था कि प्राधिकारी के पास प्रकटन विवरण के जारी किए जाने के बाद अंतिम जांच परिणामों में परिवर्तन करने की शक्ति ऐसे परिवर्तनों के अनुसरण में एक संशोधित प्रकटन विवरण फिर से जारी करने की आवश्यकता के बिना है।

थ. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में प्रति किलोग्राम अमरीकी डालर में शुल्क लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि घरेलू उद्योग ने किलोग्राम में आंकड़े नहीं बनाए हैं।

## ट. <u>भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे</u>

**107.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्य तौर पर पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र से किसी भी रूप में आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और इस कारण से उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगा।

**108.** यह मान लिया गया है कि पाटनरोधी शुल्क को लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद के कीमत स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क विशेषकर यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी उस राशि तक सीमित हो, जो घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक हो, कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों के द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त हो जाएगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

**109.** पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग के निर्यात कार्य-निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की खरीद पाटनरोधी शुल्क सहित सीमा शुल्कों के भुगतान के बिना अग्रिम अधिकरण योजना के अंतर्गत की जा सकती है।

**110.** घरेलू उद्योग के अनुसार, यदि फुटवियर का अपर के लिए एक तरफ के पीयू लैदर की आवश्यकता है तब पीयू लैदर का एक मीटर से, लगभग 18 जोड़ी जूतों का निर्माण किया जा सकता है और यदि फुटवियर के अपर के लिए दोनों तरफ के पीयू लैदर की आवश्यकता हो तब पीयू लैदर के एक मीटर से छह जोड़ी जूतों का निर्माण किया जा सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह मानते हुए कि यदि पाटनरोधी शुल्क 50 रुपए प्रति मीटर हो तब एक साइड वाला अपर के लिए प्रभाव 2.77 भारतीय रुपए प्रति जोड़ा (अर्थात 50/18) और उत्पाद की कुल निर्माण लागत में से दोनों तरफ के अपर के लिए 8.33 भारतीय रुपए प्रति जोड़ा (अर्थात 50/6) होगा, एक उदाहरण दिया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि किसी भी फुटवियर विनिर्माताओं के उपयोगकर्ता संघों ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए फुटवियर उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के संभावित प्रभाव के मात्रात्मक विश्लेषण का खंडन नहीं किया है।

**111.** प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकटन विवरण की अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि फुटवियर उद्योग पर शुल्क का प्रभाव *** रु. प्रति जूता और नकि 8.33 रुपए प्रति जोड़ा होगा, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध किया गया है। नवकर टेकटेक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा *** ग्राम प्रति जूता की खपत के संबंध में आंकड़ा प्राप्त करने के लिए विश्वास किए गए वेबलिंक की जांच करने के बाद, प्राधिकारी ने यह पाया है कि यह आंकड़ा वर्तमान जांच में संगत नहीं है क्योंकि यह लिंक जूते के निर्माण में पोलियुरेथेन, एक रसायन पदार्थ का *** ग्राम के रूप में और न कि विचाराधीन उत्पाद के रूप में उपयोग का उल्लेख करता है। इसके अलावा, यह नोट किया जाता है कि रसायन पदार्थ पोलियुरेथेन का उपयोग फुटवियर के सोल के लिए किया जाता है जबकि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग सोल के अपर में किया जाता है। इस कारण से यह सूचना संबद्ध नहीं है।

**112.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाइबर बॉन्ड इंडस्ट्रीज ऐंड फाइबर ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकटन विवरण की अपनी टिप्पणियों में भारतीय बेल्ट उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क, यदि लेवी किया जाए, के प्रभाव को दर्शाने के लिए गणना उपलब्ध कराई है। हालांकि, उक्त गणना का समर्थन किसी साक्ष्य के द्वारा नहीं किया गया है। इसके बावजूद, प्राधिकारी ने दी गई गणना की जांच की है ओर वे यह नोट करते हैं कि इन कंपनियों द्वारा विचार की गई बकल खपत *** बेल्ट के कुल उत्पादन की तुलना में *** है। इस प्रकार, यह सूचना प्रथमदृष्टया अविश्वसनीय है।

**113.** प्राधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 07 फरवरी, 2021 द्वारा भारत में बेल्ट विनिर्माताओं पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के लिए घरेलू उद्योग से टिप्पणियों का अनुरोध किया। घरेलू उद्योग ने विभिन्न बेल्ट विनिर्माताओं से प्राप्त पत्र में निहित सूचना के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:

> *औसतन 1.25 मीटर पीयू लेदर के साथ, सिंगल साइड पीयू लेदर के साथ 34 बेल्ट (यानी, (33+35)/2) बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा, एक पु चमड़े की बेल्ट के निर्माण की औसत लागत लगभग रु। 110 जिसमें पु चमड़ा लगभग बनता है। कुल विनिर्माण लागत में 9%। इसलिए, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ADD को रु। संबद्ध देश से पीयू लेदर के आयात पर 50 रुपये प्रति मीटर, ऐसे परिदृश्य में, प्रति बेल्ट की लागत पर कुल प्रभाव रु. 1.83 (यानी, (50 X 1.25) /34) या 1.66% (यानी, 1.83/110)।*

**114.** मादीपुर चप्पल उद्योग एसोसिएशन के अनुरोध के संबंध में, प्रयोक्ता संघ ने प्रकटन पश्चात चरण तक भाग नहीं लेने का विकल्प चुना है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विलंबित चरण में ऐसे अनुरोध नए दावे किए जाने के समतुल्य हैं और उन्हें तत्काल अस्वीकार किया जाना चाहिए। फिर भी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा किए गए निर्यात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद की खरीद घरेलू स्तर पर अर्थात् पाटनरोधी सीमा शुल्क सहित सीमा शुल्क के भुगतान के बिना की जा सकती है।

**115.** प्राधिकारी नोट करते हैं कि फाइबर बॉड इंस्ट्रीज ऐंड फाइबर ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड ने प्रकटन विवरण के संबंध में अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि कोटिंग प्रक्रिया में घरेलू उद्योग द्वारा किया गया मूल्यवर्धन न्यूनतम है जबकि विचाराधीन उत्पाद का उपयोग करते हुए डाउनस्ट्रीम उद्योग द्वारा मूल्यवर्धन बहुत अधिक है और इस कारण से पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित में नहीं है। इस संबंध में प्राधिकारी का यह विचार है कि सबसे पहले घरेलू उद्योग द्वारा बहुत अधिक मूल्यवर्धन हुआ है और किसी भी हालत में घरेलू उद्योग द्वारा मूल्यवर्धन किसी पाटनरोधी जांच के संदर्भ में जनहित की जांच में एक निर्धारक कारक नहीं हो सकता है।

**116.** इसके अलावा, प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं समग्र मांग में चीन जन.गण. का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान 80 प्रतिशत है जो यह देखते हुए असामान्य रूप से अधिक हे कि संबद्ध वस्तुओं के लिए तीन घरेलू उत्पादक हैं।

| **विवरण** | | **2017-18** | **2018-19** | **जांच की अवधि** | **जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)** |
|---|---|---|---|---|---|
| समग्र मांग में संबद्ध देश से आयात | % | *** | *** | *** | *** |
| | सूचीबद्ध | 100 | 93 | 91 | 91 |

**117.** प्राधिकारी के विचार से, समग्र मांग में चीन जन.गण. का इतना अधिक बाजार हिस्सा भारत में प्रयोक्ता उद्योग को बहुत अधिक जोखिम उत्पन्न करता है क्योंकि संबद्ध वस्तु के लिए चीन में घरेलू बाजार में कोई रुकावट अथवा किसी कारक के कारण चीन जन.गण. से आपूर्ति चेन में किसी रुकावट से प्रयोक्ता उद्योग के लिए बहुत अधिक कठिनाईयां उत्पन्न होगी जिनमें से कुछ एमएसएमई हैं।

**118.** इस प्रकार, रिकॉर्ड पर सूचना यह दर्शाती है कि पाटनरोधी शुल्क को नहीं लगाए जाने से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ेगा जबकि शुल्क लगाना उपभोक्ताओं अथवा डाउनस्ट्रीम उद्योग अथवा व्यापक तौर पर आम जनता को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगा।

## ठ. <u>निष्कर्ष</u>

**119.** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों और किए गए अनुरोधों और प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों जैसा कि इस जांच परिणाम में रिकॉर्ड किया गया है, की जांच करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

क. संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है जो इस तथ्य का स्पष्ट संकेत देता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ख. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात भारत को संबद्ध देश से इसके सामान्य मूल्य से कम पर बहुत अधिक मात्राओं में भारत को की गई है जिसके फलस्वरूप पाटन हुआ है।

ग. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के कार्यनिष्पादन की जांच स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा पूर्ण रूप में और सापेक्ष दोनों रूप में क्षति की अवधि के दौरान बहुत अधिक रही है। संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है तथा उस पर दबाव पड़ रहा है। घरेलू उद्योग के उत्पाद, बिक्री, क्षमता उपयोग और बाजार हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन क्षति की अवधि के दौरान लाभ, नकद लाभ और लगाई गई पूंजी पर प्रतिफल के मामले में बहुत अधिक हद तक कम रही है। घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में निवेशों पर नकारात्मक प्रतिफल और वित्तीय हानि हुई है। संबद्ध देश से आयातों का बाजार हिस्से पर कब्जा रहा है जबकि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा एक अंक में रहा है। विकास जांच की अवधि में बहुत अधिक मात्रा और कीमत मापदंडों में नकारात्मक है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी का इस प्रकार निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

घ. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है।

ड. शुल्क लगाए जाने के लिए प्रस्तावित सिफारिश नीचे संक्षेप में दिए गए कारकों के कारण जनहित के विरुद्ध नहीं होगा:-

i. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है।

ii. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से किसी भी तरह से संबद्ध देश/प्रक्षेत्र के आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे।

iii. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उद्योग के निर्यात कार्य-निष्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि विचाराधीन उत्पाद का आयात अग्रिम अधिकरण के अंतर्गत शुल्क मुक्त रूप में किया जा सकता है।

iv. समग्र मांग में चीन जन.गण. का अधिक बाजार हिस्सा भारत में प्रयोक्ता उद्योग, जिनमें से कुछ एमएसएमई हैं, को बहुत अधिक जोखिम उत्पन्न करता है क्योंकि किसी कारक के कारण चीन जन.गण. से आपूर्ति चेन में किसी रुकावट के फलस्वरूप प्रयोक्ता उद्योग के लिए बहुत अधिक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी।

v. फुटवियर और बेल्ट इंडस्ट्री पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव नगण्य है।

## ड. <u>सिफारिशें</u>

**120.** प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध कराने के लिए घरेलू उद्योग, संबद्ध देशों के दूतावासों, निर्यातकों, आयातकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिया गया था। इस नियमावली के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच की शुरुआत करने और इसे पूरा करने के बाद, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना क्षति के पाटन को प्रतिसंतुलित करने के लिए अपेक्षित है। इस कारण से प्राधिकारी यहां नीचे दिए गए वर्णित रूप में और तरीके से पांच वर्षों की अवधि के लिए संबद्ध देश से, संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक मानते हैं।

**121.** इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित के संबंध में, प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग की क्षति समाप्त हो सके। तद्नुसार, प्राधिकारी चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करते हैं।

**शुल्क तालिका**

| क्र.सं. | शीर्ष/उपशीर्ष | वस्तुओं का विवरण | मूलता का देश | निर्यात का देश | उत्पादक | राशि | यूओएम | मुद्रा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | *5603.94.00 5903.20.90* | पोलियुरेथेन लैदर जिसमें एक ओर से या दोनों ओर से पोलियुरेथेन कॉटेड किसी भी तरह का टेक्सटाइल शामिल है | चीन जन.गण. | चीन जन.गण. सहित कोई देश | अनहुई अनली मैटिरियल टैक्नोलोजी कंपनी लिमिटेड | शून्य | मीटर | यूएसडॉलर |
| 2. | -वही- | -वही- | चीन जन.गण. | चीन जन.गण. सहित कोई देश | क्र.सं. 1 के अलावा कोई अन्य उत्पादक | 0.46 | मीटर | यूएसडॉलर |
| 3. | -वही- | -वही- | चीन के अलावा कोई भी देश | चीन जन.गण. | कोई भी | 0.46 | मीटर | यूएसडॉलर |

**122.** सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह संबंधित उत्पाद के क्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

**123.** इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य आकलन योग्य मूल्य होगा, जैसा कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा यथानिर्धारित है और इसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9, 9क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमा शुल्क शामिल हैं।

**124.** इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Commerce)**

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

**NOTIFICATION**

**FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 21st February, 2022

**Case No. AD-OI-46/2020**

**Subject : Final Findings in anti-dumping investigation concerning imports of "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane" originating in or exported from China PR.**

## A. BACKGROUND OF THE CASE

1. **F. No. 6/55/2020-DGTR.—**Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as "the Rules") thereof.

2. M/s Topline Commodities Private Limited (hereinafter also referred to as the "applicant" or the 'petitioner" or the "domestic industry") has filed an application (hereinafter also referred to as the "application" or the "petition") before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules") for initiation of an anti-dumping investigation concerning the imports of "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane", (hereinafter also referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or the "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country").

3. The Authority, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/55/2020-DGTR dated 24th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

## B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed with regard to the subject investigation:

   a. The Authority notified the Embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.

   b. The Authority issued a public notice dated 24th February, 2021 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning the import of the subject goods from the subject country.

   c. The Authority sent through email dated 9th March, 2021 a copy of the initiation notification No. 6/55/2020-DGTR dated 24th February, 2021 to the Embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, user associations and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide the relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit.

d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassy of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

e. The Embassy of the subject country in India, was also requested to advise the exporters/producers from its country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. Also, the Authority had sent, the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country, to the Embassy of the subject country in India. Separately, a copy of the letter and questionnaire was sent to the producers/exporters, as per the email addresses made available by the applicant.

f. The Authority, upon request made by the interested parties, granted extension of time to the interested parties to file their Questionnaire Responses. Vide communication dated 20th April, 2021, the time was extended up to 30th April, 2021. Further, on the basis the request from interested parties, the time to file the Questionnaire responses was extended up to 11th June, 2021.

g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

i. Anhui Anli Material Technology Co. Ltd.

ii. Anhui Dasen Import & Export Co. Ltd.

iii. Anhui Deewang Co. Ltd

iv. China Best Agent Co. Ltd

v. Guangzhou Weixin Leather Goods Co. Ltd

vi. Hangzhou Staritaly Synthetic Leather Co. Ltd

vii. Jiangsu Dongtai Polymeric Matrials Co. Ltd

viii. Jinhua Yongsheng Import & Export Co. Ltd

ix. Jinjiang Hengdeli Shoes Material

x. Linkland Enterprise (Sanghai) Co., Ltd.

xi. Lishui Haihe International Enterprise Co. Ltd

xii. Neshat Trade Limited

xiii. Qingxiang International Limited

xiv. Shanghai Hongbo International

xv. Shanghai Hongbo International Trading Co., Ltd

xvi. Shaoxing Dongtai Polymeric Matrials Co. Ltd

xvii. Shaoxing E-Chi Leather Co. Ltd

xviii. Shaoxing Golden Empress Leather and Plastics Co. Ltd

xix. Wenzhou Atlantic Imp & Exp. Co. Ltd.

xx. Wenzhou Bozhan International

xxi. Wenzhou Broad International Trade

xxii. Wenzhou Davan International Trade Co. Ltd

xxiii. Wenzhou Foreign Trade Industrial Product Co. Ltd

xxiv. Wenzhou Foreign Trade Industrial Product Co. Ltd.

xxv. Wenzhou Heli Synthetic Leather Co.

xxvi. Wenzhou Huashang International Trading Co. Ltd

xxvii. Wenzhou Imitation Leather Co. Ltd

xxviii. Wenzhou International Eco & Tec Co-Operation Co. Ltd.

xxix. Wenzhou Jiaju Trading Co. Ltd

xxx. Wenzhou Longwan Foreign Trade Co. Ltd

xxxi. Wenzhou Pellr Trading Co. Ltd

xxxii. Wenzhou Sing-Rui International Trade Co. Ltd

xxxiii. Wenzhou Vega International Trade Co

xxxiv. Wenzhou Volcano Foreign Trading

xxxv. Wenzhou Volcano International Trading Co. Ltd.

xxxvi. Wenzhou Zhenjin International Trade Ltd.

xxxvii. Zhejiang Sino Rich International Enterprise Co. Ltd

h. In response to the above notification, the following producers/exporters and their related exporters/traders have responded and submitted/filed exporters' questionnaire responses and/or legal submissions:

i.Anhui Anli Material Technology Co. Ltd

ii.Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd

iii.Wenzhou Volcano International Trading Co. Ltd.

i. The Authority sent questionnaires to the following known importers and users of the subject goods in India, calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules.

i.A.D Impex

ii.A.K Fashions

iii.A.R Exim

iv.A.V. Enterprise

v.Aaditya Enterprises

vi.Aarti International

vii.Ace Overseas

viii.Aditya Impex

ix.Ajani Enterprises

x.Anand Diaries Pvt. Ltd.

xi.Asia Traders

xii.Asian Leather Private Limited

xiii.B.R. Leather Impex

xiv.Bajaj Traders

xv.Capital Leather

xvi.Dee Pee Leather Store

xvii.Dimple Rexine Store

xviii.Eden Enterprises

xix.Elixer Impex

xx.F.C. International

xxi.Faiz Enterprise

xxii.Fibre Trade Linc Pvt.Ltd.

xxiii.Fortune International

xxiv.Gallant Overseas

xxv.Goradia Printers

xxvi.H. S. Impex Private Limited

xxvii.Hancy Global India

xxviii.HMQ Leather Export

xxix.International Footsteps

xxx.Iskon Sales Corporation

xxxi.J H Impex

xxxii.K H Exports India Private Limited

xxxiii.K. Ramesh Chand & Co.

xxxiv.K.V.S. Traders

xxxv.KCM Traders

xxxvi.Kumar Impex

xxxvii.Mahadev Enperprise

xxxviii.Mahalaxmi Overseas

xxxix.Maxking (India) Footwear Private Limited

xl.Miqat International

xli.Monex Global

xlii.Monex International

xliii.N.C. Enterprises

xliv.New India Rexine House

xlv.Nidhi Enterprises

xlvi.Northern Consumables Private Limited

xlvii.P A Footwear Pvt Ltd

xlviii.Pankaj Impex

xlix.Perfect Leathers

l.Rains Exim

li.Rallis Overseas

lii.Raman Leathers

liii.Reliance Tarpaulines

liv.Royal Impex

lv.S M Enterprises

lvi.S V Synthetics

lvii.Sam Enterprises

lviii.Shiva Sales Corporation

lix.Shroff Impex Private Limited

lx.Star Impex

lxi.Sunny Sales

lxii.Sunshine Impex

lxiii.Team Asia Marketing Pvt. Ltd.

lxiv.Thakur Impex

lxv.Topsia Estates Pvt Ltd

lxvi.Zaf Overseas LLP

j. In response to the above notification, the following importers or users have responded and submitted importer/user questionnaire responses/legal submissions and/or registered as interested parties:

i.Alpine Apparels Pvt Ltd

ii.Navkar Techtex Pvt Ltd

iii.Fibre Bond Industries

iv.Fibre Trade Linc Pvt Ltd

k. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 24th February, 2021 to the following known associations of the users of the subject goods in India.

i.The Indian Leather Products Association

ii.Jawaja Leather Association

iii.All India Skin and Hide Tanners & Merchants Association

iv.Indian Leather Technologists Association

v.Dolphin Leathers

vi.Ambur Glow Leather Goods Association

l. In response to the above notification, the following associations of the users of the subject goods have responded to the initiation notification and filed legal submissions and/or registered as interested parties:

i.All India Rubber Industries Association

ii.China Chamber of Commerce for Import and Export of Textiles

iii.Council for Leather Exports (CLE)

iv.Leather Merchants Association

m. Further, the following domestic producer and associations of the users / importers of the subject goods have filed submissions for the first time after the issuance of disclosure statement by the Authority:

i.Madipur Chappal Udyog Association

ii.Bapa Nagar Handmade Footwear Association

iii.Fraternity of Agra Footwear Manufacturers

iv.Winner Nippon Leatherette Pvt. Ltd.

n. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is 1st April, 2019 to 30th September, 2020 (18 months). The injury examination period covers the period 1st April, 2017 – 31st March, 2018, 1st April, 2018 – 31st March 2019 and the POI as the domestic industry started the commercial production of the PUC in June, 2017. The Authority took into consideration a longer period of investigation since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports.

o. The request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of the imports of the subject goods for the injury period and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has relied upon the DGCI&S imports data for computation of the volume & value of the imports and the injury analysis.

p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a public hearing held online on 29th July, 2021.The parties, which presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The parties shared their non-confidential written submissions with other interested parties and were advised to offer their rebuttals.

q. A list of all the interested parties was uploaded on DGTR's website vide letter dated 24-06-2021 along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties since the public file was not accessible physically due to the ongoing Covid-19 global pandemic.

r. Further information was sought from the applicant to the extent deemed necessary. The verification of the data provided by the domestic industry as well as the exporters was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation. Further, additional documents/clarifications were called from Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd, China PR (Producer), Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd (Exporter).

s. The non-injurious price (hereinafter referred to as the "NIP") based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, having regard to the information furnished by the domestic industry in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules, has been worked out so as to ascertain whether the anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

t. The information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claims. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered as confidential and not disclosed to the other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

u. The submissions made by the interested parties, arguments raised, and information provided by various interested parties during the course of the investigation, to the extent same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.

v. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this investigation, to the extent possible, and verified the data/documents submitted by the domestic industry to the extent considered relevant and possible.

w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority considered such interested parties as non-cooperative and recorded it on the basis of the facts available.

x. A disclosure statement containing essential facts under consideration of the Designated Authority was issued on 28 January, 2022. The non-confidential version of the disclosure statement along with the relevant confidential figures were served to all the interested parties through email, giving reasonable time to furnish comments, if any, on the disclosure statement. The post disclosure comments received from the interested parties have been addressed in the present findings to the extent considered relevant.

y. '***' in this final finding notification represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

**z.** The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US $1= **73.09.**

## C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION ('PUC') AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

*"The product under consideration (PUC) is "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane". The PUC may be in rolled form or sheet form or any other form. The PUC is commercially known as PU Leather. PU Leather is also sold in market parlance by various names such as artificial PU Leather, PU Coated Fabric (Plain/ Printed/ Embossed)/, Lining Material, Synthetic Leather Cloth, PU Synthetic Leather, Synthetic Leather Lining, Dipping PU Lining etc. All such products are also included within the scope of the PUC. The PUC is used in many applications and sectors, such as furnishing, automotive, footwear, clothing, bags and wallets.*

*The PUC is manufactured using the production process which comprises (i) the coagulation or wet process and (ii) the transfer coating or dry process. The coagulation process is the key process which is followed by the finishing process called transfer coating in the manufacturing of the PUC. Therefore, any entity which does not carry out both these processes together but merely carries out the transfer coating process cannot be said to be a manufacturer of the PUC.*

*PU Leather is primarily imported under Chapter 56 and Chapter 59 of the Customs Tariff Act, 1975 under tariff items 5603.94.00 and 5903.20.90 respectively. The imports of PUC are also observed under certain other customs tariff headings viz. 3921.13.90, 5903.10.10, 5903.10.90, 5903.20.10, 5903.90.10, 5903.90.20, 5903.90.90, 5603.11.00, 5603.12.00, 5603.13.00, 5603.14.00, 5603.91.00, 5603.92.00, 5603.93.00, etc."*

### C.1. Submissions by the other interested parties

6. The following submissions were made by the interested parties with regard to the scope of the product under consideration:

a. The domestic industry is unable to manufacture certain types of PU such as washed PU, embossed PU, Suede PU and hence unable to meet the changing designs of the customers.

b. The domestic industry is unable to meet the customer's requirement in terms of quality and designs.

c. The averment of the petitioner that the manufacturing process is the same as that in China, is incorrect in as much as the domestic industry cannot produce PU coated leather through the dry process only and the same has to be essentially preceded by the coagulation or wet process.

d. The domestic industry cannot produce PU coated leather through the dry process only and such PU Leather is also priced higher than that manufactured through a combination of the wet process and dry process and, therefore, it is not in competition with the PUC manufactured by the domestic industry and must be excluded from the scope of the PUC.

e. The petitioner does not supply smaller quantities of PU leather and user industries have to place a large enough volume to get the supplies. In contrast, the imports from China can be done in smaller and economic quantities as per the requirements of the user industry.

f. Non-woven fabric is one of the raw materials for the product under consideration and is imported under the HS code 56031400. On non-woven fabric, an additional layer of Polyurethane is added to convert it in Polyurethane Leather. Therefore, the two products can be differentiated on the basis of coating. If the product is Polyurethane Leather, then it has to be mandatorily coated on at least one side and any uncoated product or coated with some substance other than Polyurethane should be considered as product beyond the scope of the product under consideration. The product for which clarification is being sought is in fact a raw material.

g. Microfiber fabric is a synthetic fabric used as lining materials to make shoes, bags, wallets and as a direct material used to make mats, knits, and weaves, for apparel, upholstery, industrial filters, and cleaning products. The product is imported under the HS

code 59032090. The product closely resembles the product under consideration. Microfiber fabric is a non-woven fabric made with impregnation or dipping or mixed with PU and nylon fibres and sometimes polyester fibres also. It is a dipped fabric and not a coated fabric. Incidentally, microfiber synthetic leather manufacturing technology is not even present in India at present. Further, the prices of the microfiber fabric are significantly high as compared to the PU leather consideration.

**C.2. Submissions by the Domestic Industry**

7. The submissions made by the domestic industry with regard to the product under consideration and like article and considered relevant by the Authority are as follows:

a. The product under consideration in the application is "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane". The PUC maybe in rolled form or sheet form or any other form. The PUC is commercially known as PU Leather. PU Leather is also sold in market parlance by various names such as artificial PU Leather, PU Coated Fabric (Plain/ Printed/ Embossed)/, Lining Material, Synthetic Leather Cloth, PU Synthetic Leather, Synthetic Leather Lining, Dipping PU Lining, etc. All such products are also included within the scope of the PUC. The PUC is used in many applications and sectors such as furnishing, automotive, footwear, clothing, bags and wallets.

b. The product manufactured by the domestic industry (DI) is like article to the product imported from the subject country in all conceivable respects, with the same manufacturing process, functions and uses, quality and technical and commercial characteristics.

c. The manufacturing process adopted by the domestic industry and the one used by the manufacturers in the subject country are identical. The PUC is manufactured using the production process, which comprises (i) the coagulation or wet process and (ii) the transfer coating or dry process. The coagulation process is the key process which is followed by the finishing process called transfer coating in the manufacturing of the PUC. Therefore, any entity which does not carry out both these processes together but merely carries out the transfer coating process cannot be said to be a manufacturer of the PUC.

d. The interested parties have made an unsubstantiated claim of another production process being used, and accordingly, sought exclusion of products which are manufactured using the new process. It is submitted that the interested parties have merely made hollow statements of the existence of such a new technology to produce the PUC. The Authority is requested to disallow any submission of new information or evidence at such a belated stage of the investigation.

e. The other interested parties have falsely and baselessly alleged that the DI does not supply smaller quantities of the PUC. The DI does not have any such policy of minimum order quantity. To substantiate this, the DI has already placed on record commercial invoices wherein it has sold varying quantities ranging from as low as *** to *** meters.

f. The DI not only has the capability but has also sold various designs of the PUC during the POI. The DI has the facilities to manufacture and meet wide variety of design requirements, including Embossed PU, Suede PU, Washed PU, etc. Moreover, the DI also has in the past supplied customized designs based on customer requirement and continues to do so till today. The DI has also sold the PUC manufactured using non-woven fabric and few sample invoices evidencing the same have been placed on record before the Authority. Also, as held in different investigations, the design requirements do not in any way alter the scope of the PUC as the base product remains the same.

g. The PUC manufactured by the DI is used in many applications and sectors by the consumers valuing quality over prices. Accordingly, the PUC produced by the DI is used by the high-end and internationally reputed brands across various sectors such as Zara, M&S, Bata, Reebok, Adidas, and FILA, etc. the DI has also shared appreciation letters as well as invoices in support of and acknowledging the quality of the PUC supplied by it. Further, as per the established practice of the Authority and the legal position decided by

the Appellate Authority, the difference in quality, in any case, is not a relevant parameter to ascertain 'likeness' in an ADD investigation.

h. Further, the interested parties have not provided any evidence to demonstrate that these products with alleged quality difference are not competing with each other. In view of the above, there stands no arguments in substance of quality difference between the PUC produced by the DI and the imported the PUC and it is requested to the Authority to hold the subject goods manufactured by the DI as the like article to the PUC imported from the subject country. The domestic industry has produced the like article to the imported products.

**C.3. Examination by the Authority**

8. The various interested parties have raised a number of issues with regard to the scope of the product under consideration in the present case. The interested parties have sought exclusion of certain products from the scope of the PUC on the grounds that the domestic industry is not capable of producing the product type or supply that product in the desired quantity or the quality of the product produced and supplied by the domestic industry is not satisfactory. The arguments of the interested parties have been analysed after calling the relevant information from the parties and examination of the same during the verification process and also taking into account the evidence submitted on record by the interested parties.

9. The Authority verified that the domestic industry is manufacturing all types of products under consideration, be it Embossed PU, Suede PU, i.e., MOKA, Washed PU, both sided coated, micro-fiber-based PU, etc. for which it got orders; has supplied them to the users in India for various desired order size. The domestic industry has also provided copies of invoices for the same to the Authority. In so far as the concerns regarding the quality are concerned, the Authority notes that the difference in quality is not a relevant parameter for exclusion of an article in an anti-dumping investigation.

10. The Authority also notes that the aspect of quality not being a factor for exclusion of a product from the scope of 'like article' has been dealt with by the Hon'ble CESTAT in DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority in which it was held that "*The plea of the appellants' counsel is not convincing since he did not adduce any evidence/technical literature with reference to process of manufacture to show that product manufactured by the domestic manufacturers was different from the goods exported into India. He failed to substantiate that they are not similar and interchangeable except stating that they were of different grades. Difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing 'that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles'. We do not find any valid reason to disturb the findings given by the Designated Authority on this issue*"

11. The interested parties (users) have contended that the domestic industry cannot produce PU coated leather through the dry process only and such PU Leather is also priced higher than that manufactured through a combination of the wet process and dry process and, therefore, it is not in competition with the PUC manufactured by the domestic industry and, therefore, such PU leather must be excluded from the scope of the PUC. The Authority notes that the participating exporters/producers from China PR have not shown or highlighted this concern on new technology, i.e., dry technique. Also, the interested parties have neither shown how the product manufactured by the new technique is different from the product manufactured domestically in India in terms of end use, consumer preference, physical characteristics, tariff classification, etc. nor quantified the volumes of imports of the product under consideration coming into India from China PR manufactured using the new technology. Thus, the Authority does not find any merit in the requests for exclusion thereof.

12. Some of the users have requested for clarification for exclusion of Microfiber or non-woven fabric without PU coating from the scope of the PUC. The Authority notes that the PUC is defined as 'Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane'. Thus, the very definition of the PUC clearly does not cover raw microfiber or non-woven fabric without PU coating in the scope of the PUC. Accordingly, no clarification is deemed necessary in this respect.

13. The Authority finds that no case has been made out by any of the interested parties for grant of any exclusion from the scope of the product under investigation. Accordingly, the Authority confirms the scope of the product under consideration as defined in the initiation notification which is reproduced below:

> *"The product under consideration (PUC) is "Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane". The PUC may be in rolled form or sheet form or any other form. The PUC is commercially known as PU Leather. PU Leather is also sold in market parlance by various names such as artificial PU Leather, PU Coated Fabric (Plain/ Printed/ Embossed)/, Lining Material, Synthetic Leather Cloth, PU Synthetic Leather, Synthetic Leather Lining, Dipping PU Lining etc. All such products are also included within the scope of the PUC. The PUC is used in many applications and sectors, such as furnishing, automotive, footwear, clothing, bags and wallets."*

14. The Authority notes from the information available on record that the product produced by the domestic industry is like article to the product under consideration imported from the subject country. The product produced by the domestic industry is comparable to the goods imported from the subject country in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. The Authority, therefore, holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product imported from the subject country in terms of Rule 2(d) of the AD Rules.

## D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

### D.1. Submissions by the other interested parties

15. The other interested parties have made the following submissions with regard to the scope of the domestic industry and its standing.

a. The applicant has neither provided the total production of the PUC in India, nor its share in the total production as a percentage. While the production figures may be confidential for an individual company, since the petition is supported by two other producers, the total production should have been given as an aggregate. According to Trade Notice No.10 of 2018, total aggregate of production is to be provided if there are more than two domestic producers. As M/s Jasch Industries Limited and M/s Mayur Uniquoters Limited are supporters of the petition, the applicant ought to have provided the aggregate domestic production of the three entities who allegedly comprise the entire domestic industry of the subject goods in India.

b. In addition, thereto, the applicant has claimed excessive confidentiality with respect to its share in the total production of the subject goods and despite being a single applicant, the same should have been indicated as a range. The Authority is requested to direct the applicant to provide its share in total domestic production so that the interested parties can comment on its alleged standing.

c. The Trade Notice No.13 of 2018 requires that a Supporter's Questionnaire be filed by domestic producers in the event that they are supporters but not co-applicants to the application for initiation of investigation filed under Rule 5 of the AD Rules 1995. However, there is no indication that a questionnaire response has been filed by the Supporters and if filed, the same has not been shared. Therefore, their support to the petition must be rejected.

d. In view of the fact that the petitioner's group was engaged in PU leather imports in a big way before entering into manufacturing, it is apprehended that they may continue to import the PUC through their group concerns where there are common shareholding and management. It is requested to the Authority to enquire into this aspect so as to ensure compliance with 'domestic industry' and consequently the fulfilment of standing requirements.

**D.2. Submissions by the Domestic Industry**

16. The domestic industry has made the following submissions with regard to the scope of domestic industry and its standing:

a. The PUC is manufactured using the production process which comprises (i) the coagulation or wet process and (ii) the transfer coating or dry process. The coagulation process is the key process which is followed by the finishing process called transfer coating in the manufacturing of the PUC. Therefore, any entity which does not carry out both these processes together but merely carries out the transfer coating process cannot be said to be a manufacturer of the PUC.

b. Accordingly, as per the best information available to the petitioner, there are three producers of PU Leather in India, namely, (i) Topline Commodities Private Limited, (ii) Jasch Industries Limited and (iii) Mayur Uniquoters Limited. Further, as per the best information available to the petitioner, Winner Nippon Leatherette Pvt. Ltd. ('WNLPL') is another producer of PU Leather in India. However, the petitioner could not gather information regarding the current status of production facilities of WNLPL. Thus, the production, sales figures for WNLPL are not available with the petitioner. In view of the same, the Authority may independently verify the current status of production and sales of the PUC by WNLPL.

c. The petition for the present anti-dumping investigation has been filed by Topline Commodities Private Limited which alone accounts for 66% of the total Indian production in the POI. The petition is further supported by the other two domestic producers, namely, (i) Jasch Industries Limited and (ii) Mayur Uniquoters Limited.

d. The petitioner holds major proportion in total production of the PUC in India in line with the requirement of Rule 2(b). Furthermore, the requirement of Rule 5(3) is also fulfilled as all other Indian producers of the PUC in India are supporting this petition. Therefore, the petitioner satisfies the requirement of standing for filing the petition and constitutes 'domestic industry' in India for the PUC in accordance with Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Indian AD Rules.

e. Neither the petitioner nor the related group companies of the petitioner have placed orders for any imports since the period the petitioner started commercial operation, i.e., June, 2017. The relevant declarations to this effect from the petitioner and group companies have been submitted before the Authority.

f. The interested parties have made a false claim with regard to the non-disclosure on the total production of the PUC in India and DI's share in total domestic production as a percentage. The DI has mentioned during the oral hearing that the share of DI in total domestic production is 66 %. Moreover, the DI has complied with the requirement of trade notice no. 10/2018 and given a table as claims of confidentiality in this respect in the petition as well as the post-initiation submission. Moreover, it is also submitted that since the supporters have manufactured limited volume of the PUC (as Mayur started its production of the PUC in March, 2020 and Jasch being a multi-product company) and produced diminutive quantities of the PUC, provision of such information would reveal sensitive business information of the DI, such as production and capacity. Therefore, the issue of excessive confidentiality does not arise as argued by the interested parties.

g. The interested parties have claimed that the other domestic producers have not filed the supporter's questionnaire, and thus, their support must be rejected. In this regard, it is submitted that since the domestic industry alone accounts for over 50% of the total domestic production, there is no legal requirement for the supporters with limited share to file the supporter's questionnaire. However, the supporters did file their supporting letters.

h. Moreover, the requirement of filing supporter's questionnaire was not considered to be mandatory in the recent final findings issued in the Sunset Review of Anti-Dumping Investigation concerning imports of '*Caustic Soda*' originating in or exported from

China PR and Korea RP (F. No. 7/1/2020-DGTR), where just four companies had participated in the investigation as applicants, and the remaining 16 companies supported the application. In this case, the applicant producers accounted for only 44.6% of the total domestic production and the Authority held that the information of the DI alone is required for the determination of the injury. The Authority made the following observation while recommending the anti-dumping duties on the basis of the information provided by the DI:

*"68. With regard to the contention of the other interested parties regarding lack of information regarding supporters, the Authority notes that as per Rule 11(2) of the Rules, Authority is required to "determine the injury to domestic industry, threat of injury to domestic industry, material retardation to establishment of domestic industry". Therefore, the evaluation of injury is required to be restricted to the defined domestic industry, and the performance of other producers is irrelevant. Since all the information essential for the determination of injury to the domestic industry is made available by the participating producers, the information about performance of supporting producers is irrelevant for such analysis."*

*"124 On the issue of the supporter's data not being filed the Authority notes that it had invited all interested parties to file their claims with appropriate evidences and formats as applicable. The supporters have chosen to provide limited support to the domestic industry members. Accordingly, the Authority has made its determination based on the information filed on record."*

i. In view of the above, it is submitted that the argument of the interested parties regarding the rejection of the support to the petition cannot be sustained.

**D.3. Examination by the Authority**

17. The Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules defines domestic industry as under:

*"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".*

18. The application has been filed by M/s. Topline Commodities Private Limited and supported by M/s. Jasch Industries Limited and M/s. Mayur Uniquoters Limited. The Authority notes that the applicant accounts for 66% of the total Indian production during the period of investigation. The Authority notes that the production of the petitioners along with the supporter's accounts for a major proportion of the total Indian production.

19. As regards production by WNLPL is considered, WNLPL has supported the petition of the domestic industry in response to the disclosure statement. Thus, the Authority has considered the information available on records to assess the standing of domestic industry in line with Rule 2 (b) read with Rule 5(3)(a) even without the support of WNLPL.

20. With respect to the imports by the petitioner and its related companies, the Authority has verified from the DGCI&S data that the neither the petitioner nor its related companies have imported the PUC during the POI.

21. The Authority also notes that the supporters have filed support letters containing the relevant information and the same was circulated to the interested parties by the domestic industry.

22. Considering the information available on record, the Authority notes that the applicant accounts for a major proportion of the total domestic production.

23. The Authority, therefore, holds that the applicant constitutes domestic industry under rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

## E. CONFIDENTIALITY

### E.1. Submissions by the other interested parties

24. The other interested parties have made the following submissions with regard to the confidentiality:

a. The non-confidential version of the DI petition violates Rule 7 of the Customs Tariff AD Rules and claims excessive confidentiality, thereby, violating Trade Notice Nos. 1/2013 and 10/2018.

b. The petitioner has claimed excessive confidentiality with respect to its standing in view of the fact that the applicant has neither provided the total production of the PUC in India, nor its share in total production as a percentage. The petition does not comply with the requirements of the Trade Notice No. 10/2018 and a number of figures have been provided as a trend instead of actuals.

c. No information regarding the cost, raw materials used and manufacturing process have been provided in non-confidential version of the petition and such vital information has been kept confidential.

d. The applicant has claimed excessive confidentiality with respect to its share in the total production of the subject goods and despite being a single applicant, the same should have been indicated as a range.

e. The petitioner has claimed that "the DI as per market sources, China PR has huge unutilized capacities with respect to the PUC and is further expanding the same, which will be routed to India". These alleged market sources relied upon by the petitioner have not been revealed and in fact, do not seem to have been tendered as evidence even in the confidential versions of its submissions throughout the course of the investigation. Therefore, the entire allegation is in the realm of surmises and conjecture.

f. Anhui Anli Material Technology Co., Ltd. and Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd in their non-confidential version of questionnaire response have already submitted the answer as to why they have not supplied the set of product catalogues and brochures. The companies do not have catalogues and brochures.

g. Anhui and Fujian Dima have followed all the guidelines with respect to the confidentiality stipulated in the Trade Notice No. 01/2013 dated 9th December, 2013 and 10/2018 dated 7th September, 2018.

### E.2. Submissions by the Domestic Industry

25. The following submissions have been made with regard to the confidentiality:

a. The non-confidential versions of the application and all other documents filed by the petitioner were made available to the Authority and the interested parties could have accessed the same at any point of time from the public file maintained by the DGTR. Further, DI has also circulated non-confidential version of documents filed by it during the course of the investigation with the interested parties as instructed by the Authority from time to time.

b. The petition and all the other submissions filed by the DI thus far have completely and strictly adhered to the Indian AD Rules and the Trade Notice no. 10/2018. DI has also provided reason for claiming confidentiality wherever deemed necessary. Moreover, since the supporters have manufactured limited volume of the PUC (as Mayur started its production of the PUC in March 2020, and Jasch, being a multi-product company, produced diminutive quantities of PUC, provision of such information would reveal sensitive business information of the DI, such as production and capacity. Therefore, the issue of excessive confidentiality does not arise as argued by some of the interested parties.

c. The domestic industry has provided indexed figures of the parameters showing the trend of the injury parameters.

d. The questionnaire responses filed by the interested parties including the exporters are grossly deficient as they have claimed excessive confidentiality while violating Trade Notice No. 10/2018 and have provided unreliable or incorrect information which have completely prevented the petitioner from offering its comments.

e. The exporters have claimed information like manufacturing process, name of major raw materials used in production of the PUC, details of volume and value of export/import of the subject goods, the information regarding related parties involved in production/sales/purchase of the PUC, etc. The non-confidential version of the questionnaire response is grossly inadequate. The interested parties have not disclosed all such information that they are obliged to disclose.

### E.3. Examination by the Authority

26. With regard to the confidentiality of the information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-Rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, betreated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

27. The Authority examined the confidentiality claims of the interested parties and on being satisfied allowed the claims on confidentiality. The Authority considers that any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, should be treated as such by the Authority. Such information cannot be disclosed without specific permission of the party submitting it.

28. The Authority made available to all the interested parties the non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request.

## F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

### F.1. Submissions by the other interested parties

29. The following miscellaneous submissions have been made by the other interested parties:

a. The levy of ADD will establish monopoly of the petitioner and will not be in the public interest. It will also have an adverse impact on the end-users and MSME industries.

b. About 80% of footwear sold in the domestic industry is non-leather footwear. Because of changes in the technology and fashion, PU has now become a major raw material for manufacturing of non-leather footwear. The footwear industry is a major consumer of PU Leather in India. Hence, the levy of anti-dumping duty will severely affect the footwear industry, leading to closure of units and job losses.

c. Any increase in the price on account of levy of ADD can erase thin margins at which the industry is currently operating and may well impact the ability to meet the buyers' prices and design requirements.

d. The applicant in the present application fails to comply with the requirements of trade notice dated no. 02/2004 dated 12th May 2004. As per the trade notice, the applicant was required to provide information for the period of investigation and three preceding years. The Designated Authority cannot ignore its own trade notice.

e. The justification given by the applicant and considered by the Authority for considering a period more than 15 months period is not adequate under the eyes of the law.

f. The petition filed by the domestic industry and the standard of review applied by the Authority before initiation does not meet the requirements laid down under the law and thus the initiation is bad at law.

g. The petitioner has requested the anti-dumping duty in terms of duty per kg. In this regard, it is submitted that the different fabrics used in the manufacture of the PUC have different compositions which determine the value of the fabric whereas the cost of PU Coating and its application are the same on all types of fabric. The fabrics referred to above fall within the various descriptions between Chapter 50 to Chapter 60. Similarly, coated fabric could be of non-woven, knitted and woven fabric. The major cost of the PUC is derived from two raw materials, viz., fabric and PU resin. Hence, the computation of import average price of PU coated fabric having a coating on one side or both sides would be incorrect and rather it must be determined on the basis of the fabric employed which can be done by segregating the data in terms of PU Leather imported under each Customs Tariff Heading.

h. If there is a case of misdeclaration, it is for the customs authorities to rectify the same and after detecting it, adjusting the import volumes reported in the import statistics. It in itself cannot form the basis of drawing any adverse inference in the anti-dumping proceedings.

i. The sorting of import data by the applicant is also incorrect.

j. "Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd" and "Wenzhou Volcano International Trading Co. Ltd." are two different entities. Due to typographical mistake, it was wrongly mention in the narrative version of Questionnaire Response of "Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd" as the English name of company is Wenzhou Volcano International Trading Co. Ltd. The Business License of both the companies are different and both are registered as a separate entity.

k. The PUC having Rs. per meter value less than 50 or more than 1000 should be excluded from the import analysis.

l. The domestic industry has claimed that there are significant transactions where the prices are below Rs. 20 or above Rs. 1000 and considered the same as abnormal transactions. Perusal of the import data showed that there are import transactions above this price because of the product properties, and not abnormality. In fact, it is quite possible that the product has been purchased at a price above Rs. 1000. In view of the above, the Authority is requested to direct the domestic industry to justify its claim.

**F.2. Submissions by the domestic industry**

30. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

a. The importers of the PUC in India are indulged in the malpractice of mis-declaration which involves wrongful declaration of HSN or the description or quantity for the PUC in order to evade customs duty. Resultantly, the import volume and the prices captured by the DGCI&S data are not accurate and the actual injury and dumping is much more.

b. Existence of this malpractice has also been confirmed by the Special Investigation & Intelligence Branch of Customs vide circular no. 02/2019 dated 16th October, 2019.

c. The DI has submitted extracts from the secondary source import data, which makes it evident that Fibre Trade, Wenzhou Volcano & Anli Anhui, have made significant

exports of the PUC to India at extremely low prices, lower than even the costs at which raw materials for manufacturing of the PUC can be procured.

d. A number of Chinese exporters declare correct quantum and value for the shipment before the Customs Authority in China unlike the declaration made by them at Indian ports. The DI submits that the Authority may consider instructing Wenzhou Volcano to submit corresponding documents filed with China's customs department for claiming export benefit vis-à-vis the export sales documents generated at Indian port to verify the actual facts. It is submitted that in the sunset review of anti-dumping duty on the imports of 'Melamine' originating in or exported from China PR, a similar issue was dealt with by the Authority, wherein the Authority had requested the information from the DRI with regard to the actual value of imports to assess dumping and its price effect.

e. The DI requests the Authority to obtain the prices record submitted to the China's Customs Authority by participating exporters and consider non-provision of such critical data by the producers and exporters as a serious attempt of non-cooperation and concealment of material information. In the event any of the interested parties refuse to share the relevant information, the DI respectfully requests the Authority to consider such an interested party as non-cooperative. Also, the Authority is requested to procure the data available with China's Customs Authority or the DRI for a holistic analysis of the prevailing market situation in India.

f. In the post oral hearing written submission filed by both Fujian Dima and Wenzhou Volcano, it has been stated that Fujian Dima is the producer of the PUC, which is distributed in the Indian market by the sole distributor, Wenzhou Volcano. However, in the questionnaire response filed by former, it has claimed that Wenzhou Volcano is its English name. The confusion that arises is that if Wenzhou Volcano is the English name of Fujian Dima, then what was the need of the former to file a separate questionnaire response. Moreover, in the non-confidential version of its separate questionnaire response, it has not mentioned its association/connection with Fujian Dima. Thus, there is a need to examine the legitimacy of the two companies and their association, completeness of the questionnaire response filed by them and to treat the responses filed by the Chinese producers as deficient, confusing and unreliable, and accordingly, to treat such interested parties as non-cooperative.

g. The importers are openly mis-declaring the quantity (in meters) of the PUC to fall in the bracket of lower customs duty. In multiple cases, the quantity in meters is not captured in the import data, leaving scope for subjectivity. Further, it is difficult to verify the quantity in meters of each unit of shipment arriving at the customs port to calculate customs duty and such duty is mostly calculated based on the declaration given by the importers, whereby cases of duty evasion are observed time and again. The DI has already placed on record DRI circular acknowledging existence of such mis-declaration where the PUC is mis-declared as some other product or the lower volumes of imports in meters are declared to evade duty.

h. Globally many countries including China PR impose basic custom duties on PU leather on Kg basis instead of meter. Also, Turkey in an anti-dumping investigation concerning import of textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane/ leather substitutes from China had imposed anti-dumping duties since 2005 in USD/kg.

i. The imposition of duty in USD per KG will help in reducing the scope of any such practices. This is immensely important considering the fact that weight for every shipment is measured at the customs port.

j. The DI has filed the petition along with the relevant annexures in line with the applicable formats and the trade notices issued by the Authority.

k. With regard to the concern of the footwear industry that imports of PU are necessitated to meet the demand requirements without the anti-dumping duties, it is submitted that under the Indian law, the existence of demand and supply gap cannot be the basis to not provide the necessary protection to the domestic industry from dumped imports. The

purpose of the anti-dumping duties is to eliminate the injury suffered by the DI on account of unfair trade practices of dumping by the subject countries and to allow a level playing field to the DI. Further, the imposition of the anti-dumping duties does not restrict imports and thereby, does not affect the availability of the products to the user industry.

l. The imports of the PUC from the subject country were at alarming level during the proposed POI as evidenced from the data provided to the Authority and the interested parties. Such imports continued to hold an abnormally large market share in the domestic market, despite the covid restrictions and the prevalent malpractices.

m. The DI in its petition has stated that the PUC having Rs. per meter value less than 20 or more than 1000 are abnormal transactions and have excluded them from the import analysis.

n. As regards the issue of public interest and the adverse effect on raw materials prices for the user industry, the DI has submitted as follows:

i. There is no legal requirement of "public interest" in an anti-dumping investigation.

ii. It must be noted that the purpose of imposing an anti-dumping measure is solely to create a level-playing field for the DI to compete fairly in the domestic market.

iii. The Hon'ble Authority has consistently held that imposition of anti-dumping duties would not be against the public interest as the imports would not be restricted upon such imposition.

iv. As regards the claim of users that imposition of anti-dumping duties would adversely impact and lead to reduction in exports of finished goods of MSME industries using PU Leather as raw material, it must be noted that raw material can be procured under advance authorization scheme without payment of customs duties including anti-dumping duties. Thus, the imposition of anti-dumping duties does not impact export performance of the manufacturers or exporters of goods using PU Leather.

v. As regards, the impact of imposition of anti-dumping duties on import of PU Leather is considered, the user industry has failed to quantify the impact of imposition of duties in the final cost of production of the various products manufactured by them. To the best of our understanding, if the upper of footwear requires one side PU leather, then with 1 meter of PU Leather, 18 pair of shoes can be manufactured and if the upper of footwear requires both side PU Leather then with1 meter of PU Leather 6 pairs of shoes can be manufactured. Therefore, assuming the anti-dumping duty is Rs 50 per meter then the impact would be 50/18= 2.77 Rs per pair for one sided upper and 50/6= 8.33 Rs per pair for both sided upper out of total manufacturing cost of the product. Thus, the impact is negligible. Further, it should be noted that the shoes with PU Leather as raw material is priced much higher than shoes with PVC leather as raw material.

vi. Since, the user industry has failed to quantify the impact of imposition of anti-dumping duties on their final product, the claims of the user industry are based on mere apprehension without any clear evidence. On the other hand, DI has tried to quantify the impact of anti-dumping levy in paragraph above which indicates negligible impact on user industry. Given such submissions by the DI and absence thereof by the user industry, the concerns of the user industry are baseless and devoid of merit.

### F.3. Examination by the Authority

31. The Authority has noted all the arguments and counterarguments of the interested parties and has examined all aspects of the submissions made as deemed appropriate in the present finding.

32. With regard to the submission of the interested parties regarding the compliance of Trade Notice No. 02/2004 is concerned, the Authority notes that Trade Notice No. 02/2018 dated 01.02.2018 supersedes the Trade Notice No. 02/2004. The domestic industry has duly complied with the

anti-dumping investigation process with regard to the format of DI's petition in line with Trade Notice No. 02/2018.

33. As regards the consideration of a period more than 15 months as period of investigation is concerned, a longer period of investigation is appropriate in the present investigation since trade in the first and second quarter of 2020-21 was impacted by Covid-19. A longer period would be more appropriate to assess the injury to the domestic industry caused due to the alleged dumped imports. The same is well within the power of the Authority having regard to Rule 2(da) and the explanation to Rule 5(3). Therefore, the Authority considers that the period of investigation is appropriate.

34. As regards the argument of the DI that the import transactions of the PUC having Rs. per meter value less than 20 or more than 1000 should be classified as abnormal, the Authority notes that as per the DGCI&S data, these transactions are of the PUC. However, the DI has not provided any reasons as to why these transactions which consist of the PUC should be considered as abnormal. During the course of the investigation, none of the interested parties provided any comments on the methodology adopted by the DI. Accordingly, the Authority vide an email dated 10th December, 2021 solicited the comments from the interested parties on the proposed methodology of the DI. In response, the participating exporters from China PR submitted that the PUC having Rs. per meter value less than 50 or more than 1000 should be excluded from the import analysis. However, the parties have not provided any reasons for excluding such transactions which are of the PUC from the import analysis. Moreover, the Authority also notes that the DI has provided data from secondary sources and has argued that the imports of the PUC are even coming at around 40 cents from China PR. Thus, it seems that the response of the participating exporters from China PR is to exclude all the cheaper import transactions from the analysis. In view of the above, as neither the DI nor any of the interested parties have provided any reasons for exclusion of the import transaction of the PUC having Rs. per meter value less than 50 or 20 and more than 1000 from the import analysis, the Authority has decided to include all such import transactions within the scope of its analysis.

## G. MARKET ECONOMY TREATMENT, NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

### G.1. Submissions by the other interested parties

35. The following submissions have been made by the other interested parties with regards to the normal value, export price and dumping margin:

a. There is evidentiary serious shortcoming in the claim of the normal value, export price and dumping because the CNV is not tenable u/s 9A(1)(c), and the adjustments to export price are abnormally high and unsubstantiated.

b. The petitioner had proposed a reduction in the export price to the extent of 13% being non-refundable VAT. The legal updates available in public domain including the website of State Administration of Taxes, the entire 13% of VAT imposed on the export of the PUC is refundable.

c. Many of the Chinese exporters are manufacturers and thus, the adjustment for commission/traders' profit is out of place and may be disallowed for manufacturer-exporters.

d. The cost of production of the applicant could not have been relied upon to construct the normal value as the cost of the major raw material, viz, PU Resin is high as it is wholly imported due to a lack of the local suppliers of the same.

e. The cost of production of the domestic industry is higher as the applicant is attempting to cater to a wide variety of designs which cannot be produced in adequate quantities over a shorter period of time owing to orders which are placed in small quantities for certain designs. However, unless such specific varieties are produced in adequate quantities, the domestic industry cannot be profitable as the cost of the Release Paper and Rollers, which are consumables and are specific to these particular varieties, cannot be offset.

f. Furthermore, the applicant had stated in its petition that "Other manufacturing costs have been considered on the basis of the experience of the domestic industry". However, the conversion cost of the applicant is inflated as it is unable to realize the full commercial value of Dimethylformamide ("DMF") which is recovered during the production process. Since the domestic industry has to import its PU Resin due to the lack of domestic producers of the same, it is unable to resell the DMF that is recovered during the production process in the absence of such domestic producers of PU Resin. This adds massively to the cost of production of the domestic industry and does not depict an accurate picture of the standard cost of production of PU Resin globally.

g. The conversion costs of the applicant are also not reliable as the applicant has admittedly started commercial production only in June of 2017. Therefore, it follows as a natural sequitur that it would not have achieved full efficiency and stability in its operations and as such, the cost of production would be higher. As such, it is submitted that in case the conversion cost of the applicant is adopted, the Authority is requested to account for the start-up cost adjustment and reduce the conversion cost accordingly.

h. In the present case, evidently no effort was made by the applicant to determine the price payable for the subject goods in an appropriate market economy third country, failing which the price from such a third country to other countries or the constructed price in such third country. As such, the petition filed by the applicant was deficient and ought to have been rejected at the threshold.

i. As per Section 15 (a)(ii) of the protocol on the Accession of the China PR to the WTO expired on December 11, 2016. After that date, India no longer has a legal basis under the agreement of the WTO to calculate normal value in AD investigation of Chinese products using non-market economy methodology. Any such action by India would be inconsistent with the requirements of the Anti-dumping Agreement and other covered Agreement.

j. Thus, the Authority shall grant "market economy status" to China PR; conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of the Anti-dumping Agreement; at the very least, apply the data on costs and prices provided by the Chinese exporters in their response for the determination of the normal value.

**G.2. Submissions by the Domestic Industry**

36. The following submissions have been made by the domestic industry with regards to normal value, the export price and the dumping margin:

a. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO Anti-Dumping Agreement read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require criterion stipulated in paragraph 8 of the Annexure I of the Indian AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status. China PR is presumed and has been considered to be operating under non-market economy conditions by various authorities the world over. Moreover, until recently, the DGTR has considered China PR as non-market economy in every anti-dumping investigation concerning imports originating in or exported from China PR. Further, paragraphs 1 to 6 of Annexure I to Indian AD Rules do not apply for computation of the normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows with sufficient evidence that it is operating under market economy conditions. Therefore, the normal value for China PR is required to be determined in terms of paragraph 7 of Annexure I to the Indian AD Rules.

b. The petitioner has treated China PR as a non-market economy and since it could not collect any information with respect to the price of the PUC in the subject country, the domestic industry has constructed the normal value on the basis of '*price actually paid/ payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin*' in the following manner: (1) The raw material consumption and prices have been considered on the basis of the experience of the domestic industry. The major raw material required for manufacture of the PUC, i.e., PU resin is imported by the

domestic industry. Therefore, the raw material prices of domestic industry reflect the international prices of the major raw materials and the same prices have been considered for construction of the normal value. (2) conversion cost, SGA costs and finance costs have been considered based on the experience of the domestic industry, (3) a profit margin of 5% has been considered for working out the normal value. The petition and the post initiation submission filed by the DI clearly mention that the normal value was calculated in the said manner.

c. The petitioner has determined the export price considering volume and value of the imports of the PUC for the period of investigation as per the import data procured from the DGCI&S. To arrive at the ex-factory export price from China PR for a fair comparison with ex-factory constructed normal value, the adjustment has been made for (1) Ocean Freight (2) Inland Freight (3) Marine Insurance (4) Commission/Trader's Profit (5) Bank Charges (6) Port Handling Expenses (7) Non-Refundable VAT (In respect of China PR). With regard to the China's Accession Protocol in WTO, the Authority has consistently held that while the provisions contained in Article 15(a)(ii) of China's Accession Protocol in WTO have expired on 11.12.2016, the provisions under Article 2.2.1.1 of the WTO Anti-Dumping Agreement read with Article 15(a)(i) of the Accession protocols require criteria stipulated in paragraph 8 of the Annexure I of the Indian AD Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. In this respect, it must be note that none the producers nor exporters from China PR have claimed Market Economy Treatment ("MET") nor have they submitting information on the normal value.

d. The DI has computed the normal value, the export price and the dumping margin as per the methodology set out in law and keeping in mind the consistent practice of the Authority. It is further submitted that the entire methodology along with the relevant information have been provided to the Authority for such calculations.

e. The dumping margin from China PR is very substantial. Globally, other countries have also taken steps to counter the dumping of the PUC from China PR. For example, Turkey had imposed anti-dumping duties on the PUC being imported from China PR since 2005, which were extended in 2016 for another period of five years. Therefore, it can be inferred that Chinese producers for the PUC have a tendency to dumping the subject goods in the international market.

f. The petitioner has considered average ocean freight of 1.4 Rs/Meter. The supporting documents for arriving at this freight have been submitted to the Authority in the confidential version and are based on actual fee quote received from the shipping agencies.

g. The commission/Trader's profit indicates either the sales commission paid by the manufacturer or profit made by the traders. As per the petitioner's understanding, the PUC is sold directly by manufactures as well as through traders in India. Further, these are general adjustments allowed by the Authority in various other investigations such as Alu-zinc AD investigation, DPP Red AD investigation. The petitioner requests the Authority to request the participating exporters to submit evidence against these adjustments. Further, no other interested party has argued against the adjustments.

h. In the submissions by both Fujian Dima and Wenzhou Volcano, it has been stated that Fujian Dima is the producer of the PUC, which is further distributed in the Indian market by the sole distributor, Wenzhou Volcano. However, in the questionnaire response filed by the former, it has been claimed that Wenzhou Volcano is its English name. The confusion so arose questions the whole legal basis of the latter. The Authority is requested to examine the legitimacy of the two companies and their association, and the completeness of the questionnaire response filed by them to accordingly consider their cooperation or lack thereof.

i. A number of Chinese exporters declare correct quantum and value for the shipment before the Customs Authority in China unlike the declaration made by them at Indian ports. The DI requests the Authority to obtain the prices record submitted to the China's

Customs Authority by participating exporters and consider non-provision of such critical data by the producers and exporters as a serious attempt of non-cooperation and concealment of material information. In the event any of interested parties refuses to share the relevant information, the DI requests the Authority to consider such an interested party as non-cooperative. The Authority is requested to obtain information from the DRI with regard to the actual value of imports to assess dumping and its price effect as was also done in Sunset Review of anti-dumping duty on imports of 'Melamine' originating in or exported from China PR.

j. The DMF is extracted through distillation process and mostly captively consumed by the DI during the production process and if any minuscule quantity is left, the same is sold at commercial value. As regards the consumption of rollers and release papers are concerned, it is submitted that rollers are an asset with a lifespan of 15-25 years and release papers is used repetitively by the DI as per the best industry practice. Further, rollers and release papers are procured domestically as well as imported from various countries basis the requirement.

**G.3. Examination by the Authority**

37. Under section 9A (1) (c), the normal value in relation to an article means:

*i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, where meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6), or*

*ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either:*

*(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6); or*

*the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the Rules made under sub-section (6);*

*(b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely trans shipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

38. At the time of the initiation, the Authority determined the normal value by taking the facts which were considered prima facie sufficient to initiate the investigation. However, after initiation, the determination of the normal value has been made after taking into account the responses received from the interested parties. The Authority has dealt with the various submissions of the domestic industry and the other interested parties in respect of dumping in the following paras.

39. The Authority had sent questionnaires to the known producers/exporters from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed by the Authority. The following producers/exporters have co-operated in this investigation by filing the prescribed questionnaire responses:

i. Anhui Anli Material Technology Co., Ltd.

ii. Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd.

iii. Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd.

40. Keeping in view the submissions of the interested parties, the normal value and the export price for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

**G.4. Determination of the Normal Value for China PR**

**Market Economy claims for Chinese producers**

41. Article 15 of China's Accession Protocol provides as follows:

*"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:*

*(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 andthe Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:*

*(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product withregard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

*(ii)The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard tomanufacture, production and sale of that product.*

*(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailingoutside China.*

*(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

*(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event,the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

42. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) has expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol requires criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the producers/exporters from China PR have not submitted response to the MET/supplementary questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para. 7 of Annexure I of the Rules**.**

A.1 **Normal Value for all producers in China PR**

43. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price*

*from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner keeping in view the level of development of the Country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

44. As none of the producers from China PR has claimed determination of the normal value on the basis of their own data/information, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules.

45. It is noted that the prices or the constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, have neither been made available by the applicant or an interested party, nor are available with the Authority from any public source. Thus, the normal value has been determined on the basis of the price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering optimized cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

46. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**G.5. Determination of the Export Price for China PR**

**a) Export Price for Anhui Anli Material Technology Co., Ltd, China PR (Producer)**

47. During the POI, Anhui Anli Material Technology Co., Ltd. has exported ******* MTRS of the PUC to India for invoice value ******* US$, out of which ******* MTRS of the PUC to India for invoice value ******* US$ has been exported through another unrelated trader, namely, Desipro Pte. Ltd., Singapore. This constitutes only ***** %** of the total exports to India made by Anhui Anli Material Technology Co., Ltd. The Authority has not considered the exports made by Anhui through Desipro Pte. Ltd., Singapore since the quantity is minuscule.

48. Anhui Anli Material Technology Co., Ltd., has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, bank charges and commission, which have been allowed. Accordingly, the ex-factory export price as determined is given in the Dumping Margin Table below.

**b) Export Price for Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd, China PR (Producer), Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd (Exporter)**

49. During the POI, Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd., ('Fujian Dima'), has exported ******* MTRS of PUC to India for invoice value ******* US$ through unrelated trader, namely, Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd., China PR. Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd., has sold the subject goods to Wenzhou Volcano International Trading Co. Ltd., China PR ('Wenzhou Volcano') on ex-work basis.

50. The domestic industry in comments to the disclosure statement reiterated various anomalies in the responses of Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd. and Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd and resubmitted two sample invoices from Wenzhou Volcano during the POI along with the connected bill of entry and payment proof as was submitted by it vide letters dated 07 January, 2022. The DI had requested for cross examination of these documents vis-à-vis the response submitted by Wenzhou Volcano in continuation of its claim of misdeclaration by the Chinese producer/exporter along with other anomalies as highlighted. The Authority has re-examined the responses filed by Fujian Dima and Wenzhou Volcano and found the following issues in these responses:

a. Both the invoices as supplied by the DI for imports from Wenzhou Volcano were during the POI for the product under consideration procured from Fujian Dima by Wenzhou Volcano and reported in the questionnaire response of Wenzhou Volcano. While the invoice value matched with the bill of entry, in the corresponding payment proof as well as the DG Systems data, the values did not match with the information supplied in the questionnaire response of Wenzhou Volcano. It is further noted that Wenzhou Volcano had supplied corresponding China Custom document for one such invoice submitted by the DI as a response to the deficiency letter issued by the Authority. Thus, there is a mismatch between the figures reported in China Custom and the DG Systems data. Therefore, the Authority notes that the invoice value reported in the response of Wenzhou Volcano and captured in the China Custom data are higher than the values recorded in DG Systems data.

b. Further, the Authority also noted that as per the questionnaire responses, Fujian Dima had supplied the product under consideration to Wenzhou Volcano for the first time in June, 2019. However, Wenzhou Volcano has reported the first supply of the product under consideration to India procured form Fujian Dima in April, 2019 with inventory as N/A. Thus, the questionnaire response filed by Fujian Dima and Wenzhou Volcano indicates that Wenzhou Volcano is exporting the product manufactured by Fujian Dima even before purchasing it from Fujian Dima.

c. Fujian Dima has reported multiple sales to Wenzhou Volcano during the post POI period which if excluded will lead to mismatch between the quantity procured by Wenzhou Volcano from Fujian Dima during the POI and its further exports to India.

d. Fujian Dima had stated in the questionnaire response and its subsequent clarification that name of Wenzhou Huashang International Trading Co., Ltd, was changed to Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd in August, 2020. However, the invoice submitted by the DI which belongs to November, 2019 is issued by the name 'Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd' which is also captured in the bill of entry and payment proof. Even DG Systems data shows multiple transactions for exports made by the name 'Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd' before August, 2020. This indicates the existence of 'Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd' even before the name change in August, 2020 as submitted by the participating producer as well as the exporter.

e. The Authority had issued deficiency letter dated 23rd December, 2021 and 31st December, 2021 to Fujian Dima and Wenzhou Volcano seeking clarification on the above issues and also these issues were discussed with the legal representatives of the producer/exporter on 16th February, 2022 and 17th February, 2022. The Authority further sent an email to the producer/exporter on 18th February 2022 concerning the above deficiencies.

f. The producer/exporter provided its reply on 18th February, 2022 after the stipulated deadline. Nevertheless, the Authority has considered the response and notes as follows:

    i. The producer/exporter with respect to inclusion of Post POI data in its annexures has submitted that Wenzhou Volcano issues the commercial invoice in the month of actual shipment of the subject goods to India, whereas Fujian Dima issues the VAT Invoice to Wenzhou Volcano in the following months. However, the Authority does not find this explanation adequate, given that goods cannot leave the producer's warehouse without the issuance of a VAT invoice and consequently shipped to India. Moreover, the producer/exporter has not provided any documents to support its argument.

    ii. The Authority further notes that the producer/exporter with respect to the issue concerning mismatch between invoice value reported in questionnaire response vis-à-vis DG System data has merely resubmitted the copy of invoice, packing list, shipping bill and document concerning declaration with China customs reporting higher invoice value without any explanation on the

mismatch. Thus, the producer/exporter has not submitted any new evidence to clarify the above issue. Notably, the producer/exporter has failed to submit any document evidencing bank remittance against the invoice submitted by the producer/exporter. This is especially relevant as the DI has submitted document evidencing bank remittance against the invoices of the producer/exporter having lower invoice value which is also getting reflected in the DG System data.

iii. The Authority further notes that the producer/exporter has not provided any clarifications with respect to the export by Wenzhou Volcano even before the name change in August, 2020.

51. In view of the above examination of the Authority and the lack of sufficient explanation by Fujian Dima and Wenzhou Volcano, the Authority has decided to reject the responses of Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd. and Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd and treat them as non-cooperative. Accordingly, the export price for Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd. and Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd has been determined on the basis of facts available and it is the same as determined for all the non-cooperating producers and exporters. The same is mentioned in the Dumping Margin Table below.

**c) For non-cooperating producers and exporters from China PR**

52. The Authority has determined the export price for all the non-cooperating producers and exporters from China PR as per the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules. For the purpose, the Authority has considered the imports as reported in the DGCI&S data and the questionnaire response of the responding producers and exporters. The export price so determined for all the non-cooperating producers and exporters is mentioned in the Dumping Margin Table below.

## G.6. Determination of dumping margin

53. It is noted that in the subject investigation, many cooperating producers and exporters are related to each other and form a group of related companies. It has been a consistent practice of the Authority to consider the related exporting producers and exporters as one single entity for the determination of a dumping margin and thus to establish one single dumping margin for them. This is because calculating individual dumping margins might encourage circumvention of the antidumping measures, thus rendering them ineffective, by enabling related exporting producers to channelise their exports to India through the company with the lowest individual dumping margin.

54. In accordance with the above, the related producers and exporters from China PR have been regarded as one single entity and attributed one single dumping margin which was calculated on the basis of the weighted average of the dumping margins of the cooperating related producers and exporters.

55. Considering the normal value and the export price as determined above, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined and is mentioned in the Dumping Margin Table below.

| Country | Producer/Exporter | Normal Value (USD/Meter) | NEP (USD/Meter) | DM (USD/Meter) | DM % | Range % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China PR | Anhui Anli Material Technology Co., Ltd | *** | *** | (***) | (***) | (50)-(40) |
| China PR | Other Producers and Exporters | *** | *** | *** | *** | 60-70 |

## H. ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

### H.1. Submissions by the other interested parties

56. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the injury, the threat of injury and the causal link:

i. There is no volume injury to the domestic industry as the requirement under the anti-dumping agreement is an increase in the imports, either in absolute terms or in relation to production and consumption, which has not been satisfied.

ii. The injury complaint by the petitioner is self-inflicted as it has intentionally kept its prices much lower, i.e., by 20 to 30% than that of imports from China. The reduction in the margin of undercutting has nothing to do with the pricing behavior of the producers and the exporters in China and rather it is due to the petitioner's flawed pricing policy.

iii. The domestic industry has evidently been able to raise its prices over and above the rate of increase in the cost of sales.

iv. The comparison of the price undercutting must be made after calculating basic customs duty on the enhanced valuation enforced by Customs Authorities in India and not the invoice value.

v. The inflated cost of production of the applicant and its higher non-injurious price is due to the reasons of its inability to recover the cost of DMF produced as a by-product, high consumption of consumables such as rollers and release paper which cannot be utilized to its full extent due to the domestic industry's insistence to cater to a wide variety of designs irrespective of the order quantity, reliance on the import of the aforesaid consumables as well as its main input, viz., PU Resin, extraordinary cost of purchase of machinery which was far above the market norm, etc., and not the prices of the imports from China which have consistently shown an increase.

vi. The reduced capacity utilization of the petitioner was due to the COVID-19 lockdown which was further compounded by the admitted slump in demand of the PUC in India due to COVID-19.

vii. It is but natural that the DI would be facing start-up problems and would take some time to stabilize its operations and achieve cost efficiency as it has recently commenced operation.

viii. The imports from China have remained high due to the demand supply gap.

ix. The evidence or statement supplied by the DI only establishes that China is the world's largest producer of the PUC which does not indicate excess capacities that would be disposed in India.

x. The petitioner has not demonstrated that post continuance of the anti-dumping duties by Turkey on the PUC, the market in Turkey contracted further. The baseless statements and claims of the petitioner must not be relied upon to form an opinion of a threat of material injury as the same is neither based on facts nor in law.

xi. The domestic industry has suffered material injury due to its export performance as the same has reduced.

xii. The supporting producers are performing better than the domestic industry.

xiii. Nowhere do the rules provide for the projections in the project report as a benchmark for assessing material injury or a threat thereof to the domestic industry.

xiv. No separate guidelines are required to be issued by the Authority to deal with the COVID-19 lockdown and that the practice which should be adopted is to exclude the capacity unutilized during the lockdown.

xv. The petitioner has complained that it is not able to sell whatever it produced. However, the inventory holding of the petitioner as per its annual report is only of few days.

xvi. The losses of the petitioner have reduced considerably.

xvii. The reduction in the imports from China confirms that there are no freely disposable capacities in China.

xviii. The petitioner's capital structure is highly skewed. Therefore, it has high financing cost which has thereby impacted its profitability.

xix. The material consumption of the DI is very high, indicating inefficiencies whereas the material consumption of Jasch & Mayur is better.

xx. The economic performance of the domestic industry has improved in terms of the increased market share, increased selling price, reduced losses, reduced cash losses, improved ROCE and declined inventory.

xxi. None of the requirements laid down under Annexure-II are met with in the present case.

xxii. There is no price undercutting or price depression/suppression.

xxiii. There is no material injury or threat of material injury to the DI.

xxiv. The claim of the domestic industry regarding the surplus capacity of the producers from China PR is unsubstantiated.

xxv. Anhui is operating at 100% capacity and has no excess or surplus capacity with them. The claim of the domestic industry regarding the surplus capacity of the producers from China PR is erroneous and misleading.

xxvi. The domestic industry cannot claim both material injury and threat thereof. This is in view of the fact that all three forms of injury or two in the present case, cannot co-exist at the same time with respect to the same domestic industry as they are mutually exclusive.

xxvii. As the DI has to import special fabric as well as release paper (coating transfer paper) and emboss roller for making certain specialized varieties required by consumers, the delay in sample making results in loss of orders as the DI is dependent on such imports which take time to procure.

xxviii. The profitability of the domestic industry is also required to be examined after including the profits and the sales earning as a result of selling PVC coated fabric with the same machinery as that employed for manufacturing the PUC.

**H.2. Submissions by the Domestic Industry**

57. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to injury, threat of injury and causal link:

i. The exporters from China PR are dumping the PUC in the Indian market, thereby causing material injury to the domestic industry. There is also a threat of material injury on account of the dumped imports of the PUC from the subject country.

ii. The Indian producers of the PUC are not able to fully utilize their capacities, given the existence of the dumped imports from China PR to meet the existing demand of the PUC in India. Nevertheless, the DI is more than willing to invest in the capacity expansion if required to meet the demand of the PUC in India.

iii. Due to various malpractices, the actual volume of imports of the PUC from China PR is much higher which is not reflected in the import data. Nonetheless, the imports of the PUC from China PR in relative as well as absolute terms has been remarkably high throughout the injury period.

iv. Despite the existence of significant demand for the PUC in India, while the market share of the dumped import of the PUC from China PR during the injury period has been between ***% to ***%, the market share of petitioner and the supporters together has been in single digit during the POI as well as throughout the injury period.

v. As regards the arguments of the other interested parties regarding declining imports, it must be noted that the share of the imports from China PR in total imports of the PUC was 94% in 2017-18, 91% 2018-19 and 87% during the POI which clearly indicates a remarkably high presence and aggressive dominance of the Chinese imports in the domestic market of the PUC in India at any point of time throughout the injury period. Moreover, the slight decline in the import volume was due to COVID-19 restrictions,

widespread misdeclaration and underreporting of actual volume and value of the imports, and the entry of Mayur in the domestic market.

vi. Nevertheless, the Authority in various other anti-dumping investigations has recommended imposition of the anti-dumping duties on the subject countries with significant market share, even when the imports from such subject countries declined in absolute and relative terms during the POI.

vii. The domestic industry started operation in 2017 but due to existence of the dumped imports in the domestic market, the domestic industry has been left with no option but to keep its selling price low to compete and survive in the Indian market due to the unfair practice of dumping by the Chinese exporters. This trend was present both in 2017-18 and 2018-19. Further, the attention of the Authority is drawn to the final findings of anti-dumping investigation involving import of 2-Ethyl Hexanol (2-EH) from the European Union, the Republic of Indonesia, the Republic of Korea, Malaysia, Kingdom of Saudi Arabia, Chinese Taipei & the United States of America (F. No. 14/24/2014-DGAD) wherein the Authority made recommended imposition of anti-dumping duties and made the following observation:

> *"152. The above data shows that the landed values of imports from the subject countries did not undercut the prices of the domestic industry during the POI. However, the price undercutting may not be relevant if the domestic prices are already depressed or suppressed significantly. Therefore, the degree and extent of price suppression or depression, if any, has also been examined in addition to the price undercutting examination as above. The domestic industry, in its submissions, has argued that the price undercutting is negative largely because of significant credit being extended by the exporters."*

viii. The dumped imports from China PR are suppressing and depressing the selling price of the domestic industry. The impact of low-priced imports was such that despite increase in the cost to make and sell, the domestic industry could not make requisite increase in the selling price of the PUC to recover the cost to make and sell and earn a reasonable return over it. In the POI, the petitioner was able to increase its selling price slightly as the Government of India had increased the BCD to 20% in 2018 resulting in higher landed price. However, it is to be noted that to offset the benefit of higher BCD, the Chinese exporters reduced the CIF price of the PUC in the POI. This resulted in the situation of price suppression as the petitioner was not able to increase its selling price in accordance with the increase in the cost of production of the PUC. It should also be noted that the cost of production of the PUC has increased by 25- 35% in the Post POI period in the form of rising raw material cost and the freight cost, which is getting reflected in the increased prices from the other countries. The importers have even absorbed such increased costs as well.

ix. The price underselling/injury margin is positive and significant.

x. Despite the substantial demand of the PUC in India, the production, the domestic sales and the capacity utilization of the domestic industry have remained extremely low throughout the injury period. More than 75% of the domestic industry's capacity is unutilized.

xi. The PUC is used to produce the products in the industry of fast fashion, where businesses respond rapidly to the ever-changing consumer demand. With new design trend springing up, consumer preferences keep changing. This suggests that maintaining a significant inventory that is likely to be obsolete soon in the market is not prudent in this business. Nevertheless, it is worth noting that the inventories of the DI have remained at significant level throughout the injury period due to capturing of market share by the dumped imports from China PR.

xii. Since the beginning of the commercial production, the domestic industry has been incurring losses and unable to earn sufficient profits.

xiii. PBIT and ROCE were negative throughout the injury period. The cash profits were either negative or remained low throughout the injury period.

xiv. There is a threat of further deepened material injury over and above the material injury being suffered by the domestic industry presently. The factors to be considered in determination of threat of injury are discussed below:

- A significant presence of dumped imports in India.
- There is sufficient freely disposable capacity of the exporters from China PR. China PR has huge unutilized capacities with respect to the PUC and is further expanding the same, which has also been admitted by the interested parties. Even the latest report of Global Market Insight highlighted that China has become the world's largest PU producer, and based on scientific and statistical analysis, it has estimated that China alone would account for 45% of the global total output. The market studies also show that China's capacity has exceeded a third of the global total. Also, M/s Anhui Anli Material Technology Co., Ltd alone has an annual production capacity of 88.5 million meters PU leather which is over and above the total Indian demand. The user industry has also accepted that China possesses excess capacity. In this context, attention is drawn to page 9 of the questionnaire response filed by M/s Alpine Apparel where it has admitted that "the capacity of PU manufacturing is extremely restricted in India, and even the rest of the world except China and in response to Q. 9 of Section D of questionnaire response, Fibre Bond Industries has admitted that the producers/exporters of the subject country are producing the subject goods in huge quantities and act as an exporter to almost every major country in the world. Further, with the limited market access in Turkey for dumped products from China due to continued ADD, there is a clear lack of availability of other export markets to absorb any additional exports by China.
- One of the most important factors in threat of material injury is depressing or suppressing effect of the dumped imports on the domestic prices. In this regard, it is already submitted that the imports are entering at prices having a significant depressing or suppressing effect on the domestic prices during the POI. Moreover, it may be noted that such depressing or suppressing effect of the dumped imports has amplified during the Post POI period (October, 2020 to December, 2020). While the cost of production is increasing on account of increasing cost of raw materials and other factors globally, the CIF prices for the PUC from China continue to fall. However, the imports prices of the PUC from the non-subject countries accurately capture such increase in the costs. Therefore, justifying existence of significant threat of material injury further.
- The exporters from China PR have large quantum of inventory of the PUC accumulated with them

xv. As regards the arguments raised regarding the performance of the other domestic producers by the interested parties, it is submitted that the supporters, Jasch Industries Limited and Mayur Uniquoters Limited have stated in their supporting letters as to how they have faced the injury due to the dumped imports from China PR. Moreover, the comparison of domestic industry's performance with its supporters is not accurate as Mayur has started manufacturing the PUC rather recently in March, 2020, while Jasch is a multi-product company, whose annual reports show consolidated data of all the products produced by it.

xvi. As regard the issue of COVID-19 restrictions impacting normal business operations, the DI requests the Authority to issue guidelines on treatment of the data pertaining to the period of lockdown imposed in the country due to Covid-19 pandemic. It is submitted that the domestic industry has already provided information requested by the Authority from time to time, to support its claim and is committed to supply whatsoever information is required pursuant to the instructions of the Authority in this respect.

xvii. The interested parties have suggested that there is no threat of material injury. In this regard, domestic industry submits that the factors to be considered in determination of threat of injury are clearly laid out in Paragraph (vii) of Annexure-II of the Rules and these have been elaborated in detail in domestic industry's submissions showing a clear threat of injury.

xviii. With regard to the domestic industry's claim of suffering from both material injury and threat of injury, it is submitted that there is no legal bar that precludes the domestic industry from doing so.

xix. As regards to the claim that the domestic industry placed reliance on the Project Report, it is submitted that the same is absolutely incorrect as the Project Report was provided by the domestic industry to show the possibility to excel if a level playing field is provided and not for the purpose of injury assessment. The Project Report statistically assessed and showed "where it could be" in the coming years for performance estimates. However, the domestic industry never relied on it for its claim of material injury and/or threat of material injury.

xx. With regard to the unreliability of the conversion costs of the domestic industry and the requirement of start-up cost adjustments, it is submitted that the same has been submitted to the Authority for careful examination and adjustments, if required. The domestic industry has made huge investment in setting up plant for manufacturing PU leather. Such investments indeed require borrowing. In fact, every capital-intensive industry has such kind of debt structure in the beginning. However, this does not in any way highlight the inefficiencies of the domestic industry. On the other hand, it indicates that the lenders have shown trust in the business set up by the DI.

xxi. The export sales have always been around ***% of total sales by the domestic industry throughout the injury period and the POI. The injury information supplied to the Authority is for domestic operations only. Therefore, export performance could not have caused injury to the domestic industry.

xxii. The domestic industry does not lose out on orders because of its dependence on imports of raw materials. Multiple raw materials are available domestically and there are no difficulties in imports of raw material in any manner.

**H.3. Examination by the Authority**

58. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "…taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles…". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

59. The submissions made by the domestic industry and the other interested parties with regard to the injury, threat of material injury and the causal link related issues have been examined in the following paragraphs.

**H.3.1. Volume effect of the dumped imports on the Domestic Industry**

**a. Assessment of demand/apparent consumption**

60. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or the apparent consumption of the product in India as the sum of the domestic sales of the Indian producers and the imports from all sources. Also, as mentioned above, neither the

domestic industry nor any of the interested parties have provided any reasons for exclusion of the import transaction of the PUC from DGCI&S data having Rs. per meter value less than 50 or 20 and more than 1000 from the import analysis. Thus, the Authority has included all such import transactions within the scope of its assessment of demand/apparent consumption as given below:

| Particulars | Value | **2017-18** | **2018-19** | **POI (Apr 19 to Sep 20)** | **POI (A)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports from subject country | Meters | 9,05,79,952 | 7,03,64,502 | 9,53,96,345 | 6,35,97,563 |
| | Indexed | 100 | 78 | 105 | 70 |
| Imports from other countries | Meters | 93,78,506 | 1,04,86,314 | 1,86,63,562 | 1,24,42,375 |
| | Indexed | 100 | 112 | 199 | 133 |
| Domestic Sales of DI | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 165 | 143 | 95 |
| Domestic Sales of other domestic producers | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 116 | 143 | 96 |
| **Demand** | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 83 | 115 | 77 |
| **Total Domestic Production** | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 145 | 141 | 94 |
| Imports from subject country in relation to **Consumption** | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 93 | 92 | 92 |
| Imports from subject country in relation to **total Domestic production** | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 54 | 75 | 75 |

61. It is noted that the demand declined during 2018-19 in comparison to 2017-18 and further the during POI (A)

**b. Import volumes from the subject country.**

62. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DGCI&S. Further, as mentioned above, the Authority has included all import transaction of the PUC from DGCI&S data inclusive of transactions having Rs. per meter value less than 50 or 20 and more than 1000 within the scope of its assessment of import volumes. The resultant factual position is as follows:

| Particulars | Unit | 2017-18 | 2018-19 | POI | POI (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subject Country** | Meters | 9,05,79,952 | 7,03,64,502 | 9,53,96,345 | 6,35,97,563 |
| | Indexed | 100 | 78 | 105 | 70 |
| **Other Countries** | Meters | 93,78,506 | 1,04,86,314 | 1,86,63,562 | 1,24,42,375 |
| | Indexed | 100 | 112 | 199 | 133 |
| **Total Imports** | Meters | 9,99,58,458 | 8,08,50,816 | 11,40,59,907 | 7,60,39,938 |
| | Indexed | 100 | 81 | 114 | 76 |
| **Total Domestic Production** | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 145 | 141 | 94 |
| **Imports from Subject Country in relation to total imports** | % | 91 | 87 | 84 | 84 |
| | indexed | 100 | 96 | 92 | 92 |
| **Imports from Other Countries in relation to total imports** | % | 9 | 13 | 16 | 16 |
| | indexed | 100 | 138 | 174 | 174 |
| Imports from subject country in relation to **total Domestic production** | % | *** | *** | *** | *** |
| | indexed | 100 | 54 | 75 | 75 |
| Imports from subject country in relation to **Consumption** | % | *** | *** | *** | *** |
| | indexed | 100 | 93 | 92 | 92 |

63. It is noted that the imports from the subject country have commanded a significant share in the total import of the subject goods during the entire injury period. It is also noted that the imports from the subject country in relation to domestic production have increased during the POI in comparison to the previous year.

### H.3.2. Price effect of the dumped imports

64. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, non-injurious price (NIP) and net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the imports of the subject goods from the subject country.

#### a. Price undercutting

65. For the purpose of the price undercutting analysis, the selling price of the domestic industry has been compared with the price from the subject country. Further, as mentioned above, the Authority has included all import transaction of the PUC from DGCI&S data inclusive of transactions having Rs. per meter value less than 50 or 20 and more than 1000 within the scope of its import analysis. Accordingly, the undercutting effect of the dumped import from the subject country work out as follows-

| Particulars | Unit | 2017-18 | 2018-19 | POI (Apr 19 to Sep 20) | POI (A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Landed Value | INR/Meter | 111 | 125 | 111 | 111 |
| | Indexed | 100 | 113 | 100 | 100 |
| Domestic Selling Prices | INR/Meter | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 115 | 136 | 136 |
| Price Undercutting | INR/Meter | (***) | (***) | *** | *** |
| | % | (***) | (***) | *** | *** |
| | % range | (30-20) | (30-20) | 0-10 | 0-10 |

66. The above data shows that the landed value of the imports from the subject country is undercutting the prices of the domestic industry during the POI. Also, the landed value has declined during the POI as compared to 2018-19.

**A.2 b. Price suppression and depression**

67. In order to determine whether the dumped imports are depressing or suppressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period are examined. The table below shows factual position:

| Particulars | Unit | 2017-18 | 2018-19 | POI | POI(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Selling Price | INR/Meter | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 115 | 136 | 136 |
| Cost of sales | INR/Meter | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 104 | 121 | 121 |
| Landed Value | INR/Meter | 111 | 125 | 111 | 111 |
| | Indexed | 100 | 113 | 100 | 100 |

68. It is seen that from above table that the landed price of the imports from the subject country has remained below the cost of sales of the domestic industry throughout the injury period; the landed price of imports from the subject country has remained below the net sales realization of the domestic industry during the period of investigation and even though the cost has increased over the injury period, the domestic industry has not been able to increase its selling price in proportion to increase in the costs. It is thus seen that imports of the subject goods from the subject country are suppressing the prices of the domestic industry in the market.

**H.3.3. Economic parameters of the domestic industry**

69. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in the sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed below.

70. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the various facts and arguments made by the interested parties in their submissions.

**i. Production, capacity, capacity utilization and sales**

71. The capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| Particulars | Unit | 2017-18 | 2018-19 | POI | POI(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Installed Capacity | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 100 | 150 | 100 |
| Production | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 159 | 139 | 93 |
| Capacity Utilization | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 159 | 93 | 93 |
| Domestic Sales | Meters | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 165 | 143 | 95 |

72. The Authority finds that –

i. The installed capacity of the domestic industry has remained constant.

ii. The production and capacity utilization of the domestic industry increased during 2018-19 and then declined significantly in the period of investigation.

iii. The production and capacity utilization in POI(A) were at a level below the base year.

iv. The domestic sales of the domestic industry have shown a trend similar to that of production. The domestic sales increased in 2018-19 and then declined significantly in the period of investigation. The sales in the POI(A) were at a level below the base year.

v. Overall, the production, capacity utilization and sales have declined during the POI(A) as compared to base year.

**ii. Market share in demand**

73. The market share of the domestic industry is shown in the table below:

| Particulars | | 2017-18 | 2018-19 | POI | POI(A) |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports from subject country | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 93 | 91 | 91 |
| Imports from other countries | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 134 | 173 | 173 |
| Domestic Sales of DI | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 198 | 124 | 124 |
| Domestic Sales of other domestic producers | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 139 | 125 | 125 |

74. It is seen from the above table that:

i. The market share of the domestic industry remained in single digits during the entire injury period as well as the POI.

ii. The market share of the dumped imports has reduced in the POI(A). However, the dumped imports from the subject country are entering in the domestic market in significant volumes.

**iii. Inventories**

75. The inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| **Particulars** | **Unit** | **2017-18** | **2018-19** | **POI (A)** |
|---|---|---|---|---|
| Inventory | MT | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 41 | 60 |
| Inventory as No. of days of Production | No | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 26 | 64 |
| Inventory as No. of days of Sales | No | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 25 | 62 |

76. It is noted that the inventory declined in 2018-19 from the base year and then increased during the POI. The Authority also notes that the PUC belongs to the fast-changing fashion industry and inventory levels are based on customer's order.

**iv. Profitability, cash profits and return on capital employed**

77. The profitability, cash profits and return on investment of the domestic industry over the period is given below.

| **Particulars** | **Unit** | **2017-18** | **2018-19** | **POI** | **POI (A)** |
|---|---|---|---|---|---|
| PBIT-Domestic Sales | INR/Meter | (***) | (***) | (***) | (***) |
| | Indexed | (100) | (50) | (24) | (24) |
| PBIT-Domestic Sales | INR | (***) | (***) | (***) | (***) |
| | Indexed | (100) | (83) | (35) | (23) |
| Cash Profit | INR | (***) | (***) | *** | *** |
| | Indexed | (100) | (59) | 38 | 25 |
| Return on capital employed | % | (***) | (***) | (***) | (***) |
| | Indexed | (100) | (45) | (20) | (20) |

78. It is seen that throughout the injury period the PBIT, return on capital employed has remained negative and cash profit though improved during the POI has remained low.

**v. Employment, wages and productivity**

79. The employment, wages and productivity of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

| **Particulars** | **Unit** | **2017-18** | **2018-19** | **POI** | **POI(A)** |
|---|---|---|---|---|---|
| No of Employees | Nos | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 106 | 89 | 89 |
| Wages | INR | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 191 | 196 | 130 |
| Productivity per Day | Meters/Day | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 159 | 93 | 93 |

80. It is seen that the number of employees has decreased in the period of investigation. Similarly, the productivity improved overall but declined in the POI(A) compared to 2018-19. The wages paid have declined during the POI(A) in comparison to 2018-19.

**vi. Growth**

81. The domestic industry recorded a negative growth during the POI in terms of production, capacity utilization, domestic sales volume and inventories as shown in the table below:

| **Particulars** | **Unit** | **2018-19** | **POI(A)** |
|---|---|---|---|
| Production | Y/Y-Meters | *** | (***) |
| Trend | % - Indexed | 100 | (71) |
| Capacity Utilisation | Y/Y-% | *** | (***) |
| Trend | % - Indexed | 100 | (107) |
| Domestic Sales | Y/Y-Meters | *** | (***) |
| Trend | % - Indexed | 100 | (107) |
| PBIT per Unit-Domestic Sales | Y/Y-INR/Meter | *** | *** |
| Trend | % - Indexed | 100 | 50 |
| Cash Profit | Y/Y-INR | *** | *** |
| Trend | % - Indexed | 100 | 205 |
| Return on Capital Employed | Y/Y-% | *** | *** |
| Trend | % - Indexed | 100 | 50 |
| Inventories | Y/Y-Meters | (***) | *** |
| Trend | % - Indexed | (100) | 31 |

**vii. Ability to raise capital investment**

82. The significant investment was recently made establishing the capacity of the domestic industry to produce the PUC. However, the domestic industry has incurred significant losses throughout the injury period which has weakened its ability to raise further capital investment.

**viii. Factors affecting domestic prices**

83. As regards the argument of demand supply gap, the Authority considers that possible demand-supply gap cannot deprive a domestic industry from seeking redressal against the dumped imports causing injury. If the exporters wish to meet the requirement in the Indian market, that could be done by meeting the requirements at an un-dumped price. It is also noted that the primary focus of domestic industry is on the domestic market with minimal exports. Also, it is clarified that the performance of the domestic industry has been analysed with respect to its domestic operations only. Further, it is seen that the capacity utilisation of the domestic industry has remained significantly low in the entire injury period.

84. As regards the argument on recovery of DMF and other consumption issues, it is clarified that the domestic industry recovers DMF for self-consumption and the balance after captive consumption is sold at fair price. Due adjustment has been made for such sales of DMF in the cost and non-injurious price calculations. Further, the Authority notes that consumables such as rollers and release papers are being reused by the domestic industry as per the best practice.

85. As regard the import dependence of domestic industry with respect to raw materials, the Authority notes that the domestic industry has not imported the PUC during the POI and also, has not lost orders on account of shortage of raw materials or consumables.

86. As regards the impact of COVID-19 on the capacity utilization as well as the adjustment required on account of start-up factors, the same has been taken care of in computation of non-injurious price by considering best capacity utilization during each quarter of the POI and the proceeding two years.

87. With regard to the argument that the reasons of losses to the domestic industry is skewed capital structure and high interest and depreciation costs, it is also seen that the performance of the domestic industry has been significantly negative / low in terms of profit before interest (ROI) and profit before depreciation (cash profits) throughout the injury period.

88. As regard the consideration of the profitability of the domestic industry after including profits and sales earned as a result of selling PVC coated fabric is concerned, it is clarified that domestic industry is solely engaged in manufacturing of the PUC.

89. As regards the decline in demand, it is seen that whereas the demand for the product declined, the imports from the subject country remained significant and production, domestic sales and capacity utilization of the domestic industry remained very low throughout the injury period.

90. With regard to the contention of the interested parties that the imposition of anti-dumping duty will be prejudicial to the interests of the users, the Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

**ix. Magnitude of price underselling/injury margin**

91. The Authority has determined the NIP for the domestic industry on the basis of principles laid down in the anti-dumping Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing accountant for the period of investigation. The NIP has been compared with the landed price from the subject country for calculating the injury margin.

92. The landed price for the cooperating exporters has been determined from the CIF export price determined for the purpose of dumping margin determination. The applicable customs duties have been added to determine the landed price of the imports. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on the facts available.

93. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below:

| Country | Producer /Exporter | NIP (USD/Meter) | Landed Price (USD/Meter) | IM (USD/Meter) | IM % | Range % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China PR | Anhui Anli Material Technology Co., Ltd | *** | *** | (***) | (***) | (50)-(40) |
| China PR | Other Producers and Exporters | *** | *** | *** | *** | 30-40 |

## I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

94. The Authority examined any known factors other than the dumped imports which at the same time might have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. The factors which are relevant in this respect include, inter-alia, the volume and the prices of the imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of

and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. The Authority examined whether factors other than the dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

**i. Volume and prices of imports from third countries**

95. The imports from the other countries are either at de-minimis levels or at very high prices.

**ii. Contraction in Demand**

96. It is noted that the demand for the product under consideration decreased during the period of investigation. However, the Authority also notes that significant capacity of the domestic industry is utilised and thus a contraction in demand is not relevant given that a large quantum of the demand can still be catered to by the domestic industry. The Authority also note that despite contraction of demand and COVID-19, the market share of the imports has remained substantial during the period of investigation. Moreover, the Authority notes the claim of the domestic industry regarding the widespread practice of misdeclaration being in place in imports of product under consideration from the subject country due to which the possibility of actual imports of product under consideration from the subject country being much higher cannot be ruled out. Therefore, the contraction in demand cannot be considered as a reason for injury to the domestic industry.

**iii. Changes in Pattern of consumption**

97. No evidence has been brought by any interested parties about any material change(s) in the pattern of consumption of the product under consideration.

**iv. Conditions of competition and trade restrictive practices**

98. The Authority notes that the investigation has not shown that conditions of competition or trade restrictive practices are responsible for injury claimed by the domestic industry.

**v. Developments in technology**

99. No evidence has been brought forward by any interested parties about the existence of significant changes in the technology which is being used by the producers from the subject country for manufacturing the subject goods to be exported in India that could have caused injury to the domestic industry.

**vi. Export Performance of the Domestic Industry**

100. The exports made by the domestic industry constitute a small portion of its production. The Authority has considered data for the domestic operations only for the injury analysis.

**vii. Performance of other products**

101. The domestic industry is indulged in the manufacturing of the PUC only and has provided the injury data of the PUC performance and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. Since the domestic industry does not produce any other product, the performance of other products cannot be a possible cause of the injury to the domestic industry.

## J. POST-DISCLOSURE COMMENTS

102. The Authority issued a disclosure statement disclosing essential facts of the case and inviting comments from all the interested parties. The post-disclosure submissions have been received from the interested parties. Majority of the issues raised in the post disclosure comments have already been raised earlier and also addressed appropriately. Additional submissions to the extent deemed relevant have been examined as under:

### A.3 J.1. Submissions of the other interested parties

103. Apart from reiterating their earlier submissions, the other interested parties have submitted as under:

a. The constructed normal value and NIP determined by the Designated Authority is excessively high and would give undue protection to the domestic industry.

b. The adoption of 22% ROCE employed by Designated Authority is highly inflated and should be rationalized to a reasonable level. Providing 22% ROCE is incorrect as:

   i. Debt portion of capital employed which attracts about 10 to 12% interest rate is provided 22%

   ii. This result in providing more than 22% return on Net Worth Portion of Capital Employed.

   iii. During an era of global recession allowing such a high return to the domestic industry is totally unheard of in any sector.

   iv. 22% ROCE would give 41% profit margin to the domestic industry, which is unreasonable.

c. Reliance has been placed on the EC's decision in European Fertilizer Manufacturer's Association v. Council (1999) ECR II-3291 on the determination of reasonable return which states that profit margin for arriving at reasonable return should be limited to profits under normal conditions, in the absence of the dumped imports.

d. Imposition of ADD will adversely affect the employment (in Agra only) as approximately five (5) lakh people are directly/indirectly dependent on this industry.

e. Indian manufacturers are not in the state to supply material at par with China in same prices. PU upper as used in footwear is only 15% of the total cost of footwear, this usage also generates business to allied industries of footwear.

f. Imposition of ADD would restrict imports, thereby leading to a monopoly and affecting the end users categorized in the MSME category. This is contrary to the policy of the Government on MSME after Covid-19 pandemic.

g. Imposition of ADD would also affect their exports to middle-eastern and European countries as Indian PU industry is not in the position to compete with Chinese products in quality or prices.

h. PU leather produced through the dry process is higher in cost compared to PU coated leather produced through the wet process. In the former, the coagulate base is totally eliminated and PUC is coated directly on the fact of the backing. The chemical reaction in the dry process provides enhanced strength and performance. The resin system can be either: two-component reactive polyether-polycarbonate; or high solid polycarbonate. The high-quality resins are processed in a cleaner and more environmentally sound manufacturing environment. Over 99% of solvents are recaptured and recycled. The dry manufacturing process uses about 25% less energy than the wet process.

i. The claim of the petitioner that the coagulation process is a must to manufacture PU coated fabric is wrong.

j. The Authority should determine whether the domestic industry was capable of manufacturing the product under consideration using the dry technique notwithstanding the non-participation of Chinese producers employing the same.

k. The Authority's reliance on Dsm Idemitsu Limited v. Designated Authority is inapplicable to the present situation as respondents manufacture PU Leather from the dry process only as said process results in an article which is commercially distinct from that manufactured using a combination of the wet and dry process.

l. The Designated Authority has not considered that the assessment of price undercutting and underselling must be made after calculating BCD on the enhanced valuation enforced by the Customs Authorities in India and not the invoice value. An enhanced customs valuation under Customs Valuation (Determination of Value of Imported Goods) Rules 2007 is applied on the subject goods, which must be considered by the Designated Authority as it has major price effect.

m. The cost of production of the domestic industry is also higher as the applicant is attempting to cater to a wide variety of designs which cannot be produced in adequate quantities over a shorter period of time owing to orders which are placed in small quantities for certain designs. It has to import special fabric, release paper and emboss roller to cater to such clients, and delay in sample making results in loss of orders. The cost of these imports cannot be offset.

n. Conversion costs of the applicant are not reliable as it started commercial production in June 2017 and not achieved full efficiency and stability. The Authority is requested to account start-up cost adjustment and reduce conversion costs.

o. While computing export price, the Designated Authority must not deduct VAT as the 13% VAT is refunded by the Government of China upon the export of any article including the PUC. As per their law, VAT on inputs is to be refunded when the final product is exported. Under the Chinese system, VAT on inputs is 17% and the VAT refund on export of finished goods is 13%. Mathematically, if there is a value addition of 32%-33%, what is refunded will be exactly matching with the VAT paid on the inputs. The system is simple, transparent and efficient. Unless and until it is proved that the value addition is less than 32%, there is no reason to deduct the refund as a deduction. In view of the above, there is no reason to deduct 4% of VAT which is the difference between VAT rate on inputs and VAT rate on FOB value of finished goods exported.

p. Price undercutting and price suppression claimed by the petitioner is self-inflicted as it intentionally kept its prices much lower i.e. by 20 to 30% than that of imports from China.

q. While cost of sales has only increased by 21%, the domestic industry's selling price has increased by 36% showcasing that it has been able to raise its prices over and above the rate of increase the cost of sales.

r. The selling price of the domestic industry has not followed the same trajectory as the landed value of imports. It was laid down in Indian Spinners Association vs. Designated Authority reported in 2004 (170) E.L.T. 144 (Tri. – Del.) wherein it was observed that if the selling price of the domestic industry moves independently of the landed value of the imports, it would establish that price suppression and depression, if any, cannot be attributed to imports.

s. The reduced capacity utilization of the petitioner was due to the fact that COVID-19 lockdown was imposed from March 2021 to June 2021 during which the domestic industry was not able to operate its plant and machinery.

t. The data regarding employment, wages and productivity are being disclosed for the first time during the disclosure statement as the domestic industry has claimed complete confidentiality with respect thereto in their petition. Therefore, the same must not be relied upon at this stage for the first time to arrive at a conclusion of injury. In any case, loss of employment was due to the pandemic.

u. The Authority has noted that the domestic industry has not imported the PUC during the POI. This is contrary to the information provided by the domestic industry in its petition wherein it stated that while constructing normal value, prices of raw materials were considered on the basis of the experience of the domestic industry which reflects international prices as PU resin is imported by the domestic industry. This suggests that the applicant either suppressed information regarding import of raw materials or provided false information in its petition.

v. The Authority must determine the duration of the period during which domestic industry was not operational due to lockdown and consequentially, remove the loss of production and capacity utilization. Only thereafter can a proper determination of whether the domestic industry has suffered any loss due to the subject imports can be made.

w. If there is a case of misdeclaration, it is for the customs authorities to rectify the same and after detecting it, adjusting the import volumes reported in the import statistics and cannot form the basis of drawing any adverse inference in anti-dumping proceedings.

x. M/s Jasch Industries Limited and M/s Mayur Uniquoters Limited have increased production, sales and market share during the POI which indicates that inter-se competition is also responsible for lower sales and reduced market share of the applicant in the POI.

y. If ADD to the tune of 30-40% is recommended to safeguard the applicant which accounts for less than 10% of the market share of the subject goods in India, it would result in a massive increase in cost of goods to users who are MSMEs. Such increased cost would be passed on to the further downstream user/consumer, imports of finished products such as wallresiets, belt, bags, furniture, car seat covers or any finished product made with the PUC, essentially rendering these MSMEs unviable.

z. The user industry has quantified the impact of imposition of duties in their IQR. In the IQR, the total cost of raw materials utilized for producing the further downstream product, i.e., belts (clothing accessory) has been captured. The PUC accounted for 47% of the cost of sales for the respondents during the POI. If 40% duty is imposed, the cost of sales per meter for the belts produced by the respondents will increase from Rs.74 per meter to Rs 103.6 per meter. This signifies an overall 23% increase in total cost of raw materials for producing belts manufactured by the respondents. Since, raw materials account for approximately 87% of the total cost of sales of belts, and if the cost of raw materials increases by a further 23%, the total cost of sales of the respondents would rise from Rs.16.72 to Rs.20.07 which signifies an increase of 20%. Therefore, the negligible impact of ADD assumed by the Authority is not correct.

aa. It cannot be in public interest for the Authority to impose ADD to protect a domestic industry which performs a minimal process of coating.

bb. The petitioner has applied for anti-dumping investigation because its cost of producing the subject goods in India is not viable as its raw materials, i.e., PU resin, is not manufactured in India, and has to be imported. Therefore, due to the high cost of the petitioner, its operation is unviable and therefore, it has applied for anti-dumping duties to alleviate its losses.

cc. The major cost of production of the petitioner constitutes raw materials as minimal value addition is required for the purpose of coating i.e., the manufacturing process performed by the domestic industry. It cannot be in public interest for the Authority to impose anti-dumping duty to protect a domestic industry which performs a minimal process and deal a death knell to the entire downstream industry whose value addition is much higher and which employs a far greater number of people across the diverse industries in which the PUC is used and which consist primarily of MSME's.

dd. The Authority is requested to clarify that non-woven fabric imported without any PU coating does not fall under the scope of present investigation.

ee. The Authority has made observation on raw microfiber whereas the exclusion requested was for microfiber synthetic leather or microfiber-based PU. Also, the exclusion sought was not on the basis of quality but because the specifications provided by the domestic industry are not similar to one demanded by user industry as the domestic industry does not have facility to produce microfiber-based PU as can be seen from several email communications with domestic industry where they have not responded to the request for PU coating on microfiber base. However, the Authority has noted in the disclosure statement that Topline is manufacturing all types of the product including microfiber-based PU, they have not responded to several emails requesting material, which they are unable to sell in the market.

ff. The facts behind the decline in demand and the impact of decline in demand on the different supply sources imports and the domestic industry have not been analysed in the disclosure.

gg. The impact of non-subject imports has not been examined, and there is no examination made on the relative increase/decrease in relation to demand and imports in India.

hh. The increase/decrease of imports from subject country in absolute term and increase of imports from other countries has not been examined as imports from subject country have declined over the injury period.

ii. There is significant demand and supply gap in India and imports either from subject country or third countries will always remain significant.

jj. The market share of the domestic industry has increased from base year and declined in POI because of increase in market share of third countries.

kk. No observation has been made on the growth of profitability parameters of the domestic industry.

ll. The cash losses have converted into cash profits in POI. Cash profits in POI shows high depreciation cost and the reason for making the losses by the domestic industry.

mm. The estimated impact on footwear industry calculated by the petitioner as Rs 8.33 per shoe is incorrect. 170 grams of polyurethane is required to manufacture one pair of shoes basis the information available on https://www.linkedin.com/pulse/polyurethane-industry-india-market-analysis-footwear-mohammed-raseel/. Considering the ADD to be Rs 50 per meter and the approximate length of 1 KG of PU Leather to be 2 meter per KG, the impact should come out to be Rs 17 per shoe (i.e., (consumption per shoe X 2 meter) X 1000 X Rs 50 per meter).

nn. The petitioner has claimed that it has suffered financial loses in the period of investigation, but, has made cash profits in the period of investigation. The Authority is requested to kindly address how requirements of Article 3.5 have been complied with.

oo. The domestic industry has been misusing the trade remedy measures as it has applied for ADD/CVD/Safeguard Investigation for many of its products.

pp. Levy of any anti-dumping duty will adversely affect the downstream industry as out of total quantity only 3-5% can be manufactured as per the existing production capacity.

qq. The average stock of the domestic industry continuously declining because the domestic industry continued to sell more than it produced.

rr. The decline in the profitability is due to the abnormal events and not the imports from China PR. This affected the overall performance of the domestic industry.

ss. The Council for Leather Exports (CLE) submitted its comments to the disclosure statement on 08 February 2022 which is much beyond the time-period stipulated for providing comments. In its submission, CLE has argued that VAT adjustment should not be made from the export price of China PR for the PUC.

**A.4 J.2. Submissions of the other domestic producer**

104. Winner Nippon Leatherette Pvt. Ltd., the other domestic producer, who didn't participate in the investigation earlier, has made the following post-disclosure statement submissions:

a. PU Leather manufactured by the domestic industry is like and identical to PU Leather imported from China PR in all respects. There is no difference in their manufacturing process.

b. The interested parties have submitted baseless claims for product exclusion even when manufacturing process of the Indian manufactures is the same as Chinese manufacturing process. Relevant proof about the claimed manufacturing process with new technology may kindly be asked from the interested parties.

c. WNLPL are well capable of supplying smaller as well as bigger quantities of the PUC as per choice and demand of the clients. Any 'Minimum Order Quantity' policy is not followed.

d. The domestic industry is fully competent to meet variety of design requirements and supplying to high-end brands.

e. The price of the PUC is quite reasonable and competitive considering the national and international market scenario.

f. The domestic industry is facing material injury owing to dumping by Chinese exporters who have a significant market share and hence is not able to utilize its full production capacity.

g. The low-priced dumped imports from China PR are suppressing and depressing the domestic industry. Despite increase in production and selling cost, the domestic industry is not able to attain reasonable profit margins.

h. The ADD on the imports of PUC from China PR may kindly be imposed to eliminate the injury suffered by the domestic industry on account of unfair trade practices of dumping by the subject countries and to create a level-playing field for the Indian manufactures of the Polyurethane Leather/ PUC.

**A.5 J.3. Submissions of the domestic industry**

105. The submissions made by the domestic industry are as follows:

a. The authenticity and accuracy of the information shared by Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd. in its questionnaire response is doubtful and should be re-examined.

b. The Chinese exporters concerning the PUC are indulged in misdeclaration, wherein they declare incorrect quantum and value for the shipment before the Indian Customs Authorities while declaring the correct quantum and value of the shipment before the custom authorities in China.

c. The Authority is requested to compare the value provided in the DGCI&S data with the value provided by the exporter in its questionnaire response for the similar transaction. If there are significant differences in the invoice value, the same will automatically establish that the response filed by Wenzhou Volcano is incorrect which should lead to outright rejection of the response by Wenzhou Volcano.

d. There have been anomalies in the responses filed by Wenzhou Volcano and Fujian Dima, wherein obscure responses have been by the two interested parties to create confusion on their status. For instance, while Fujian Dima, established in 2007, claims that Wenzhou Volcano is its English name, as per the response filed by Wenzhou Volcano, it was established on November 25, 2015. Further, both the parties have filed separate questionnaire responses too.

e. The Hon'ble Authority has rejected responses filed by producers / exporters from the subject countries even at the post-disclosure stage. Reliance is placed on anti-dumping investigation concerning import of *"Flexible Slabstock Polyol"* originating in or exported from Australia, EU and Singapore. The aggrieved exporters further filed an appeal before the Hon'ble CESTAT, which confirmed the right of the Hon'ble Authority to make alterations in the final findings' basis the comments to the disclosure and dismissed the appeal.

f. The imposition of duty on the PUC be on Kg basis, i.e., in terms of the volume, and not on meter basis, i.e., in terms of length to reduce the evasion of duty. Given the acute malpractice of misdeclaration in the present case, imposing anti-dumping duty on USD per Kg will help in reducing the scope of any such practices. This is immensely important considering the fact that weight for every shipment is measured at the customs port. Moreover, even globally many countries, including China PR, impose basic custom duties on PU leather on Kg basis instead of meter. Turkey had also imposed anti-dumping duties since 2005 in USD / kg on import of textile fabrics impregnated, coated, covered or laminated with polyurethane/ leather substitutes from China.

g. The dumping from Fujian Dima Synthetic Leather Co. Ltd. and other Chinese producers and exporters are significant. The dumped imports of PUC from these Chinese producers / exporters are causing severe injury to the Indian producers of PUC.

h. The Authority is requested to re-evaluate the dumping margin and the injury margin for Fujian Dima Synthetic Leather Co. Ltd in case of discrepancies in the questionnaire response filed by its exporters, Wenzhou Volcano.

**J.4. Examination of the Authority**

106. It is seen that most of the submissions made by the interested parties on the statement are mere reiteration of their earlier submissions. The Authority has already examined the submissions made by the other interested parties at the time of issuance of the disclosure statement. The views expressed by the interested parties which are mere repetition of the submissions made before are not reproduced again. The submissions made by the interested parties on the disclosure statement that are not already examined by the Authority have been addressed herein below:

a. The Authority notes that many parties have made submissions before the Authority for the first time after the issuance of the disclosure statement. However, even those arguments have been taken on record and wherever necessary, the data on record has been re-verified to ensure that concerns raised get duly addressed. The Authority however notes that such an approach on the part of parties to raise fresh set of issues after the issuance of the disclosure statement, that too without having participated at any prior stage of the investigation is not at all appreciated. Further, CLE has submitted its comments much beyond the deadline, however, the same has been considered by the Authority to the extent relevant in its analysis.

b. With respect to submission made by Navkar Techtex Pvt Ltd that the exclusion claimed by them was for microfiber-based PU whereas the Authority has made observation on raw microfiber. The Authority draws attention to the questionnaire response as well as the post-oral written submissions dated 5 August 2021 submitted by Navkar Techtex Pvt Ltd, wherein they have submitted as follows:

*A.6 Non-woven fabric is one of the raw materials for the product under consideration and is imported under the HS code 56031400. On non-woven fabric, an additional layer of Polyurethane is added to convert it in Polyurethane Leather. Therefore, the two products can be differentiated on the basis of coating. If the product is Polyurethane Leather, then it has to be mandatorily coated on at least one side and any uncoated product or coated with some substance other than Polyurethane should be considered as product beyond the scope of product under consideration. The product for which clarification is being sought is in fact a raw material. Further, as per the respondent information, the Indian manufactures of product under consideration are themselves importing non-woven fabric and by doing PU or PVC coating on it, they are producing Polyurethane Leather. Non-woven fabric imported by us is impregnated fabric and dipped either with latex, chemicals or polyurethane.*

*Microfiber fabric is a non-woven fabric made with impregnation or dipping or mixed with PU and Nylon fibres and sometimes polyester fibers also.* ***It is dipped fabric and not a coated fabric.***

c. Therefore, Navkar Techtex Pvt Ltd had sought exclusion for non-woven fabric and microfiber fabric, both the products without any PU coating. Thus, the interested party has raised a fresh request for exclusion of microfiber fabric having PU coating or microfiber synthetic leather vide email dated 02 February 2022 and comments to disclosure statement at the post-disclosure stage.

d. Since the Authority cannot examine the arguments nor provide opportunity to the other interested parties to make their comments on the same, it will not be interest of equity to consider the fresh request from Navkar. In any event, the Authority notes

that Navkar vide the above paragraph also admits that Indian manufacturers of PUC are themselves importing non-woven fabric and doing PU coating on the same. It is also noted that the data on record establishes that the domestic producers have supplied microfiber coated PU Leather during the POI. In view of the same, the Authority rejects the request for exclusion sought at the post-disclosure stage.

e. Further, with respect to the email communication submitted by Navkar Techtex Pvt Ltd, the Authority notes that the evidence supplied by Navkar Techtex Pvt Ltd in form of email communication is incomplete as well as outside the scope of POI. In this respect it is also noted that the domestic industry had requested for contact details in the email communications shared by the interested party. However, no information was shared by the interested party as per the email chain. The Authority further clarifies that post-POI data / information provided by the domestic industry evidencing aggregated injury has not examined for the purpose of the current anti-dumping investigation being an original investigation. Therefore, to be consistent the post POI submission by Navkar Techtex Pvt Ltd also cannot be considered.

f. As regards the submission made for the exclusion of PUC manufactured using dry technique, the Authority notes that none of the producers / exporters from the subject country or the association of the exporters participating in this investigation have mentioned about the new technique involving only the dry process. This signifies that there is no difference in the manufacturing process and the product produced is commercially and use-wise substitutable with the PUC manufactured using the two-step process. The user industry requesting for exclusion of products manufactured using dry process has not provided any substantial evidence even in their post-disclosure submissions to establish the difference in the products manufactured using the two techniques. Therefore, the Authority finds that the products manufactured using either of the technology are "like articles" and thus, finds no merit in such a claim for exclusion of products manufactured using dry technique only.

g. As for the quality issues cited, the Authority as per its consistent practice finds that quality issues are not relevant for exclusion. In any event, the importers/users would continue to be able to import the subject goods at fair prices and therefore, such claims are not reasonable.

h. As regards the argument that the cost of production of the domestic industry is high due to import dependency for PU Resin, the Authority notes that the domestic industry is importing as well as domestically procuring PU Resin.

i. The Authority notes that the non-refundable VAT is 4% as submitted by the interested parties and not 13% as claimed by the domestic industry. As regards the contention that no adjustment is required for non-refundable VAT component while calculating the export price, the Authority notes that the submissions of the domestic industry and the interested parties on VAT. Since no producer/exporter has commented upon this adjustment of non-refundable VAT and keeping in view the domestic industry's clarification and the consistent practice of the Authority, the Authority has adjusted the ex-factory export price with the non-refundable VAT of 4%. Accordingly, the net export price at ex-factory level for exports from China PR has been calculated and is shown in the dumping margin table.

j. As regards the argument of considering 22% as return on capital employed, it is noted that the Authority has determined NIP as per Annexure III of the AD Rules and the consistent practice of the Authority.

k. As regards the argument that the assessment of price undercutting and underselling must be made after calculating basic customs duty on the enhanced valuation enforced by the Customs Authorities in India, as per its consistent practice, the Authority has assessed the price undercutting and underselling considering the landed value of imports as per the provisions of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) as assessable value including all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

l. The impact on user industry has been examined under the section on 'Indian industry's interest and other issues' in present finding.

m. The Authority notes the support to the domestic industry's petition by another producer, Winner Nippon Leatherette Pvt. Ltd. The arguments raised by WNLPL are already duly captured in the disclosure statement and the Authority has examined the support in assessment of standing of the domestic industry in the present finding.

n. As regards the argument that imposition of ADD would lead to creation of monopoly, the Authority notes that there are already four manufacturers of PUC in India and the Indian market is dominated by Chinese imports. Thus, the Authority finds no merit in this argument.

o. The Authority has rejected the response of Wenzhou Volcano International Trading Co., Ltd. and Fujian Dima Synthetic Leather Co., Ltd. on account of reasons mentioned in paragraphs 50 & 51 of the present findings. In this respect, the Authority notes the decision of the Hon'ble CESTAT in *M/s Shell Eastern Petroleum Ltd & others vs. Union of India & others,* 2018(364) ELT423(Tri.-Delhi) wherein it was held that the Authority has the power to make changes in the final findings post issuance of the disclosure statement without the need to recirculate a revised disclosure statement pursuant to such changes.

p. The Authority notes that the levy of duty in USD per KG would not be appropriate in the present investigation as the domestic industry did not maintain data in kilogram.

## K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

107. The Authority notes that the purpose of the antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of the antidumping measures would not restrict the imports from the subject country/ territory in any way and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

108. It is recognized that the imposition of the antidumping duties might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the antidumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, the imposition of antidumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices; would prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

109. The imposition of antidumping duty does not impact the export performance of the user industry as the product under consideration can be procured under advance authorization scheme without payment of customs duties including antidumping duty.

110. The user industry has not quantified the impact of imposition of duties in the final cost of production of the various products manufactured by them. However, as per the domestic industry if the upper of footwear requires one side PU Leather, then with 1 meter of PU Leather, nearly 18 pair of shoes can be manufactured and if the upper of footwear requires both side PU Leather then with one meter of PU Leather 6 pairs of shoes can be manufactured. The domestic industry has further provided an illustration, assuming if the antidumping duty is Rs 50 per meter then the impact would be INR 2.77 per pair (i.e., 50/18) for one sided upper and INR 8.33 per pair (i.e., 50/6) per pair for both sided upper out of total manufacturing cost of the product. The Authority also notes that none footwear manufacturers' users' associations have rebutted the quantitative analysis of the likely impact of imposition of ADD on the footwear industry provided by the domestic industry.

111. The Authority further notes that the Navkar Techtex Private Limited in their comments to the disclosure statement have submitted, that the impact of duty on footwear industry would be Rs 17 per shoe and not Rs 8.33 per pair as submitted by the domestic industry. Having examined

the weblink relied upon by Navkar Techtex Private Limited to obtain data on consumption of 170 grams per shoe, the Authority found that the data is irrelevant in the present investigation as the link states the usage of polyurethane, a chemical in manufacturing the sole of the shoe as 170 grams and not the PUC. Further, it is noted that the chemical, polyurethane is used for the sole of footwear whereas PUC is used in the upper of sole. Therefore, the information is not relevant.

112. The Authority notes that Fibre Bond Industries and Fibre Trade Linc Pvt. Ltd. in their comments to the disclosure statement have provided a calculation to demonstrate the effect of ADD, if levied, on the Indian belt industry. However, the said calculation is not supported by any evidence. Nevertheless, the Authority has examined the calculation provided and notes that the buckle consumption considered by these entities is *** as against the total production of *** belts. Thus, the information is prima facie unreliable.

113. The Authority vide its letter dated 07th February, 2021 requested for comments from the domestic industry for the impact of the proposed anti-dumping duty on belt manufacturers in India. The domestic industry has submitted basis the information contained in letter received from different belt manufacturers as follows:

> *On an average with 1.25 meters of PU Leather, 34 belts can be made (i.e., (33+35)/2) with single side PU Leather. Further, the average cost to manufacture one PU Leather belt is around Rs. 110 wherein PU Leather constitutes approx. 9% in the overall manufacturing cost. Therefore, in view of the above, assuming the ADD to be Rs. 50 per meter on imports of PU Leather from the subject country, in such a scenario, the overall impact on the cost of per belt will be Rs. 1.83 (i.e., (50 X 1.25) /34) or 1.66% (i.e., 1.83/110).*

114. As regards the submission of Madipur Chappal Udyog Association, the user association has chosen not to participate until the post-disclosure stage, the Authority notes that such submissions at a belated stage amount to fresh claims and ought to be outrightly rejected. Nevertheless, the Authority notes that imposition of ADD will not impact the exports made by the downstream industry as the PUC can be procured domestically, i.e., without payment of customs duties, including ADD.

115. The Authority notes that Fibre Bond Industries and Fibre Trade Linc Pvt. Ltd. in their comments to the disclosure statement have submitted that the value addition done by the domestic industry in the coating process is minimal, whereas, the value addition by the downstream industry using the PUC is much higher, and therefore, imposition of ADD is not is public interest. In this regard, the Authority is of the view that firstly there is a significant value addition by the domestic industry and in any event, value addition by the domestic industry cannot be a determining factor in a public interest examination in context of an anti-dumping investigation.

116. Moreover, the Authority also notes that the market share of China PR in the overall demand is 80% during the POI which is abnormally high given that there are three domestic producers for the subject goods.

| **Particulars** | | **2017-18** | **2018-19** | **POI** | **POI(A)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Imports from subject country in overall demand | % | *** | *** | *** | *** |
| | Indexed | 100 | 93 | 91 | 91 |

117. In the view of the Authority, such a high market share of China PR in the overall demand poses a significant risk to the user industry in India, as any disruption in the domestic market in China for the subject good or any disruption in supply chain from China PR on account of any factor will lead to significant difficulties for the user industry some of which are MSME.

118. Thus, the information on record shows that the non-imposition of the antidumping duty will adversely impact the domestic industry, while imposition of the duty will not materially impact the consumers or the downstream industry or the public at large.

## L. CONCLUSIONS

119. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in the present findings, the Authority concludes that:

a. The landed value of the product under consideration from the subject country is below the cost of the domestic industry and its selling price, which gives clear indication that the injury to the domestic industry is due to the dumped imports from the subject country.

b. The product under consideration has been exported to India in large volumes from the subject country below its normal value, resulting in dumping.

c. The examination of the imports of the subject product and the performance of the domestic industry clearly shows that the volume of dumped imports from subject country has been significantly high in both absolute and relative terms throughout the injury period. The imports of the subject goods from the subject country are undercutting as well as suppressing the prices of the domestic industry. The production, sales, capacity utilization and market share of the domestic industry has declined in the period of investigation in comparison to preceding year. The performance of the domestic industry has been significantly low in respect of profits, cash profits and return on capital employed during the injury period. The domestic industry has suffered financial losses and negative return on investments in the period of investigation. The imports from subject country have dominated the market share while the market share of the domestic industry has been in single digit. Growth is negative in multiple volume and price parameters in the period of investigation. In view of the foregoing, the Authority, thus, concludes that the domestic industry has suffered material injury.

d. The material injury has been caused by the dumped imports from the subject country.

e. The recommendation for imposition of duty will not be against public interest on account of factors summarized below:

i. The purpose of ADD is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

ii. The imposition of the ADD would not restrict the imports from the subject country/ territory in any way.

iii. The imposition of ADD will not impact the export performance of downstream industry as the product under consideration can be imported duty free under advance authorization.

iv. The high market share of China PR in the overall demand poses a significant risk to the user industry in India, as any disruption in supply chain from China PR on account of any factor will lead to significant difficulties for the user industry some of which are MSME.

v. The impact of ADD on footwear and belt industry basis the information available on record is negligible.

## M. RECOMMENDATIONS

120. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, Embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping duty is required to offset dumping and the consequent injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of the definitive antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder for a period of 5 years.

121. In terms of the provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the Duty Table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of the subject goods described at Column 3 of the Duty Table, originating in or exported from China PR.

**Duty – Table**

| S.N. | Heading / Subheading | Description of Goods | Country of Origin | Country of Export | Producer | Amount | UoM | Currency |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | *5603.94.00 5903.20.90* | Polyurethane Leather which includes any kind of textile coated one sided or both sided with Polyurethane | China PR | Any country including China PR | Anhui Anli Material Technology Co., Ltd. | NIL | Meters | USD |
| 2. | -do- | -do- | China PR | Any country including China PR | Any Producer other than S. N. 1 | 0.46 | Meters | USD |
| 3. | -do- | -do- | Any country other than China PR | China PR | Any | 0.46 | Meters | USD |

122. The customs tariff classification is only indicative and in no way binding upon the scope of the product concerned.

123. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.

124. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.21 22:51:00 +05'30'